खण्ड-328, अंक-8
गुरूवार, 21 आश्विन, शक संवत् 1899
(13 अक्टूबर, 1977 ई0)

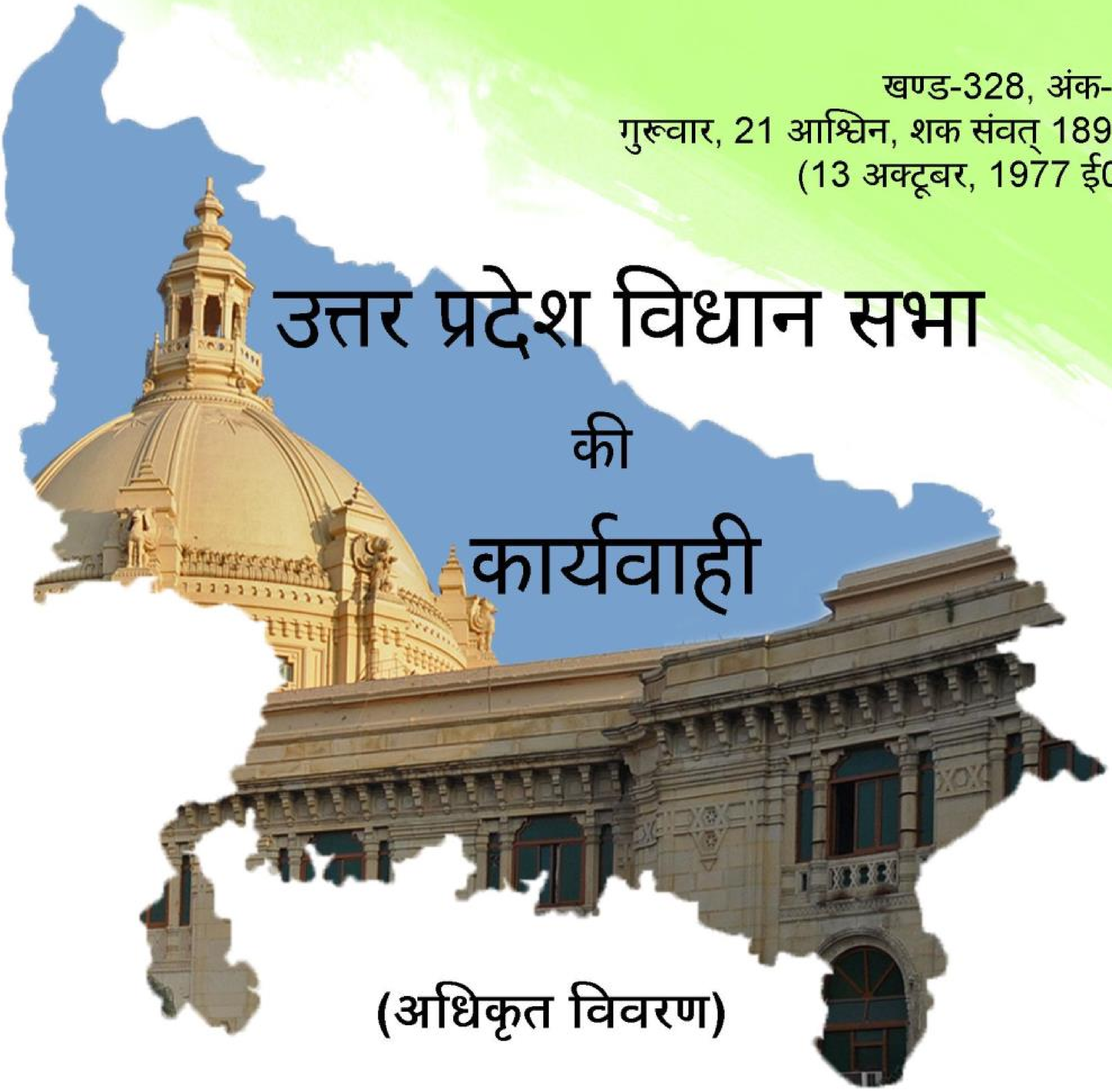

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

खण्ड 328 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७८

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

# विषय-सूची


| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| उपस्थित सदस्य .. .. .. | ६१५-६१८ |
| प्रश्नोत्तर .. .. .. | ६१९-६५३ |
| स्थगित किए गए प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न .. | ६५३-६५४ |
| कार्य-सूची में अंग्रेजी लिपि में कतिपय शब्दों के लिखित होने पर आपत्ति .. .. .. | ६५४-६५५ |
| अटरिया रेलवे स्टेशन पर बदमाशों द्वारा ट्रेन ड्राइवर को गोली मारकर हत्या तथा लूट-पाट करने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण के विषय को सदन के संज्ञान में लाना .. .. | ६५५-६५६ |
| भदुरवा थाना चन्दौली वाराणसी, में सवर्णों द्वारा हरिजनों को गोली मारकर घायल किए जाने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना .. .. .. | ६५६ |
| गाजियाबाद जिला समाप्त या पुनर्गठन करने के प्रश्न पर सरकार की अनिश्चित नीति के विषय को सदन के संज्ञान में लाना.. | ६५६-६५७ |
| फासफेटिक तथा पोटेशिक खादों के दामों को कम करने की घोषणा के बावजूद दुकानदारों को शासनादेश जारी न किए जाने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना .. .. | ६५७ |
| उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, १९७७--(विधान परिषद् से वापसी की सूचना) .. .. | ६५७-६५८ |
| सदस्यों की रिहाई के सम्बन्ध में सूचना .. .. | ६५८-६५९ |
| श्री कृष्ण मोहन लाल सक्सेना, प्रवर वर्ग की सहायक, गृह पुलिस बीसा--अनुभाग--३ के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना .. .. .. | ६५९ |
| गृह मन्त्री व जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक, एटा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना .. | ६६०-६६३ |
| कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं .. .. | ६६३-६६६ |
| १९७७-७८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या २४--सार्वजनिक निर्माण कार्य, अनुदान संख्या २९- कला एवं संस्कृति, अनुदान संख्या ३४--आवास भवन, अनुदान संख्या ६३--संचार साधन, अनुदान संख्या ६४--कार्यात्मक भवन, अनुदान संख्या ६५--सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान, अनुदान संख्या ७०--सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या ७१--कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या ६३--आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ८६--संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय (जारी) | ६६६-१०१६ |

सदन के समय में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत) .. १०१६

१९७७–७८ के आय–व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या २४––सार्वजनिक निर्माण कार्य अनुदान संख्या २९––कला एवं संस्कृति, अनुदान संख्या ३४––आवास भवन, अनुदान संख्या ६३––संचार साधन, अनुदान संख्या ६४––कार्यात्मक भवन, अनुदान संख्या ६५––सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान, अनुदान संख्या ७०––सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या ७१––कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या ७३––आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ८६––संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय––(स्वीकृत) .. १०१६–१०२८

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं .. .. १०२८–१०२९

लखनऊ में अवध सहकारी बैंक के रजाबन्दी श्री अविनाश कुमार से डकैतों द्वारा रुपए छीन जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य .. .. .. १०२९–१०३२

पुलिस अधीक्षक, सीतापुर के स्थानान्तरण के विषय में दिनांक ७ अक्तूबर, १९७७ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या १ के सम्बन्ध म नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा .. .. १०२३–१०२९

सूखे, बाढ़, एवं कटाव के विषय पर होने वाली चर्चा का स्थगन .. १०३९–१०४०

नस्थियां .. .. .. १०४१–१०४८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पति, १३ अक्तूबर, १९७७

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

---

उपस्थित सदस्य—३३९

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनवार अहमद चौधरी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नारायन, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशफाक, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उमाकान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्रा, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर, भटया, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री

चन्द्र शेखर सिंह, श्री
छेदा सिंह, चौहान, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जयराम, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर,
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झामलाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दुर्गविजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवकुमार, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्म गज सिंह, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
नंगा राम, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हें लाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेताराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
पुष्पा तलवार, श्रीमती
पूरन चन्द्र, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभु दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल जुवांठा "अरविन्द", श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बशीर अहमद, श्री
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल सरोज, श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री

भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भक्वानदीन कुशवाहा, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीषम ,श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूल चन्द ठाकुर, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोअज्जिल अली बेग, डाक्टर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुबर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज बृज राज सिंह, श्री
राजमंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोबिन, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
राज जनम राय, श्री
राम जी, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायम वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रताप शास्त्री, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्स, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री

रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री (जिला एटा)
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रतापसिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शकुन्तला नय्यर, श्रीमती
शतरुद्र प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ, चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
श्योराज सिंह निर्भय, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायण तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुल्लई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सिया राम सागर, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
सोहन लाल, श्री
हर गोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरण यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री।

नोट :—मुख्य मन्त्री, श्री राम नरेश यादव तथा विद्युत् मन्त्री, श्री रवीन्द्र किशोर शाही भी सदन में उपस्थित थे।

# प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, १३ अक्तूबर, १९७७

## तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

### मेसर्स हिन्डालको, मिर्जापुर के श्रमिकों की बंठकी

*१—श्री ऊदल (जिला वाराणसी) तथा श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

क्या श्रम मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दिनांक १७ सितम्बर, १९७७ से हिन्डालको, रेणुकूट, मिर्जापुर में बड़े पैमाने पर बंठकी कर दी गई है, जिससे ७० फीसदी मजदूर प्रभावित हो गए हैं ? इस सम्बन्ध में हिन्डालको प्रगतिशील मजदूर सभा ने तारीख २१ सितम्बर, १९७७ को मुख्य मन्त्री, श्रम मन्त्री तथा उद्योग मन्त्री को तार भेजकर तुरन्त इस समस्या के हल के लिए प्रार्थना की है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

मेसर्स हिन्डालको, रेणुकूट, मिर्जापुर में १७ एवं १८ सितम्बर, १९७७ को लगभग ९० श्रमिकों की बंठकी हुई । १९ सितम्बर से २८ सितम्बर तक बंठकी पर भेजे गए श्रमिकों की संख्या विभिन्न तिथियों पर ४२३ एवं ६९८ के बीच घटती-बढ़ती रही, जिसका औसत प्रतिष्ठान में नियोजित कुल श्रमिकों का १३.५ प्रतिशत आता है न कि ७० प्रतिशत ।

हिन्डालको प्रगतिशील मजदूर सभा का तार दिनांक २१-९-७७ शासन को प्राप्त नहीं हुआ है ।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मन्त्री बतलायेंगे कि जो बंठकी इतने बड़े पैमाने पर १७ और १८ से शुरू हुई, वह अब भी है और उसका जो कारण है, उसको दूर करने के लिए क्या सरकार ने कोई कदम उठाया है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

यह बंठकी अस्थायी है । इसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

इस बंठकी के करने से पूर्व क्या सरकार की अनुमति ली गई ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

बंठकी के पूर्व सरकार की पूर्व अनुमति नहीं ली गई ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

अगर पूर्व अनुमति सरकार से नहीं ली गई, तो क्या श्रमिकों को नियमानुसार वेतन दिया जा रहा है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

इसका परीक्षण कराया जा रहा है कि नियमानुसार क्या किया जा सकता है ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

बैठकों को समाप्त करने के लिए सरकार क्या-क्या प्रयास कर रही है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

उनके प्रतिनिधियों से बातचीत हुई है । जैसा उत्तर दिया गया, २१-९-७७ को 'हिन्डालको प्रगतिशील मजदूर सभा' का तार प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन उनके प्रतिनिधियों से श्रम मन्त्री जी ने बातचीत की है ।

श्री ऊदल—

क्या यह सही है कि हिन्डालको की बिजली काट देने के फैसले के बावजूद भी हिन्डालको को ५० मेगावाट बिजली चोरी से दी गई १७, १८ सितम्बर तक और फिर उसकी जांच होने पर पूरी बिजली काटी गई, जिसकी वजह से यह बैठकी हुई ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

लिखित सूचना मिलने पर निश्चित रूप से इसकी जांच करा ली जायगी और जो माननीय सदस्य की शिकायत है, उसको दूर करने का प्रयास किया जायगा ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट के अन्तर्गत बैठकी अगर लेबर कमिश्नर द्वारा अनुमोदित न हो, तो मजदूरों को पूरा वेतन दिया जायगा, तो क्या सरकार इस ऐक्ट के मातहात एम्पलायर के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

यह तो कानूनी बात है । माननीय सदस्य के सुझाव का परीक्षण करा लिया जायगा और कानून के अन्तर्गत तद्नुसार कार्यवाही की जायगी ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि हिन्डालको के मालिक अनुचित दबाव शासन पर डालना चाहते हैं और बैठकी के कार्यक्रम को चला रहे हैं ताकि सरकार मजबूर हो कर, उनको सस्ते रेट पर बिजली दे और यदि यह सही पाया गया, तो सरकार क्या उनके खिलाफ कार्यवाही भी करेगी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जांच करा ली जायेगी ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, हिंडालको वाले न तो आपके लेबर मिनिस्ट्री की बात मानते हैं और न किसी और की । तो क्या आप कृपा करेंगे कि अगर बैठकी समाप्त नहीं की गई तो हिंडालको को टेकओवर करने की नीति रहेगी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, एक बात का आश्वासन दे सकता हूं कि मजदूर जो हैं वे बेकार नहीं रहेंगे ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मजदूरों की जो क्षति हो रही है क्या उसकी क्षतिपूर्ति कराई जायेगी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

यह तो मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों के उत्तर में बता चुका हूं कि नियमानुसार जो कुछ भी सम्भव होगा यह सरकार सदैव मजदूरों के हित में कार्य करेगी ।

श्री ऊदल--

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि हमारे श्रम विभाग की तरफ से मंत्री जी के आदेश से ११ तारीख को हिंडालको के मैनेजमेंट के साथ मीटिंग हुई थी, उसमें श्रम विभाग और मजदूरों के प्रतिनिधि भी बुलाए गए थे । उसमें मैनेजमेन्ट ने लेबर कमिश्नर को यह कह दिया कि आपको कोई अधिकार हमारे यहां दखल देने का नहीं है । तो क्या इसकी भी जांच करायेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तो समय चाहिए क्योंकि पत्रावली में यह सूचना उपलब्ध नहीं है ।

श्री ऊदल--

मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में, यह मैंने पूछा है उन्होंने कहा था कि श्रम विभाग सचेष्ट है और मीटिंग भी हुई थी, इसलिए मैंने याद दिलाया कि इस ११ अक्तूबर को कानपुर में श्रम कमिश्नर ने मंत्री जी के आदेश से हिंडालको के मैनेजमेन्ट और मजदूरों के प्रतिनिधियों को बुलाया था इस मामले के हल के लिए लेकिन मैनेजमेन्ट ने कह दिया कि लेबर कमिश्नर को हमारे मामले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है । तो क्या मेरी सूचना सही मान कर लेबर डिपार्टमेन्ट से इस बात की जानकारी करेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

जी हां, मान्यवर, करेंगे ।

कानपुर नगरमहापालिका द्वारा संचालित शिशु शिक्षा सदन एवं शिशु विद्यालय के शिक्षण तथा अन्य शुल्क में वृद्धि सम्बन्धी ज्ञापन

*२--श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)--

क्या स्वायत शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर महापालिका, कानपुर द्वारा संचालित शिशु शिक्षा सदन, चुन्नीगंज एवं शिशु विद्यालय, सर्वोदयनगर में माह सितम्बर, १९७७ में मध्य सत्र से अचानक मासिक फीस एवं बस फीस में अनियमित वृद्धि कर दी गई है ? क्या इस अनियमित वृद्धि के विरोध में अभिभावकों की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल ने दिनांक २० सितम्बर, १९७७ को कानपुर में मंत्री महोदय को एक ज्ञापन दिया था ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या यह भी सही है कि व्याप्त असन्तोष के कारण अभिभावकगण उपरोक्त विद्यालयों के समक्ष नित्य प्रदर्शन कर रहे हैं ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

कानपुर नगर महापालिका द्वारा संचालित शिशु शिक्षा सदन चुन्नीगंज तथा शिशु विद्यालय, काकादेव (सर्वोदयनगर) में शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्कों में दिनांक १ सितम्बर, १९७७ से वृद्धि की गई थी ।

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय—]

उपरोक्त दोनों विद्यालयों में शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्कों की वृद्धि के सम्बन्ध मे अभिभावकों का एक ज्ञापन स्वायत्त शासन मंत्री को प्राप्त हुआ था जिसे प्रशासक नगर महापालिका, कानपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु दे दिया गया था ।

शुल्कों की वृद्धि के सम्बन्ध में प्रशासक ने अभिभावकों की एक बैठक करके बढ़ाए हुए शुल्कों में कमी करके उन्हे संशोधित कर दिया है । इस सम्बन्ध में प्रशासक ने जो कार्यवाही की है उसका विवरण परिशिष्ट–१ में और उनके द्वारा अभिभावकों की सहमति से संशोधित किए गए शुल्कों का विवरण परिशिष्ट–२ में दिया गया है ।

प्रशासक से प्रतिनिधि मंडल के मिलने तथा शुल्कों को संशोधित किए जान के बाद तथा दिनांक २७ सितम्बर, १९७७ को प्रशासक के आदेश प्रसारित करने के बाद कोई आन्दोलन आदि नहीं किया जा रहा है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १०४१ पर)

श्री अरुण कुमार—

मान्यवर, आपके माध्यम से मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में जानना चाहता हूं कि संशोधित शुल्क के पहले क्या शुल्क था उसे बताने की कृपा करेंगे ? इस संशोधित शुल्क के पहले क्या शुल्क लिया जाता था ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, परिशिष्ट–२ में इसका उत्तर उपलब्ध है शिक्षा शुल्क १२ रु० उक्त दोनों विद्यालयों में १–९–७७ से लिया जायेगा । यह जो फीस की बात कही गयी है यह परिशिष्ट–२ में दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी यह तो १–९–७७ से लागू हुआ है । उनका प्रश्न यह है कि पहले शुल्क क्या था ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

यह सूचना मान्यवर, उपलब्ध नहीं है ।

श्री अरुण कुमार—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किन कारणों से शुल्क बढ़ाए गए थे, जिससे आन्दोलन हुआ और अभिभावकों के मिलने की स्थिति पैदा हुई ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

इसमें एक तो यह है विद्यालय की व्यवस्था के सम्बन्ध में व्यय करना पड़ता है, उसमें हुई वृद्धि की दृष्टि से जनरल तरीके से आदेश किए गए थे । किन्तु जो बढ़ाए गए हैं, समाप्त कर दिए गए हैं । इसलिए शिकायत का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री रियासत हुसैन—

प्रधानाचार्य ने जो फीस बढ़ाई, वह नगर महापालिका या गवर्नमेन्ट के प्रस्ताव पर बढ़ाई या अपने से ही बढ़ाई ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

वह नगरपालिका के आदेश से ।

श्री राजेन्द्र कुमार गप्त (जिला सीतापुर)—

मंत्री जी के पास यह सूचना नहीं है कि पहले कितना शुल्क बढ़ा था, व्यवस्था यह है कि कोई भी विद्यालय १५ रुपए से ज्यादा शुल्क नहीं ले सकता है, इससे यह तो स्पष्ट है कि वहां पर १५ रु० से अधिक फीस ली जाती होगी, तभी शासन ने हस्तक्षेप किया और वह १२ रु० कर दिया गया, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो बीच का अन्तर है, उसको वापस कराने की मंत्री जी कृपा करेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

वापस करने का कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन श्री रियासत हुसैन के सुझाव पर उसका एडजस्टमेन्ट कराया जा सके, इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा।

श्री बाबूराम शुक्ल (जिला कानपुर)—

मंत्री जी को मालूम है कि बढ़ा हुआ शुल्क संशोधित कर दिया गया है, तो क्या वह पूरा वापस ले लिया गया है या उसका एक हिस्सा छोड़कर वापस लिया गया है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जो शिक्षा शुल्क है वह पहली सितम्बर से १२ रुपया है और पूर्व में भी इस सम्बन्ध में १२ रुपया था।

ठाकुर मूलचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बढ़ी हुई फीस का योग कितना है और वह कहां रखी गयी है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

फीस तो जिस प्रकार नियमानुकूल वसूल की जाती है, उसी तरह से वसूल करके नियमानुसार स्थान पर रखी गयी होगी और मूलचन्द जी तो स्वयं प्रिंसिपल हैं, उनको और ज्यादा जानकारी होगी।

श्री कृष्ण राय (जिला देवरिया)—

क्या यह सही है कि जो शुल्क बढ़ाया गया है, उसके माध्यम से मंत्री जी के विचारों और जनता पार्टी को बदनाम करने का अधिकारी लोग मनमाना काम कर रहे हैं ? यदि हां, तो वह क्या उसको रोकने का प्रयास करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह इससे उठता नहीं है।

श्री शंकर सिंह (जिला जालौन)—

क्या मंत्री जी नगरपालिका के विद्यालयों के लिए कोई एक सामान्य जनरल फीस निर्धारित करने की कृपा करेंगे, जिससे भविष्य में ऐसी बात न हो ?

श्री अध्यक्ष—

नगरपालिका के विद्यालय जो आपसे संचालित हैं, क्या उन सब के लिए आप सामान्य फीस की व्यवस्था करेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

ऐसा व्यवहारिक दृष्टि से सम्भव नहीं है, क्योंकि कानपुर में बहुत से विद्यालय हो गए हैं और वह बड़ा औद्योगिक शहर है और कोई छोटे शहर हैं, जैसे कालपी में है, तो वहां दूसरे तरह की तनख्वाह होती है ।

*३--श्री नरेश चन्द्र--

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

*१--श्री शम्भू नाथ चौधरी--

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित ।]

*२--श्री बसन्त--

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित ।]

लखनऊ की आदर्श जेल बंगला बाजार सड़क की मरम्मत की मांग

*३--श्री बिहारी लाल हंस (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद के आदर्श जेल से बंगला बाजार आने वाली सड़क पर (बिजनौर कस्बे) लोक सभा चुनाव, १९७७ के दौरान कुछ हिस्सों पर सड़क की जीर्णशीर्ण दशा सुधारने हेतु बजरी तो डाल दी गयी लेकिन उसका निर्माण शुरू नहीं किया गया जिससे स्थानीय जनता को आवागमन में घोर कष्ट का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो उक्त सड़क का निर्माण कार्य शुरू न करने के क्या कारण हैं और यह कार्य कब तक पूर्ण हो जायगा ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

नगर महापालिका, लखनऊ से प्राप्त सूचना के अनुसार आदर्श जेल रोड से बंगला बाजार तक की सड़क लखनऊ नगर महापलिका को अभी तक हस्तान्तरित नहीं हुई है । आदर्श कारागार से शारदा कैनाल की पुलिया तक का जो भाग है, वह महापालिका की देख-रेख में है । जो भाग महापालिका की देख-रेख में है, उसके व्यय अनुमान की स्वीकृति हो गई है। यह भाग इसी वित्तीय वर्ष में ठीक करा दिया जायेगा । शारदा कैनाल की पुलिया से (बंगला बाजार) ग्राम बिजनौर तक उक्त सड़क का भाग जिला परिषद्, लखनऊ की देख-रेख में है ।

जिला परिषद्, लखनऊ से प्राप्त सूचना के अनुसार बंगला बाजार के अन्दर लगभग १ किलोमीटर पेन्टेड मार्ग ही हालत में है। बाकी आगे कंकड़ रोड है, जो जगह-जगह पर टूटी है । धनाभाव के कारण अभी कार्य चालू नहीं हो सका है ।

[दिनांक १३ अक्तूबर, १९७७ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री लाल दास तथा श्री गोकरन प्रसाद--

[१०वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या १४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*२--श्री सोहन वीर सिंह तोमर--

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित ।]

*३—श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

एटा जिले की नगरपालिका मारहरा के भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री ओम प्रकाश शाह के विरुद्ध शिकायतों की जांच तथा बीस सूत्री व पांच सूत्री कार्यक्रमों तथा संजय वाटिका पर व्यय की गयी धनराशि

*४—श्री राम सिंह (जिला सहारनपुर) तथा श्री नेतराम सिंह (जिला एटा)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि एटा जिले की नगरपालिका, मारहरा के मौजूदा नगरपालिका अध्यक्ष (श्री ओम प्रकाश शाह) के विरुद्ध भ्रष्टाचार, अनियमितताएं और पद के दुरुपयोग की कितनी शिकायतें इमरजेन्सी काल में शासन को मिलीं ? शिकायतें क्या थीं, जांच कर्ता कौन अधिकारी थे, जांच के परिणाम क्या निकले ? क्या यह सच है कि उक्त अध्यक्ष तत्कालीन सत्तादल के सदस्य थे और उनका सीधा सम्बन्ध भूतपूर्व राज्य मंत्री (स्वायत्त शासन) से होने के कारण मामले समाप्त कर दिए गए ? यदि हां, तो क्या सरकार सम्बन्धित पत्रावली पर पुनः विचार करके कार्यवाही करेगी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

भूतपूर्व अध्यक्ष, नगरपालिका मारहरा के विरुद्ध इमरजेन्सी काल में चार शिकायती पत्र शासन को प्राप्त हुए थे। शिकायतों पर जिला मजिस्ट्रेट, एटा द्वारा जांच कराई गई थी। आरोपों का विवरण तथा जांच के परिणाम संलग्न हैं। भूतपूर्व अध्यक्ष कांग्रेस विचारधारा के थे, परन्तु यह सही नहीं है कि उनका सीधा सम्बन्ध तत्कालीन राज्य मंत्री (स्वायत्त शासन) से होने के कारण मामले समाप्त कर दिए गए थे।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १०४३ पर)।

*५—श्री राम सिंह तथा नेतराम सिंह—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि एटा जिले की नगरपालिका, मारहरा के मौजूदा चेयरमैन ने इमरजेन्सी काल में बीस-सूत्र और पांच-सूत्र अथवा संजय वाटिका पर कितना-कितना व्यय नगरपालिका का किया ? क्या यह सच है कि उक्त चेयरमैन ने उक्त पदों पर जो खर्च किया है फर्जी और अनियमित था ? यदि हां, तो सरकार जांच कराकर उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

नगरपालिका, मारहरा ने बीस सूत्री व पांच सूत्री कार्यक्रमों के अन्तर्गत एवं संजय वाटिका पर कुल ५,२३२·८३ रु० व्यय किया। उक्त व्यय वास्तव में किया गया है। केवल कुछ दिन पूर्व आडिट में खर्च के तरीकों पर आपत्ति होने की सूचना प्राप्त हुई है। जब तक आडिट की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाती तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि व्यय फर्जी या अनियमित था।

श्री नेत राम सिंह—

माननीय मंत्री जी यह सत्य है और इसकी जांच करेंगे कि १३ नम्बर पर जो आपत्ति थी उसमें लिखा है कि उनकी बैठकें गलत हुई हैं चूंकि इनकी सूचनाएं जिला अधिकारी और आयुक्त को नहीं दी गयी हैं, मंत्री जी उन बैठकों को रद्द करेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

बतलाया गया है, आयुक्त की सूचना अनुसार, बैठकों की कार्यवाही जब देवी गयी, उसको बुलाने की कार्यवाही तथा बैठक की कार्यवाही का प्रकाशन नियमानुसार नहीं किया गया है और इस बात का परीक्षण किया जा रहा है कि जो बैठक की कार्यवाही है वह निष्प्रभावी हो जाय ।

श्री नेत राम सिंह--

मैं जानना चाहूंगा कि नगरपालिका मारहरा ने ५,२३२.८३ रु० जो खर्च किये हैं, संजय बाटिका नाम की कोई चीज वहां नहीं है, न कोई स्थान है, न बनायी गयी है, सारा खर्च फर्जी है, इसकी जांच कराएंगे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

इसका उत्तर मूल प्रश्न के उत्तर में दे दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष--

आप का कहना यह है कि यह सूचना आपको गलत दी गयी है । संजय बाटिका नाम का वहां पर कोई स्थान नहीं है, यह रुपया गलत निकाला गया क्या इसकी जांच कराएंगे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

जो सूचना उपलब्ध है उसके अनुसार वहां पर गांधी पार्क था, गांधी पार्क का एक्सटेंशन किया गया और संजय बाटिका के नाम से किया गया ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि संजय बाटिका के लिए जो धन आवंटित किया गया म्युनिसिपल बोर्ड के प्रस्ताव से किया गया या चेयरमैन ने खुद कर दिया ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

उस मीटिंग के बारे में जो जानकारी दी, मीटिंग अनियमित थी, लेकिन चेयरमैन साहब ने किया । प्रस्ताव पारित कराकर किया या स्वयं कर दिया इसकी जानकारी नहीं है ।

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो गांधी वाटिका है, वह कितने एरिया की है ?

श्री अध्यक्ष--

यह सूचना तो आप पृथक् प्रश्न करके प्राप्त करें । वह कैसे संभव है ?

श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो रुपया अनियमित रूप से व्यय किया गया है, उसे शासन उस अध्यक्ष से सरचार्ज करेगा और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी कि उन्होंने धन का अपव्यय किया ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

एक तो आडिट से जांच मांगी जा रही कि क्या नगर पालिका के अध्यक्ष ने अनियमितता की है । यदि की है, तो सर चार्ज का प्राविजन और वसूली की कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्य जो प्रश्न कर रहे हैं वह रिपोर्ट पास में नहीं है, वह बड़ी विस्तृत है और माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि आडिट रिपोर्ट के आधार पर कोई केस बन सकता है, तो वह कार्यवाही की जायेगी ।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका जो प्रस्ताव पास करती है, वह प्रस्ताव स्वीकृति के लिए जिलाधिकारी के पास जाता है तो क्या वह प्रस्ताव जिलाधिकारी के पास गया था और उन्होंने एतराज किया था । यदि नहीं किया था, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अध्यक्ष---

माननीय मंत्री जी उत्तर दे चुके हैं । नियमित रूप से उस मीटिंग की सूचना जिलाधिकारी को नहीं थी ।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर---

वह प्रस्ताव जिलाधिकारी के पास जाता है ।

श्री अध्यक्ष---

वह कहते हैं कि नहीं भेजा । इसका उत्तर दे चुके हैं ।

श्री त्रिलोक चन्द्र (जिला बुलन्दशहर)---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने कैसे गांधी बाटिका नाम को हटा कर संजय बाटिका रखा, क्या यह उचित था ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

मैंने यह नहीं कहा कि जिस स्थान पर गांधी बाटिका थी, उसी को संजय बाटिका कर दिया गया, बल्कि जो गांधी बाटिका थी उसका एक्सटेन्शन किया गया, उसका नाम संजय बाटिका रखा गया ।

*६---श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

[१४ सितम्बर, १९७७ को वक्तव्य हो जाने के कारण निरस्त]

देवरिया जिले के विकास खण्ड विशुनपुरा के अन्तर्गत पेय जल योजना की मांग

*७---श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)---

क्या सरकार को जानकारी है कि पडरौना तहसील में पूर्वांचल के सर्वाधिक पिछड़े विकास खंड विशुनपुरा में ९८ प्रतिशत गांवों में पेय जल के अभाव में गरीब ग्रामीण गंदे कुओं तथा ताल पोखर व गड्ढों का गंदा पानी पीते हैं ? यदि हां, तो उक्त विकास खंड में पेयजल की व्यवस्था कराई जाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

जी नहीं ।

(क) कुछ क्षेत्रों में पेयजल की समस्या सामने आयी है ।

(ख) जल निगम ने स्वतः जिला परिषद्, देवरिया से जल सम्पूर्ति योजना बनाने के लिये प्रस्ताव मांगा, जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या माननीय मंत्री जी, यह बताने की कृपा करेंगे कि किन क्षेत्रों में पेय जल की समस्या सामने आयी और कितने गांवों में पेय जल की समस्या हल कर ली गयी है, उनका नाम बताने की कृपा करेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, इस समय अलग-अलग विवरण देना संभव नहीं है । जिला परिषद् से प्रबन्ध निदेशक, जल निगम ने प्रस्ताव मांगा था । इस योजना में ७५ प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है और २५ प्रतिशत खर्च जिला परिषद् को स्वयं वहन करना होता है । जिला परिषद् के अध्यक्ष ने प्रस्ताव भेजा है कि वह ऋण नहीं लेंगे, फिर भी उत्तर प्रदेश के जल निगम के अधिकारियों ने २३ जून, १९७७ को बैठक की और जिला परिषद् के अध्यक्ष से सम्पर्क स्थापित किया, लेकिन जिला परिषद् से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । अतः बिना जिला परिषद् के प्रस्ताव के दिक्कत है ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पडरौना तहसील के विकास खण्ड, विशुनपुरा तथा सिसवा गोहटी, कंठीछपरा, चैती मुसहरी, माधोपुर कोठेलवा, पखनहा, जटहां, बबुइयाहरपुर, दांदयोपुर, पितरा बाजार, बड़हरा, मनिकोरा आदि गांवों में ६८ प्रतिशत जनता पेय जल के अभाव में गंदे कुओं, तालाब, पोखर आदि का पानी पीती है और वहां के लोग घेंघा राउन्ड वर्म और पेट की बीमारियों से पीड़ित हैं । यूनीसेफ में पेय जल के लिए विशुनपुरा विकास खंड के सम्बन्ध म आख्या प्रस्तुत की थी, तो क्या इन जगहों पर भी पेय जल की व्यवस्था की जायेगी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

शासन तीन से सात सालों के अन्दर प्रत्येक गांवों में शुद्ध पेय जल की व्यवस्था कराने के लिए कटिबद्ध है । (शोर) ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य कृपया शान्ति बनाये रखें और सम्बन्धित व्यक्ति ही प्रश्न पूछें ।

श्री कल्प नाथ सिंह—

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा जिला परिषद् द्वारा पेयजल की कोई योजना नहीं चलायी जा रही है और जिला परिषद् इसके लिए २५ प्रतिशत कान्ट्रीबयूशन देने के लिए तैयार नहीं हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी विशुनपुरा ब्लाक में पेयजल की कमी को देखते हुए जिला परिषद् को शत प्रतिशत अनुदान जिसमें २५ प्रतिशत अनुदान और ७५ प्रतिशत ऋण के रूप में दिलाने के बजाय शत प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था करेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

इस सम्बन्ध में ग्राम्य विकास मंत्री जी से वार्ता करूंगा कि जिला परिषदों को पूर्ण अनुदान दिया जा सके वैसे तो जिला परिषद् इस समय अवक्रमित है फिर भी मैं प्रयास करूंगा ।

श्री राम नरेश पाण्डेय (जिला देवरिया)--

जिला परिषदों ने अपनी असमर्थता जाहिर की है, तो क्या शासन उस पर दबाव डालेगा कि पेयजल की व्यवस्था पडरौना तहसील में करायी जा सके ?

श्री अध्यक्ष--

इससे प्रश्न नहीं उठता, मंत्री जी इसका उत्तर पहले ही दे चुके हैं ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

जो अनुदान २५ प्रतिशत जिला परिषद् और ७५ प्रतिशत सरकार द्वारा दिया जाता है ऐसा मंत्री जी न बताया। जल निगम बन जाने के बाद यह सम्पूर्ण धनराशि उन्हीं के द्वारा खर्च की जाती है और पानी का जो इस्तेमाल किया जाता है उसके पैसे की वसूली भी इन्हीं द्वारा की जाती है। क्या मंत्री जी को इसकी जानकारी है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

नियम तो पहले से ही चला आ रहा है कि २५ प्रतिशत स्वायत्त सेवी संस्थायें भार वहन करती हैं और २५ प्रतिशत जल निगम द्वारा किया जायगा ।

देवरिया जिले के विकास खण्ड विशुनपुरा के अन्तर्गत विद्युतीकरण योजना

*८--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या विद्युत् मन्त्री को जानकारी है कि देवरिया जनपद के विशुनपुरा विकास खंड में ग्रामीण विद्युतीकरण पूर्ण करने का लक्ष्य वर्ष १९७५ तक निर्धारित किया गया था ? यदि हां, तो लक्ष्य अवधि के तीन वर्षों बाद भी क्या उक्त विकास खंड में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य आंशिक रूप में ही सम्पन्न किया गया है ?

विद्युत् मंत्री (श्री रवीन्द्र किशोर शाही)--

ग्रामीण विद्युतीकरण की एक योजना ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत की गई थी जिसमें विकास खण्ड, विशुनपुरा भी सम्मिलित था तथा उक्त योजना ३१ मार्च, १९७६ तक पूर्ण होनी थी ।

इस ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य-क्रम अभी प्रगति पर है ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या माननीय विद्युत् मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एक निश्चित अवधि जो उसके लिए समयबद्ध कार्य-क्रम बनाया गया था, उस अवधि में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य में क्यों गतिरोध उत्पन्न हुआ और वह कार्य पूरा नहीं हो सका और कब पूर्ण करा लिया जायगा ? और कितने गांव विद्युतीकरण से वंचित रह गये हैं ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, यह योजना दिसम्बर, १९७२ में शासन ने स्वीकार की थी । यह योजना ५२.७८० लाख रुपये की थी और इसके अन्तर्गत जहां तक विशुनपुरा

[श्री रवीन्द्र किशोर शाही--]

विकास खंड का प्रश्न है, उसके २९ ग्रामों में विद्युतीकरण होने वाला था, उनमें से १३ ग्रामों में काम किया गया है, शेष में अभी काम नहीं हुआ है। आशा है कि सन् १९७८ तक काम पूरा हो जायगा। विलंब इसलिए हो गई क्योंकि इस कार्य-क्रम के अन्तर्गत ११९ ग्रामों में विद्युतीकरण होना था, जैसे राम कोला, बिसिवरिया आदि ग्रामों में, लेकिन जितने कनेक्शन्स अपेक्षित थे चाहे, वे उद्योग के लिए हों, चाहे वे सिंचाई के लिए, चाहे घरेलू लाइट एण्ड फैन के हों और चाहे ग्राम सभाओं द्वारा लाइन के कनैक्शन्स हों, उतने लोगों ने नहीं मांगे, इसलिए कार्य में प्रगति धीमी पड़ गयी। अब कोशिश की जा रही है कि लक्ष्यों की पूर्ति की जाय और शीघ्र कार्य समाप्त किया जाय।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आर० ई० सी० स्कीम पूरे प्रदेश में जगह-जगह पर चल रही है, यदि कनैक्शन्स पहले से नहीं लिए जायेंगे, प्रार्थना-पत्र नहीं प्राप्त होंगे, वह काम रुक जायगा ? यदि नहीं, तो फिर जगह-जगह पर काम क्यों रोका गया है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

इस ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना के अन्तर्गत हमें केन्द्र से पैसा प्राप्त होता है। उसके लिए हमें पहले स्कीम भेजनी पड़ती है और उस स्कीम में गांवों का पिछड़ापन भी देखना होता है। हमें यह भी उन्हें सूची देनी होती है कि अगर वहां पर बिजली की लाइन ले जायी गयी और विद्युतीकरण हुआ, तो ये, ये काम होंगे, अर्थात् इतने उद्योग के, इतने सिंचाई के, इतने लाइट एण्ड फैन के और इतने स्ट्रीट लाइट के कनैक्शन्स मिलेंगे। केन्द्रीय सरकार हमें पूरा धन एकमुश्त में भी नहीं देती है। अलग-अलग योजना सबमिट होती है, उनके लिए अलग-अलग पैसा मिल सकता है और जब पहली किस्त मिल जाती है, तो उसे खर्च करने के बाद जब हम दूसरी किस्त मांगते हैं, तो केन्द्रीय शासन हमारी परिषद् के लक्ष्यों की प्रगति और लाइन का एक्सपेन्शन और एक्सटेन्शन की प्रगति, दोनों की समीक्षा करके ही दूसरी किस्त दी जाती है। अगर वांछित संख्या में विद्युतीकरण के लिए प्रार्थना-पत्र नहीं प्राप्त होते हैं, तो हमें दूसरा और तीसरी किस्त लेने में बाधा पड़ती है। ये हमारी कठिनाइयां हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

मेरी सूचना को सही मानकर कि बिशुनपुरा के विद्युतीकरण के लिए जो मैटीरियल डिपार्टमेंट ने सप्लाई किया था, वह स्टोर्स से निकलकर, काले बाजार में चला गया और फिर नई धनराशि की मांग की जा रही है। इसलिए यह कार्य पूरा नहीं हो सका। क्या विद्युत मंत्री जी इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, माननीय सदस्य की सूचना का स्वागत है। इसके पूर्व ही वहां के अपने स्थानीय विधायक, श्री पुरुषोत्तम कौशिक से सूचना मिली थी और सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर को जांच के लिए सौंप दिया है।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आर० ई० सी० स्कीम का बहुत बड़ी तादाद में सामान वगैरह १५ खंडों में सब जगह पड़ा हुआ है और उनके छुटाने में क्या कठिनाई हो रही है, जिसके कारण यह पूरा नहीं हो रहा है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही---

मान्यवर, यह तो अलग प्रश्न है। विद्युत् परिषद् में धन की जो कमी है, वह भी माल छुड़ाने में व्यापक कारण बना है, क्योंकि कोई सामान ले लिया तो यह तो करते नहीं हैं कि सारे आइटम छुड़ा कर ले लिए और १० हजार खम्बे चाहिए तो २ हजार मिले। तो २ हजार की सप्लई ले ली और कंडेक्टर ८ चाहिए, बाजार में सुलभ नहीं हैं। जब तक कंडक्टर आये तब तक पैसा खत्म हो गया। यही कठिनाई है।

## विश्वबैंक की सहायता से बनाई गई कथित जल-सम्पूर्ति योजना

*९--श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से करीब ४ करोड़ रुपए की धनराशि की कोई वृहद जल सम्पूर्ति योजना वर्ष १९७६-७७ के लिए बनाई गई थी ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

जी नहीं।

श्री शम्भू नाथ चौधरी--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह ४ करोड़ से कम या अधिक विश्व बैंक की सहायता से उल्लिखित योजना के अतिरिक्त मिला है ? यदि हां, तो वह कितनी धनराशि है और वह योजना क्या है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

अभी उसकी कार्यवाही चल रही है।

श्री अध्यक्ष--

आपने यह पूछा है कि आपने कहा कि ४ करोड़ रुपया विश्व बैंक से जल सम्पूर्ति के लिए नहीं मिला, तो आपका कहना है कि क्या कोई और रकम या कोई और योजना जल-सम्पूर्ति के लिए मिली है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

मान्यवर, निवेदन किया कि प्राप्ति के लिए कार्यवाही चल रही है, प्रबन्ध नहीं हुआ है।

श्री शम्भू नाथ चौधरी--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि वह कौन सी कार्यवाही चल रही है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

इसके लिए एक तो केन्द्रीय सरकार से निवेदन करना पड़ता है और केन्द्रीय सरकार के पास स्कीम बनाकर भेजी गई है और वह इस सम्बन्ध में, उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता करती है।

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, उत्तर से सम्बन्धित । कहा है कि कार्यवाही चल रही है । मैं जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश शासन, विश्व बैंक से कितनी सहायता लेना चाहता है और कब तक उम्मीद है कि यह मिल जायगी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मुझे स्मरण है, कुल ४० करोड़ रुपए का विधान केन्द्रीय सरकार ने किया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें १० करोड़ की मांग की है ।

श्री मूल चन्द्र ठाकुर--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि किन-किन योजनाओं के लिए विश्व बैंक से बात चल रही है और किन-किन योजनाओं के लिए कितना रुपया स्वीकृत हो चुका है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

इसके लिए तो अलग से सूचना एकत्रित करनी होगी सारी योजनाओं के सम्बन्ध में ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि योजना आपने कब और कितने रुपए की भेजी और वह क्या है ?

श्री अध्यक्ष--

यह उत्तर दिया तो सही कि १० करोड़ रुपए की है ।

श्री शम्भू नाथ चौधरी--

क्या योजना है ?

श्री अध्यक्ष--

योजना कब भेजी, इतना उत्तर दे दें । केन्द्रीय सरकार को कब भेजी गई ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*१०--श्री रेवती शरण मौर्य (जिला मेरठ)--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में की गई मनमानी, धांधली और अनियमितताओं के विषय में दिनांक २७ दिसम्बर, १९७५ का कोई शिकायती-पत्र शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसके विषय में क्या तथ्य सामने आए और उसमें क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

जी हां, उक्त पत्र माननीय सदस्य महोदय का ही था, जिसमें सुधार मंडल, गाजियाबाद में की जा रही अनियमितताओं, मनमानी व धांधली का उल्लेख किया गया था और सर्वश्री ए० आर० रूशदी तथा जमशेद अली खां के शिकायती-पत्र

भी संलग्न किए गए थे। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद उस समय अस्तित्व में नहीं था। अतः उस समय उसमें की गई मनमानी, धांधली और अनियमितताओं के सम्बन्ध में कोई प्रश्न नहीं उठता है। यदि माननीय सदस्य का आशय उपर्युक्त पत्र से है और जिसके बारे में वे विगत विधान सभा के प्रथम सत्र १९७६ (के ५वें गुरु के लिए निर्धारित) तारांकित प्रश्न संख्या १५ के रूप में प्रश्न भी कर चुके हैं जिसका उत्तर विधान सभा का सत्रावसान हो जाने के कारण नहीं दिया जा सका था, तो उक्त मामले में जांच के फलस्वरूप यह जानकारी मिली है कि सर्वश्री ए० आर० रूशदी, जमशेद अली खां तथा श्री आर० एस० मौर्य ने दिनांक २५ अक्तूबर, १९७५ तथा २१ अक्तूबर, १९७५ में क्रमशः सुधार मंडल, गाजियाबाद की सूर्य नगर अथवा लोहिया नगर कालोनी में आवासीय प्लाट आबंटित करने हेतु प्रार्थना-पत्र दिए थे। माननीय सदस्य महोदय (प्रश्नकर्ता) ने भी एक प्रार्थना-पत्र दिनांक २१-१०-७५ को सूर्य नगर अथवा लोहिया नगर कालोनी में आवासीय प्लाट के आबंटन हेतु तत्कालीन सुधार मंडल, गाजियाबाद को दिया था।

उपर्युक्त व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य कई व्यक्तियों के भी प्रार्थना-पत्र भूखण्डों के आबंटन हेतु सुधार मण्डल गाजियाबाद को प्राप्त हुए थे। इन सभी आवेदन-पत्रों को तत्कालीन सुधार मण्डल को आबंटन समिति के समक्ष दिनांक १-१२-७५ को प्रस्तुत किया गया था और समिति ने उन पर विचार कर आवेदकों को आवश्यकतानुसार भूखण्डों के आबंटन करने का निर्णय लिया और इसकी सूचना सम्बन्धित व्यक्तियों को दे दी गई।

तत्कालीन सुधार मंडल, गाजियाबाद के प्लाटों के आबंटन का कार्य उसकी आबंटन समिति द्वारा किया जाता था और इसमें किसी व्यक्ति विशेष (जैसे उसके प्रशासक) का व्यक्तिगत रूप से कोई हाथ नहीं रहता था।

श्री रेवती शरण मौर्य--

जिन सज्जनों के शिकायती-पत्र माननीय मंत्री जी को मिले, वह क्या थे और कब प्राप्त हुए और कितने आवासीय प्लाट्स अब तक दिए जा चुके हैं ?

श्री अध्यक्ष--

जहां तक पत्रों का सवाल है वह तो आपको उत्तर में ही दे दिया है।

श्री रेवती शरण मौर्य--

मेरा पूछने का यह मतलब है कि कितने प्रार्थना-पत्र आये और कितनों को आवासीय प्लाट्स दिए गए ?

श्री अध्यक्ष--

हां, यह कहिए।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

जो आबंटन समिति की बैठक १ दिसम्बर, १९७५ को हुई उसके कार्यवृत्त के अनुसार निम्नलिखित के पक्ष में उपरोक्त कालोनियों में आवंटन किया गया था और इसमें २६ नाम उपलब्ध हैं। आप कहें तो नाम पढ़ कर सुना दूं ?

श्री अध्यक्ष--

नहीं, नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है और कितने प्रार्थना-पत्र आए थे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

यह कार्यवृत्त में नहीं है ।

श्री रेवती शरण मौर्य--

यह जो आवासीय प्लाट, एलाट किए गए थे इनकी लम्बाई-चौड़ाई कितन मीटर थी और ये किस कीमत पर एलाट किए गए ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

यह सूचना उपलब्ध नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, विभाग का कर्त्तव्य है कि जो सम्बन्धित जानकारी हो उसको पत्रावली में दे, क्योंकि जब २६ प्लाट एलाट किए गए तो स्वाभाविक है प्रश्न पूछा जायगा कि कितने प्रार्थना-पत्र आये और यह भी कि किस टाइप के वह थे । तो विभाग को आप थोड़ा इस बात की चेतावनी दीजिए कि प्रश्नों की सामग्री जो भेज वह पूर्ण भेजी जानी चाहिए ।

श्री रेवती शरण मौर्य--

अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैं आपकी बात से सहमत हूं लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मंत्री जी ने अपने उत्तर में जो बात रखी है वह आप देखें । मान्यवर, ७५-७६-७७ से यह मामला चल रहा है । आज यह प्रश्न आया है और इसके पहले भी यह सदन में आ चुका है । लेकिन फिर भी आज तक वह तमाम बातें, जो पूछी गयी हैं, उनका उत्तर नहीं मिल पाया है । मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि भविष्य में अगर कोई भी सदस्य किसी प्रश्न को पूछता है, तो उसका उत्तर सही तरीके से मिलना चाहिए ?

श्री अध्यक्ष--

आपने प्रश्न तो पूछा नहीं । यह तो आपने अपना मत प्रकट किया । नियमावली में प्राप्त कुछ अधिकारों के अनुसार आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उनका प्रयोग करके ।

## गोण्डा नगर के मोहल्ला पाण्डे बाजार व रकाबगंज स्थित शराबखानों एवं राधाकुण्ड स्थित ताड़ीखाने को स्थानान्तरित किए जाने की मांग

*११--श्री फजलुल बारी (जिला गोंडा)--

क्या आबकारी मंत्री को ज्ञात है कि गोंडा नगर में मोहल्ला पांडे बाजार स्थित शराबखाना के पास जुमा मस्जिद है ? उक्त शराबखाना से नमाजियों एवं वहां के नागरिकों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है और आए दिन शान्ति भंग होने का अन्देशा बना रहता है ? यदि हां, तो सरकार शराबखाने को अन्यत्र हटाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

यह सत्य है कि गोण्डा नगर में मोहल्ला पान्डे बाजार स्थित शराबखाने के पास जुमा मस्जिद है । इस शराब की दुकान के कारण कभी किसी प्रकार की शांति भंग होने की घटना नहीं घटित हुई । संभवतः इसलिए कि इस दुकान में आने-जाने के लिए मस्जिद के पथ के अलावा भी अन्य अनेक गलियां हैं । यह दुकान अपने

वर्तमान स्थान पर ५० वर्षों से अधिक से स्थित है, इस दूकान को अगले वर्ष से वर्तमान स्थान से हटाने पर विचार किया जायेगा ।

*१२--श्री फजलुल बारी--

क्या आबकारी मन्त्री को पता है कि गोंडा नगर के मोहल्ला रकाबगंज में जो देशी शराब की दूकान है उसके ठीक सामन मन्दिर है और लोग शराब पीकर मन्दिर में आकर बैठते हैं जिससे इबादतगाह की बेहुरमती होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस शराब की दुकान को अन्यत्र हटाने की कार्यवाही करने की कृपा करेगी ? क्या सरकार को यह भी ज्ञान है कि गोंडा नगर में मोहल्ला राधाकुंड स्थित ताड़ीखाना के ठीक बगल म इमामबाड़ा है जहां से मोहर्रम में मेंहदी उठती है ? इमामबाड़ा के बगल में ताड़ीखाना होने के नाते इबादतगाह की बेहुरमती होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसको वहां से इटाने के सम्बन्ध में कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

यह सही है कि मोहल्ला रकाबगंज में स्थित शराब की दूकान के सामने एक छोटा सा मन्दिर है । शराब पीकर लोग मन्दिर में आकर बैठते ह, एसी कोई सूचना शासन के पास नहीं है । इस दूकान को अगले वर्ष से वर्तमान स्थान से हटाने पर विचार किया जायगा । यह भी सत्य है कि मोहल्ला राधाकुंड स्थित ताड़ीखाने के निकट इमामबाड़ा है जहां से प्रतिवर्ष मेंहदी उठती है । यह दूकान वर्षों से यहां पर स्थित है और इससे किसी शान्ति भंग की घटना नहीं घटित हुयी । इस दूकान को अगले वर्ष से वर्तमान स्थान से हटाने पर विचार किया जायगा ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी, शराबखाने के पास जुमा मस्जिद है या जुमा मस्जिद के पास शराबखाना है । (हंसी)

श्री उदल--

मान्यवर, प्रश्नकर्ता और मन्त्री जी दोनों एक से हैं । (हंसी) ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर ।)

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, एक प्रश्न करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

शराबी लोग काफी अनुशासन और संयम में हैं ।

(हंसी)

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि शराबखाना, ताड़ीखाना मन्दिर और मस्जिद के पास हैं, तो मन्त्री जी मन्दिर या मस्जिद को हटायेंगे या ताड़ीखाने को हटायेंगे ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

माननीय सदस्य तो बहुत बुद्धिमान हैं ।

श्री फजलुल बारी--

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि शराबखाना और ताड़ीखाना इबादतगाह से कम से कम कितने फासले पर होना चाहिये ? और यह जो दूकानें बताई गयी हैं उनका इबादतगाह से कितना फासला है ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो मन्त्री जी ने उत्तर दे दिया कि उनको हटाने के लिये कार्यवाही करेंगे ।

श्री फजलुल बारी--

मान्यवर, मेरा सवाल दूसरा है । क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शराबखाने का फासला कितना है ? जैसा मन्त्री जी ने कहा कि शांति भंग नहीं हुई है, तो क्या जब शान्ति भंग हो जायगी तब इसको हटायेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, नियम में क्या है, यह तो मैं इस वक्त नहीं बता सकता । यदि नियम में न होता तो मन्दिर और मस्जिद के पास शराब की दूकान खुलती कैसे ?

श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने कि कृपा करेंगे कि इस प्रकार की शिकायतें आज से पिछले ३० वर्षों में भी की गयी थीं कि इनको हटाया जाय ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, हो सकता है शिकायत की गयी हो और पिछली सरकार ने कोई कार्यवाही न किया हो ।

श्री गुरु प्रसाद (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, जो शराबखाने स्कूल और कालेज के पास खोले गये हैं, उन शराबखानों को वहां से हटाने के लिए कार्यवाही करेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, जहां पर ऐसी सूचना मिल रही है, उसके सम्बन्ध में निश्चित रूप से कार्यवाही की जायगी ।

श्री गुरु प्रसाद--

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में एक स्थान रामपुर है, वहां पर एक कालेज है, उसके पास ही शराब की दूकान खोली गयी है ।

श्री अध्यक्ष--

यह तो उससे उठता नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, यह देखते हुए कि मन्दिर और मस्जिद के पास शराब की दूकानें नहीं होनी चाहिये और वे दूकानें जनता पार्टी की सरकार के आदेश से नहीं खोली गयी हैं, कांग्रेस सरकार के आदेश से खोली गयी हैं, तो माननीय मन्त्री जी

को यह कहने में क्या कठिनाई हो रही है कि अगले फाइनेन्शियल इयर से उन दूकानों को हटा दिया जायगा ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, अनेक दृष्टि से इन सारे विषय पर परीक्षण कराया जा रहा है, इसलिए तत्काल घोषणा करना सम्भव नहीं है ।

श्री राम प्रताप शास्त्री (जिला एटा)--

क्या माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री जी, जहां सदन के जन-सामान्य माननीय सदस्यों की भावनाओं की बात है कि शराब की दूकानें मन्दिर, मस्जिद और इमामबाड़े से काफी दूर फासले पर होनी चाहिए, उनकी भावनाओं का आदर करते हुए शराब की दूकानें मन्दिर, मस्जिद और इमामबाड़े से काफी दूर फासले पर रखने का आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, इस सुझाव पर विचार किया जायगा ।

बस्ती जिले की बभनान बाजार को टाउन एरिया बनाए जाने की मांग

*१३--श्री ओम प्रकाश (जिला बस्ती)---

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले की बभनान बाजार को टाउन एरिया बनाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने दिनांक १४ जुलाई, १९७७ को पत्र लिखा है ? यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले की बभनान बाजार को टाउन एरिया बनाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

जी हां ।

इस सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती से ४ अक्टूबर, १९७७ को आख्या प्राप्त हुई है जिसका परीक्षण किया जा रहा है ।

श्री ओम प्रकाश--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो आख्या जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती ने शासन को भेजी है, उसको देखते हुए क्या माननीय मन्त्री जी बभनान बाजार को टाउन एरिया घोषित करने की कृपा करेंगे, जिससे होने वाले सभी निकायों के चुनाव समय से हो जायं ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में पूरी आख्या नहीं प्राप्त हुई है, केवल अन्तरिम आख्या प्राप्त हुई थी, इसलिए जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती को लिखा गया है कि वह तुरन्त आख्या भेज दें, जिससे शासन को निर्णय लेने में देरी न हो ।

ललितपुर जिले के ग्राम धौर्रा में पेयजल की टंकी गिरने से मजदूर श्री गोपाल की मृत्यु

*१४--श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला ललितपुर) (अनुपस्थित)--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम धौर्रा, जिला ललितपुर में नव निर्मित पेय जल की टंकी जो एल० एस० जी० डी० द्वारा

[श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी---]

बनवाई जा रही थी, बनने के दौरान ही ३० जून, १९७२ को आंधी आने से गिर गई, जिसमें एक मजदूर श्री गोपाल नाई पुत्र बंशी नाई, निवासी धौर्रा की मृत्यु हो गई थी ? यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

जी हां ।

पिपरवासा पेय जल योजना (जनपद ललितपुर) के अन्तर्गत एक पेयजल टंकी के निर्माण का कार्य धौर्रा ग्राम में तत्कालीन स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग द्वारा ठेकेदार के माध्यम से कराया जा रहा था । दिनांक ३० जून, १९७२ को सांयकाल यह टंकी गिर गई जिसके फलस्वरूप एक मजदूर श्री गोपाल की मृत्यु हो गई ।

*१५--श्री जगन्नाथ प्रसाद--

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित]

*१६--श्री सुखपाल पाण्डेय--

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित]

## पूर्वी उत्तर प्रदेश के कतिपय जिलों की जल सम्पूर्ति योजनाओं से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र एवं नयी योजनाओं का निर्माण

*१७--श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया) तथा श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व विधान सभा के १ दर्जन सदस्यों ने दिनांक २२ अप्रैल, १९७७ को एक प्रार्थना-पत्र बलिया, देवरिया, आजमगढ़, गाजीपुर, बस्ती व गोरखपुर जिलों के शहरी व ग्रामीण जल-प्रदाय योजनाओं के कार्यान्वयन एवं रख-रखाव के सन्दर्भ में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को दिया था ? यदि हां, तो पत्र में वर्णित समस्याओं के समाधान हेतु क्या आदेश दिया गया और कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

इस प्रकार का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

*१८--श्री कृष्णा राय तथा श्री राम आधार--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वांचल के उपरोक्त ६ जिलों में वर्ष १९७२ के बाद से वाटर सप्लाई की कुल कितनी नई स्कीमें जलनिगम या पूर्व स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग द्वारा बनायी गई हैं व उन नई स्कीमों के बनाने पर सरकार का कुल कितना लाख रुपया खर्च हुआ है? उन नयी स्कीमों में से कुल कितने पर अब तक कार्य शुरू हुआ है, कितने पर नहीं और क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

पूर्वान्चल के प्रश्नगत ६ जिलों में वर्ष १९७२ से अब तक कुल ११५ जल सम्पूर्ति योजनायें विरचित (बनाई) की गई । उनकी कुल अनुमानित लागत १३५७ लाख रुपया है। जिनमें से २३ योजनाओं पर कार्य आरम्भ हो गया है और २७ अन्य योजनाओं के लिए पिछले माह स्वीकृति प्रदान की गई है और उन पर कार्य आरम्भ किया जा रहा है । शेष ६५ योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु औपचारिकतायें पूरी की जा रही हैं ।

श्री कृष्णा राय--

अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जितने जिलों का नाम लिया गया है, जैसे बलिया, आजमगढ़, बस्ती, देवरिया आदि के पिछड़ेपन को देखते हुये शीघ्र, और जो बाकी हैं, उनको ले लेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की सरकार संकल्पित है कि ३ साल से लेकर ७ साल के अन्दर प्रत्येक गांव में शुद्ध पेयजल की योजना लागू कर दी जायगी ।

श्री कृष्णा राय--

मान्यवर, ७ वर्ष जो कह दिया है, तो २ वर्ष कम करदें और ५ वर्ष रखें तो ज्यादा अच्छा होगा । क्योंकि कोई निश्चित नहीं है कि हम ७ वर्ष रहेंगे या २० वर्ष रहेंगे । इसलिए २ वर्ष हटाकर ५ वर्ष कर दें, तो अच्छा होगा ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी, इस पर गौर कर लें कि क्या यह अवधि घटाई जा सकती है ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने जो संकल्प दोहराया है, उसके संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि क्या जो अब तक २५ प्रतिशत वाली बात जिला परिषदों की, कर्जा लेने की थी, उसको समाप्त करके सब योजनाओं को अपने ही खर्चे पर चलाने के लिये शासन के निर्देश जारी हो गये हैं ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो कब जारी हो जायेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में तो नियम में परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी। लेकिन यह बात निश्चित है कि चूंकि स्वायत्त सेवी जो संस्थायें होती हैं, वह आटोनामस बाडी हैं, इसलिये उनकी ओर से प्रस्ताव हों । लेकिन पूर्व में मैंने निवेदन किया था कि स्वायत्त सेवी संस्थाओं की ओर से यदि प्रस्ताव नहीं आये गा, तो शासन की ओर से उन पर प्रभाव डाला जायेगा कि जनहित के लिये शासन को प्रस्ताव भेजे ।

## सुल्तानपुर जिले के ग्रामों हेतु जल सम्पूर्ति योजना की मांग

*१९--श्री उदय प्रताप सिंह (जिला सुल्तानपुर) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद सुल्तानपुर के अभावग्रस्त ग्रामों में जल आपूर्ति के अन्तर्गत अब तक कितने ग्रामों को लाभान्वित किया गया ? अगर नहीं किया गया, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

लाभान्वित नहीं किया गया ।

इस सम्बन्ध में जिला परिषद्, सुल्तानपुर का कोई प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ ।

*२०--श्री बाबू राम वर्मा--

[माननीय सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया।]

*२१--श्री रवीन्द्र सिंह--

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

झांसी एवं ललितपुर जिलों की जल सम्पूर्ति योजनायें

*२२--श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (अनुपस्थित)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला झांसी और जिला ललितपुर में कौन-कौन सी पेयजल की योजनायें स्वीकार कर ली गई हैं? क्या स्वायत शासन मन्त्री बतलायेंगे कि जून, १९७७ तक झांसी और ललितपुर जिले में जल निगम द्वारा कौन-कौन सी योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कर दिया है?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

संलग्नक-(1) में दर्शायी गयी जनपद ललितपुर की ६ जल सम्पूर्ति योजनायें और जनपद झांसी की १३ जल सम्पूर्ति योजनायें स्वीकार की गयीं।

ललितपुर की ५ योजनायें पूरी की जा चुकी हैं एवं १ पर कार्य किया जा रहा है।

जनपद झांसी की ८ पेयजल योजनायें पूरी की जा चुकी हैं एवं ५ पर जल निगम द्वारा कार्य किया जा रहा है। सूची ११ संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ट १०४६ पर)

*२३--श्री लाल दास तथा श्री गोकरन प्रसाद--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

*२४--श्री अजीत सिंह सेठी--

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

*२५--श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी--

[८वें गुरुवार के लिए स्थगित।]

*२६-२७--श्री ऊदल--

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

*२८--श्री श्रीनारायण--

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

लखनऊ, बजोरिया-हलवासिया मोटर सर्विस स्टेशन के कर्मचारियों की ग्रेच्युटी का भुगतान

*२९--श्री दीननाथ सेवक (जिला रायबरेली)--

क्या सरकार को ज्ञात है कि बजोरिया-हलवासिया मोटर सर्विस स्टेशन, लखनऊ के बन्द हो जाने से कर्मचारियों की सेवायें समाप्त हो गयी हैं और उन

कर्मचारियों की ग्रेच्युटी के भुगतान के सम्बन्ध में श्रम न्यायालय द्वारा फैसला दिसम्बर, १९७५ में हुआ था परन्तु उसका कार्यान्वयन अभी तक नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार उन कर्मचारियों को ग्रेच्युटी दिलाने के सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करने की कृपा करेगी?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

बजोरिया हलसिया सर्विस स्टेशन, लखनऊ के बन्द हो जाने के कारण १३ श्रमिकों की सेवायें १७ मार्च, १९७४ को समाप्त हो गयी थीं।

यह सही नहीं है कि इन श्रमिकों की ग्रेच्युटी के भुगतान में कोई फैसला श्रम न्यायालय द्वारा दिसम्बर, १९७५ में दिया गया था। बल्कि सेवायोजकों और इन १३ श्रमिकों के मध्य अलग-अलग १३ समझौते संराधन अधिकारी, लखनऊ के समक्ष विभिन्न तिथियों में हुए थे जिनमें कर्मचारियों की सेवा समाप्ति के बदले में एक मुश्त धनराशि का भुगतान किया जाना तय हुआ था। इन समझौतों के अनुसार 6 श्रमिकों को पूर्ण धनराशि का भुगतान किया जा चुका है, एक को आंशिक रूप से भुगतान किया जा चुका है तथा ६ श्रमिकों को भी जल्दी ही भुगतान करने का आश्वासन सेवायोजकों ने दिया है जिससे श्रमिक प्रतिनिधि भी सहमत हैं।

श्री दीनानाथ सेवक--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जो सेवा योजक और कर्मचारियों के बीच समझौता हुआ था, उसमें कब तक भुगतान किया जायगा, इसका समय क्या तय हुआ है?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, जिन व्यक्तियों को आंशिक भुगतान किया जा चुका है उन को पूरा बकाया नवम्बर के अन्त तक दिया जायगा। बाकी जो ६ व्यक्ति मान्यवर, बचते हैं, उनके सम्बन्ध में यह तय किया गया है कि जिस प्रकार उन के प्रतिनिधि कहेंगे उसी प्रकार से क्रमशः समस्त भुगतान ६ महीने के अंदर कर दिया जायगा।

श्री दीनानाथ सेवक--

मेरा मतलब यह कि इसके लिए कोई समय निश्चित है, दस साल, बीस साल, पचास साल, जब चाहेंगे तब भुगतान किया जायगा।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि जिन को आंशिक भुगतान हुआ है उन को नवम्बर के अंत तक पूरा भुगतान कर दिया जायगा। बाकी जो ६ व्यक्ति बचे हैं, उनको ६ महीने के अंदर भुगतान उन के समझौते के अनुसार किया जायगा।

## गाजीपुर जिले के औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र (आई० टी० आई०) का नए भवन में स्थानान्तरण

*३०--श्री अवधेश नारायण सिंह (जिला गाजीपुर)--

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र (आई० टी० आई०) के लिए १४ लाख रुपए की लागत से निर्मित नए भवन में अब तक औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र जो लगभग ५०० रुपए मासिक के

---

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या २९ के पश्चात् प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

[श्री अवधेश नारायण सिंह--]

किराए के मकान में चल रहा है उसको नए भवन में अब तक क्यों स्थानान्तरित नहीं किया गया और क्या सरकार यथाशीघ्र औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र को नए भवन में स्थानान्तरित करने की व्यवस्था करेगी ?

श्रम एवं आबकारी मन्त्री--(श्री गणेश दत्त बाजपेयी)--

गाजीपुर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के नए भवन का निर्माण अभी तक सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पूरा नहीं किया गया है, अतएव संस्थान को नए भवन में स्थानान्तरित नहीं किया जा सका है। भवन निर्माण कार्य को यथाशीघ्र पूरा कराने का प्रयास किया जा रहा है।

इलाहाबाद जिले की टाउन एरिया फूलपुर की सड़क की मरम्मत

*३१--श्री हर प्रताप सिंह (जिला इलाहाबाद)--

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद इलाहाबाद की फूलपुर टाउन एरिया की सड़क एवं गलियों का सुधार न होने से अधिक गन्दगी होने के कारण वहां की जनता मलेरिया से अत्यधिक पीड़ित रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

जिले से प्राप्त सूचना के अनुसार इस टाउन एरिया के अन्तर्गत सफाई की पर्याप्त व्यवस्था है और मलेरिया के प्रकोप की कोई शिकायत नहीं है। सड़कों व नालियों का निर्माण एवं मरम्मत का कार्य भी किया जा रहा है जिसके लिए उचित अनुदान दिया जा चुका है।

*३२--श्री अब्दुल वहीद--

[६वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या ४७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*३३--श्री राम दत्त जोशी--

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

वाराणसी जिले के टाउन एरिया गोपीगंज की काली देवी पड़ाव सड़क के निर्माण हेतु जमा धनराशि

*३४--श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गोपीगंज टाउन एरिया, वाराणसी ने एक लाख २३ हजार रुपया काली देवी के पड़ाव तक पीच रोड एवं नाली बनाने के लिए जमा किया था ? यदि हां, तो इस सड़क को आज तक क्यों नहीं बनाया गया ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

गोपीगंज टाउन एरिया, वाराणसी ने कालीदेवी के पड़ाव मार्ग एवं उसके दोनों तरफ नालियों तथा एक अन्य निर्माण कार्य के लिए एक लाख तेईस हजार रुपये सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास जमा किया था।

सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इस मार्ग का निर्माण पूर्ण करा दिया है तथा ६०० मीटर लम्बाई में इस मार्ग के एक तरफ नाला का भी निर्माण हो चुका है।

नाली के निर्माण का शेष भाग इस समय इसलिए स्थगित है कि कार्य के पूर्ण होने में विलम्ब को देखते हुए टाउन एरिया कमेटी द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग को दी गयी धनराशि में से अवशेष धनराशि को वापस करने की मांग की गयी है।

बाराबंकी जिले के प्राइवेट नलकूपों के काटे गये कथित विद्युत् कनेक्शन

*३५--श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जनपद में प्राइवेट नलकूपों के जो विद्युत् कनेक्शन १९७७ में काट दिए गए हैं और उन पर जो बिजली का बकाया है उसमें प्रत्येक नलकूप की धनराशि में कितने रुपए मिनिमम गारंटी के हैं और कितने रुपए कन्ज्यूम हुई बिजली की यूनिट के हैं? क्या सरकार तत्काल निर्णय लेने की कृपा करेगी कि मिनिमम गारन्टी की धनराशि माफ कर दी जाय और केवल कन्ज्यूम बिजली की धनराशि आसान किस्तों में वसूल की जाय और कनेक्शन जोड़ दिए जायं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

वर्ष १९७७ के अन्तर्गत बाराबंकी जनपद में किसी भी प्राइवेट ट्यूबवेल उपभोक्ता का विद्युत् संबंध नहीं काटा गया। अतः काटे गये उपभोक्ताओं के विद्युत् बकाया धनराशि का विवरण देने का प्रश्न नहीं उठता है।

प्राइवेट ट्यूबवेल उपभोक्ताओं से कोई मिनिमम चार्ज नहीं लिया जाता है। अतः उसको माफ करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

निजी नलकूप उपभोक्ताओं से बकाया धनराशि की ६ किस्तों में वसूली के आदेश दे दिये गये हैं क्योंकि वर्ष १९७७ में नलकूप कनेक्शन काटे ही नहीं गये हैं, इस कारण उनको जोड़ दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

कानपुर राज्य विद्युत् परिषद् के अधीक्षण अभियन्ता, श्री हरपाल सिंह के विरुद्ध सतर्कता विभाग की कथित सिफारिश

*३६--श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी दिनांक १ जनवरी, १९७१ से लेकर दिनांक १ सितम्बर, १९७७ तक राज्य विद्युत् परिषद् के अवर अभियन्ता और अधीक्षण अभियन्ताओं के भ्रष्टाचार के केस शासन ने सतर्कता विभाग के सुपुर्द किए? उनके प्रति आरोप क्या थे और जांच किन-किन के खिलाफ सिद्ध हुई? क्या यह भी सही है कि सतर्कता विभाग ने अधीक्षण अभियन्ता (हरपाल सिंह), कानपुर ने शासन से सिफारिश की थी कि इनको कम्पलसरी रिटायरमेन्ट दे दिया जाय परन्तु इसके बावजूद भी उनकी पदोन्नति कर दी गयी? यदि हां, तो क्यों?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

प्रश्न के प्रथम भाग में जो सूचना मांगी गई है उसको संकलित करने में जो श्रम और समय लगेगा वह इस सूचना की उपादेयता के अनुपात में न होगा।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, श्री हरपाल सिंह, अधीक्षण अभियन्ता, कानपुर के कम्पलसरी रिटायरमेन्ट के सम्बन्ध में कोई भी सिफारिश सतर्कता विभाग ने नहीं की थी, अतः प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

अल्कापुरी सहकारी गृह निर्माण समिति लि०, लखनऊ की भूमि का नगर महापालिका द्वारा अधिग्रहण

*३७ –३८––श्री भारत सिंह चौहान (जिला इटावा)––

क्या स्वायत शासन मन्त्री बतायेंगे कि क्या यह सही है कि आपात्काल में लखनऊ नगर महापलिका के अधिकारियों ने अल्कापुरी सहकारी गृह निर्माण समिति लि० की निराला नगर के निकट स्थित लगभग १४ बीघा भूमि अधिग्रहण कर ली है ? यदि हां, तो शासन समिति को उक्त भूमि वापस कराने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहा है ?

क्या मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत भूमि को महापालिका ने अधिग्रहण के बाद जिन्हें आबंटित किया है क्या वे आबंटी नगर महापालिका अधिकारियों से सम्बन्धित हैं ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय––

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लखनऊ की देशी शराब की दूकानों पर आबकारी मंत्री द्वारा मारा गया कथित छापा

*३९––श्री जनार्दन प्रसाद ओझा––

क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त महीने के उत्तरार्द्ध में लखनऊ शहर में कुछ शराब के ठेकों पर मन्त्री जी ने स्वतः अधिकारियों के साथ छापा मारा, जिसमें अवैध शराब की बोतलें, लेबिल तथा स्प्रिट के ड्रम तथा और बहुत से आपत्तिजनक एवं अवैध सामान मिला ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी––

अगस्त महीने के उत्तरार्ध में लखनऊ शहर में देशी शराब के ठेकों पर आबकारी मन्त्री जी ने स्वतः अधिकारियों के साथ कोई छापा नहीं मारा । प्रश्न नहीं उठता ।

*४०––श्री हुक्म सिंह परिहार––

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित ।]

बहराइच जिले के कस्बा भिनगा में स्प्रिट का लाइसेन्स दिये जाने की मांग

*४१––श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)––

क्या आबकारी मन्त्री को यह जानकारी है कि बहराइच जिले के कस्बा भिनगा में ६-१-१९७६ से स्प्रिट का कोई लाइसेन्स न दिए जाने के कारण हजारों रुपये का सरकारी राजस्व का नुकसान व जनता को महान कष्ट है ? यदि हां, तो भिनगा कस्बा में अब तक स्प्रिट का लाइसेन्स न देने का क्या कारण है और कब तक लाइसेन्स स्प्रिट दे दिया जायगा ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी––

बहराइच जिले के कस्बा भिनगा में दिनांक ६-१-७६ से स्प्रिट का लाइसेन्स न दिये जाने के कारण शासन को हानि अथवा जनता को महान कष्ट की संभावना नहीं है क्योंकि उपभोक्ता तो अपनी स्प्रिट की आवश्यकता जनपद की अन्य दुकानों

से पूरी कर ही लेते हैं। लाइसेन्स अभी तक न दिये जाने का कारण यह है कि जिलाधिकारी लाइसेन्स दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक छानबीन कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने अनुज्ञापी के चयन के लिये आवश्यक प्रचार करके आवेदन-पत्र मांगे हैं और शीघ्र ही लाइसेन्सी के चयन की कार्यवाही पूरी होने की आशा है।

लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र में विकास प्राधिकरण द्वारा अर्जित की गई कुछ भूमि को योजना से मुक्त करने की मांग

*४२—श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद लखनऊ का आलमबाग क्षेत्र बरगवां इलाके की भूमि, खसरा नं० ५५४, ५५५, ५५६ तथा ५५७ से भी अधिक है, को सरकार लैन्ड डेवेलपमेंट के अन्तर्गत ले रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त खसरा नम्बरों को मुक्त करने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

लखनऊ विकास प्राधिकरण की लखनऊ-कानपुर रोड नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत प्रश्नगत खसरों की भूमि से अधिक भूमि आर्जित की जा रही है। क्षेत्र का समुचित विकास हेतु प्रश्नगत खसरों की भूमि को योजना से मुक्त करना सम्भव नहीं होगा।

*४३—श्री राम अधार तथा श्री शतरुद्ध प्रकाश—

[७वें गुरुवार के लिए स्थगित।]

*४४—श्री गनेशी लाल चौधरी—

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

*४५—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[२६-६-७७ को तारांकित प्रश्न संख्या १ द्वारा उत्तरित]

*४६—श्री मित्र सेन—

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

*४७—श्री कैलाश नाथ सिंह तथा श्री सुखपाल पाण्डेय—

[७वें गुरुवार के लिए स्थगित।]

बाराबंकी जिले के ग्राम कोटवा धाम में विद्युत् तार से श्री राम कुमार की मृत्यु एवं दिया गया मुआवजा

*४८—श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)—

क्या विद्युत् मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम कोटवाधाम, विकास खण्ड दरियाबाद, जनपद बाराबंकी में दिनांक १५ अगस्त, १९७७ के आसपास बिजली के तार जमीन पर पड़े होने के कारण एक भैंस व एक २५-वर्षीय नवयुवक की बिजली करेन्ट से मृत्यु हो गई? यदि हां, तो मृत व्यक्ति के परिवार के लोगों को सरकार ने अब तक क्या सहायता की?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

जी हां।

[श्री रवीन्द्र किशोर शाही—]

दिनांक १४ अगस्त, १९७७ को ग्राम कोटवा धाम, जनपद बाराबंकी में पोल में लगे स्टे तार के सम्पर्क में एक भैंस आ गई जिसके फलस्वरूप वह दुर्घटना ग्रस्त हो गई। भैंस को बचाने के लिए एक युवक श्री राम कुमार पानी डालते हुए स्वयं भी बिजली के प्रवाह से दुर्घटना ग्रस्त हो गए।

मृतक के परिवार को एक हजार रुपये की धनराशि की क्षतिपूर्ति मुआवजा जिलाधिकारी/क्षतिपूर्ति आयुक्त, बाराबंकी के माध्यम से वितरण हेतु दिया जा चुका है।

*४९—श्री हुक्म सिंह परिहार—

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

## लखनऊ विद्युत् प्रदेय उपक्रम के बिलों में त्रुटियां एवं नए कनेक्शन न देने सम्बन्धी शिकायतें

*५०—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या विद्युत् मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ विद्युत् प्रदेय उपक्रम, लखनऊ द्वारा अपने उपभोक्ताओं को मनमाने यूनिटों के बिलों को भुगतान हेतु भेजने, प्राथमिकता के आधार पर नए कनेक्शन न देने तथा वहां के अधिकारियों द्वारा अभद्रपूर्ण व्यवहार किए जाने से सम्बन्धित अनेकों शिकायती-पत्र गत ३ मास में प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को दंडित किया? यदि जांच नहीं कराई गई, तो क्यों?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

गत तीन माह में लखनऊ विद्युत् प्रदेय उपक्रम के ८४,००० उपभोक्ताओं में से जुलाई में ९४, अगस्त में १०२ तथा सितम्बर में ९२ बिलों की त्रुटियों की शिकायतें प्राप्त हुईं जिनका तुरन्त निवारण कर दिया गया। इन त्रुटियों में मीटर पढ़ने में गल्ती होने, मीटर रीडरों द्वारा काल्पनिक रीडिंग भरने, बिल मशीनों द्वारा गल्ती हो जाने सम्बन्धी सभी त्रुटियां सम्मिलित हैं।

प्राथमिकता के आधार पर नये कनेक्शन न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई शिकायत इस अवधि में प्राप्त नहीं हुई है।

अधिकारियों द्वारा अभद्रतापूर्ण व्यवहार के सम्बन्ध में इस अवधि में केवल एक शिकायत एक सहायक अभियन्ता के विरुद्ध प्राप्त हुई है जिस पर मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत्) द्वारा जांच के पश्चात् सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को चेतावनी दी गई।

बिलों की गल्तियों के सम्बन्ध में दो मीटर रीडर मीटरों की रीडिंग में गल्तियों के लिए दोषी पाये गये और उन्हें दण्डित किया गया। इसके अतिरिक्त वाणिज्य सम्बन्धी मामलों में दो सहायक अभियन्ताओं के विरुद्ध मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत्) द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है।

*५१—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[११वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*५२—श्री राम बरन वर्मा—

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

## लखनऊ विद्युत् प्रदेय उप क्रम के बिलों में त्रुटियों सम्बन्धी शिकायत

*५३—श्री खान मोहम्मद आतिफ खां (जिला बहराइच)—

क्या विद्युत मन्त्री को इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं कि लखनऊ इलेक्ट्रिक सप्लाई अण्डरटेकिंग से उपभोक्ताओं को भेजे जाने वाले इलेक्ट्रिक बिल बिना मीटर की रीडिंग किए अनुमान से बनाए जाते हैं जो आम तौर पर कन्जम्प्शन से बहुत ज्यादा होते हैं ? इसी प्रकार कन्सट्रक्शन शाखा में भी अनियमित ढंग से कनेक्शन दिए जाते हैं और इसकी आम जनता द्वारा जानकारी चाहने पर वहां के अधिकारीगण (विशेषतः श्री एच०के०डी० शर्मा, अधिशासी अभियन्ता, कामर्शियल) बड़े अभद्रपूर्ण व्यवहार करते हैं ; यदि हां, तो क्या सरकार इसका उचित प्रबन्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

लखनऊ विद्युत प्रदेय उपक्रम के ८४,००० उपभोक्ताओं में से हर माह औसतन १०० बिलों में त्रुटियों की शिकायत प्राप्त होती है जिनका तुरन्त निवारण किया जाता है। इन औसतन १०० त्रुटियों में मीटर पढ़ने में गल्ती होने, मीटर रीडरों द्वारा काल्पनिक रीडिंग भरने बिल मशीनों द्वारा गल्ती हो जाने आदि सम्बन्धी सभी त्रुटियां सम्मिलित हैं।

बिलों की गल्तियों के सम्बन्ध में दो मीटर रीडर मीटरों की रीडिंग में गल्तियों के लिए दोषी पाये गये और उन्हें दण्डित किया गया। इसके अतिरिक्त वणिज्य सम्बन्धी मामलों में दो सहायक अभियन्ताओं के विरुद्ध मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत्) द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है।

साधारणतः बिल मीटर रीडिंग के आधार पर बनाये जाते हैं किन्तु निम्न-लिखित अवस्थाओं में बिल पूर्व उपभोग के औसत के अधार पर निर्धारित नियमों के अनुसार बनाये जाते हैं :—

(१) जब मीटर रीडिंग के समय उपभोक्ता के मकान पर ताला बन्द मिले।

(२) जब मीटर जला हुआ या दोषपूर्ण हो। प्राथमिकता के आधार पर नये कनक्शन न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। श्री एच० के० डी० शर्मा के अधीन नये कनेक्शन का कार्य नहीं आता है, और इस सम्बन्ध में उनके विरुद्ध कोई शिकायत भी प्राप्त नहीं हुई है। अधिकारियों के अभद्रतापूर्ण व्यवहार के सम्बन्ध में एक शिकायत एक सहायक अभियन्ता के विरुद्ध प्राप्त हुई है जिस पर अनुशासनिक कार्यवाही की गई है।

*५४—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

*५५—श्री रफी उल्लाह—

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

*५६—श्री राम सजीवन—

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित ।]

*५७—श्री रामकृष्ण—

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित ।]

आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा सराय रुस्तम में मकान निर्माण की योजना तथा विस्थापितों के पुनर्वास की व्यवस्था

*५८—डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल (जिला आगरा)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आगरा विकास प्राधिकरण कटघर ईदगाह, सराय रुस्तम, आगरा स्थित करीब १५० मकान, जिनमें बाल्मीकि, जाटव, काछी, कोली तथा मुस्लिम वर्ग के गरीब लोग निवास करते हैं, को गिरा कर उनके स्थान पर आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए क्वार्टर निर्मित कराये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या शासन इस योजना पर पुनर्विचार करके सन्दर्भित क्षेत्र को "मलिन क्षेत्र" घोषित करके विकास कराने की घोषणा करेगी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा सराय रुस्तम स्थित नजूल भूमि पर आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए २६९ मकान तीन चरणों में बनाने की योजना है । इस भूमि का कुछ भाग खाली पड़ा है जबकि दूसरे भाग में कुछ लोग अनधिकृत रूप से कब्जा करके मकानों, झोपड़ियों आदि में रह रहे हैं । इन व्यक्तियों को यथासम्भव नये मकानों में बसाने के बाद ही उनसे अनधिकृत कब्जे वाली भूमि खाली कराई जायेगी । उक्त योजना पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है ।

*५९—डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल—

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित ।]

*६०—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित ।]

लखनऊ में लाल कुआं व टूड़ियागंज की देशी शराब की दुकानों का निरीक्षण एवं अनुज्ञापियों पर लगाया गया अर्थदण्ड

*६१—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि २० अगस्त, १९७७ को उप-आबकारी मन्त्री ने लखनऊ नगर के लालकुआं, नाका हिंडोला, टूड़ियागंज आदि क्षेत्रों में शराब की भट्टियों पर छापा मरवाया एवं कुछ आपत्तिजनक सामग्री मिली ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गणेश दत्त वाजपेयी—

दिनांक २० अगस्त, १९७७ को उप-आबकरी मंत्री द्वारा कोई छापा नहीं मरवाया गया । दिनांक १९ अगस्त, १९७७ को उनकी उपस्थिति में जिला आबकारी अधिकारी ने केवल लालकुआं व टूड़ियागंज (विक्टोरियागंज) की देशी शराब की दुकान का निरीक्षण किया था । दुकान पर पायी गई त्रुटियों के लिए अनुज्ञापियों

को क्रमशः ३०० रुपये व ६०० रुपये के अर्थदण्ड से जिला आबकारी अधिकारी, लखनऊ ने प्रशमित किया है। धनराशि खजाने में अनुज्ञापियों द्वारा जमा की जा चुकी है।

*६२—श्री हरिकेवल प्रसाद—

[२२ सितम्बर, १९७७ को अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या १ द्वारा उत्तरित।]

## लखनऊ नगर महापालिका द्वारा मकानों का आबंटन एवं आवंटियों के निजी मकान

*६३—श्री दीप नरायन (जिला गोंडा)—

क्या स्वायत शासन मन्त्री को जानकारी है कि लखनऊ नगर महापालिका द्वारा लखनऊ नगर में निर्मित अधिकतर भवन ऐसे व्यक्तियों को आवंटित हैं जो अपने निजी मकानों को अधिक किराये पर उठाए हुए हैं और स्वयं कम किराए के महापालिका के भवनों में रह रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी अविलम्ब जांच कराके ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*६४—डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

अतारांकित प्रश्न

१—श्री जगन्नाथ प्रसाद (खीरी)—

[माननीय मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

२—श्री उदय प्रताप सिंह—

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

३—श्री श्रीनारायण—

[७वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या ८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

## कानपुर के उद्योगपतियों पर बकाया बिजली बिलों की धनराशि

४—श्री बाबू राम शुक्ल—

क्या विद्युत मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर के किस-किस उद्योगपति पर दिनांक ३० अगस्त, १९७७ को बिजली के बिलों का कितना रुपया बकाया था तथा शासन इस बकाया धन की वसूली के लिए क्या कार्यवाही कर रहा है?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

कानपुर में ३० अगस्त, १९७७ तक बिजली के बिलों के संबंध में ४५ उद्योगपतियों पर ३,६८,८९,५३०·३० रुपये की धनराशि बकाया थी। इन उद्योगपतियों के नाम, उनके विरुद्ध बकाया धनराशि और वसूली के लिए की गई कार्यवाही की सूचना संलग्न है।

*छापी नहीं गयी।

५—श्री जयराम—

[१०वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या १७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

गोण्डा नगर में ताड़ी एवं देशी शराब की दुकानों का निर्धारित स्थान

६—श्री फजलुल बारी—

क्या आबकारी मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा नगर में इस समय कितनी देशी शराब की और ताड़ी की दुकानें हैं और उनका ठेका किन-किन स्थानों के लिए दिया गया है ? क्या ये दुकाने सरकार द्वारा निर्धारित स्थानों पर हैं ? अगर नहीं, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

गोण्डा नगर में इस समय कुल ५ देशी शराब की तथा दो ताड़ी की दुकानें हैं । उनमें से देशी शराब के ठेके गोलागंज नौशहरा, पूरेघोसी, फोरबिसगंज तथा साहबगंज स्थानों के लिए एवं ताड़ी के ठेके चौक तथा बड़गांव स्थानों के लिए दिये गये हैं । गोलगंज, नौशहरा एवं पूरेघोसी की देशी शराब की दुकानें एवं उक्त दोनों ताड़ी की दुकानें निर्धारित स्थानों पर नहीं है । क्योंकि उन मुहल्लों में दुकानें सम्भवतः उपलब्ध नहीं हो सकीं थी । जिन स्थानों पर अब दुकानें हैं वह निर्धारित स्थानों के करीब हैं । लेकिन चूंकि यह दुकानें इन स्थानों पर गत कई वर्षों से स्थित हैं अतः इनके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है ।

७—श्री बनारसी दास चांदना—

[१४ सितम्बर, १९७७ को वक्तव्य हो जाने के फलस्वरूप निरस्त ।]

८—डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल—

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित ।]

९—श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा—

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थागित ।]

आचार्य नरेन्द्र देव महापालिका महिला महाविद्यालय, कानपुर में नियुक्त किये गये हरिजन कर्मचारी

१०—श्री मोती राम (जिला कानपुर)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि कानपुर नगर महापालिका द्वारा संचालित आचार्य नरेन्द्र देव महापालिका महिला महाविद्यालय, कानपुर में सन् १९७३-७४, १९७४-७५, १९७५-७६, १९७६-७७ एवं १९७७-७८ में कर्मचारियों की कितनी नियुक्तियां (पदानुसार) की गईं तथा उनमें कितने हरिजन कर्मचारी थे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

वांछित सूचना परिशिष्ट—१ के रूप में संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १०४८ पर)

हरदोई सेवायोजन कार्यालय द्वारा कथित पक्षपात

११—श्री धर्मराज सिंह (जिला हरदोई)—

क्या सरकार को मालूम है कि हरदोई जिला सेवायोजन अधिकारी के कार्यालय में लगभग पिछले एक वर्ष से बेकार लोगों को नौकरी दिलाने के लिए

नामों को भेजने में पक्षपात हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर इस सम्बन्ध में कार्यवाही करेगी ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

जी नहीं । पिछले एक वर्ष से ऐसी कोई तथ्यात्मक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । जांच कराने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

१२--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित]

लखनऊ की डायमंड डेरी गृह स्थान योजना हेतु भूमि का अधिग्रहण एवं मुआवजा का भुगतान

१३--श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद), श्री हरिचरण यादव (जिला सुल्तानपुर), श्री बृजलाल (जिला सुल्तानपुर) तथा डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश" (जिला कानपुर)--

क्या स्वायत शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित डायमंड डेरी गृह स्थान योजना के अन्तर्गत भूस्वामियों की अर्जित भूमि का क्षेत्रफल क्या है ? मुआवजा देने का रेट क्या है तथा भूस्वामियों को मुआवजा दे दिया गया ? क्या प्राथमिकता के आधार पर भूस्वामियों को भी बने मकान एलाट किए गए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कितने मकान किन-किन व्यक्तियों को एलाट किए गए ह ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा कार्यान्वित डायमन्ड डेरी गृह स्थान योजना, लखनऊ के अन्तर्गत अर्जित की गई भूमि का कुल क्षेत्रफल ३·७३ एकड़ है ।

उक्त योजना के अधीन अर्जित भूमि तथा भवनों का अभिनिर्णय अभी घोषित नहीं किया गया है । अभिनिर्णय का प्रश्न राजस्व परिषद्, कलेक्टर, लखनऊ के अधीनस्थ विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के विचाराधीन है ।

जी नहीं । अभिनिर्णय घोषित होने के उपरान्त ही दिया जाना सम्भव है ।

आवास परिषद् की नीति के अनुसार सभी भू-स्वामियों को प्राथमिकता से भवन आवंटन किये जाने का प्राविधान है परन्तु इस योजना में किसी भू-स्वामी ने आवासी भवन हेतु विधिवत् प्रार्थना पत्र देते हुए पंजीकरण नहीं कराया है ।

प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

१४--डाक्टर भगवत दयाल--

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित ।]

कानपुर जिले में घाटमपुर-साढ की विद्युत् लाइन द्वारा विद्युत् की आपूर्ति

१५--श्री राम आसरे अग्निहोत्री (जिला कानपुर)--

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जनपद के घाटमपुर से साढ तक बिजली के खम्भे लगा दिए गए ह पर उसमें बिजली

सप्लाई नहीं की गयी ? यदि हां, तो क्यों ? यह कार्य कब तक करा दिया जायगा ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

जी हां ।

वर्ष १९७२–७३ में इस लाइन का निर्माण किया गया था तथा उसी समय लाइन को चालू कर दिया गया था ।

इस लाइन पर कन्डक्टर की बहुधा चोरी हो जाने के कारण लाइन में बिजली प्रवाह बन्द कर दिया गया था और कन्डक्टर को उतार लिया गया था ।

जब कभी पर्याप्त मात्रा में उपभोक्ता कनेक्शन लेने के लिये आगे आयेंगे तब यह लाइन फिर से पूर्ण कर दी जावेगी तथा लाइन को चालू कर दिया जायगा ।

१६—श्री बेचू राम—

[२९–९–७७ को तारांकित प्रश्न संख्या १० द्वारा उत्तरित]

श्री सीता राम शुगर कं० लि०, बैतालपुर, जिला देवरिया के कर्मचारियों से मकान भाड़े के रूप में काटी गयी धनराशि

१७—श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि द्वितीय वेतन मण्डल की सिफारिशों की धारा ७ (९) के अन्तर्गत श्री सीताराम शुगर कं० लिमिटेड, बैतालपुर, जिला देवरिया ने कर्मचारियों से मकान भाड़ा के रूप में कुल कितना धन १९७५ से अब तक वसूल किया है ? क्या यह भी सही है कि उक्त धनराशि से मकानों की मरम्मत तक नहीं कराई गई है ? यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

श्री सीताराम शुगर कं० लि०, बैतालपुर, जिला देवरिया ने श्रमिकों से द्वितीय वेतन मंडल की सिफारिशों की धारा ७ (९) के अन्तर्गत मकान भाड़ा के रूप में वर्ष १९७४–७५ से ३१ अगस्त, १९७७ तक कुल धन २०,५७०.९८ रु० वसूल किया । यह कहना सही नहीं है कि उक्त धनराशि में से मकानों की मरम्मत नहीं कराई गई । स्थिति यह है कि मकानों की मरम्मत हेतु कुल धन १७,७६३.९२ रु० व्यय किया गया । इसके अतिरिक्त कालोनी की सड़कों की मरम्मत व सफाई में इन वर्षों में १,८१८.७५ रु० व्यय हुआ ।

१८—श्री अब्दुल हमीद खां—

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित]

झांसी शहर की कतिपय शराब की दुकानों के स्थानान्तरण की मांग

१९—डाक्टर भगवत दयाल (जिला झांसी)—

क्या आबकारी मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी शहर में कुछ देशी शराब की दुकानें राष्ट्रीय मार्ग व हरिजन बस्तियों में आबकारी नियमों के विरुद्ध चल रही है ? यदि हां, तो क्यों और क्या सरकार इनको हटाने के सम्बन्ध में कार्यवाही करेगी ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

झांसी शहर की एक देशी शराब की दुकान राष्ट्रीय मार्ग पर तथा २ दुकानें हरिजन बस्ती में और एक दुकान हरिजन बस्ती के निकट है। वे दुकानें वहां १९६९ के पूर्व आबकारी नियमों के अनुसार ही उक्त स्थानों पर खोली गयी थी। इन दुकानों को अगले वर्ष से वर्तमान स्थान से हटाने पर विचार किया जायेगा।

२०–२१—श्री ऊदल तथा श्री राम सजीवन—

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित]

२२–२३—श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित]

स्थगित किये गये प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री श्याधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, प्रश्नों के सम्बन्ध में एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। आप सूची देखें। लगभग दस प्रश्न माननीय मन्त्री जी की प्रार्थना पर स्थगित हुये। अब सूचना मिली है कि सत्र १८ तारीख तक चलेगा। इसके माने यह हुये कि ये प्रश्न इस सत्र में नहीं आयेंगे। हमें मालूम नहीं है कि सदन एडजर्न होगा, प्रोरोग होगा क्योंकि सरकार की तरफ से इसकी पूरी जानकारी नहीं है और न ही जानकारी हो सकती है। ऐसी दशा में सत्र के अंतिम दिनों में प्रश्न बाकी न रहे लेकिन मंत्रीगण या मन्त्री ८–१० सवाल इस तरह से प्रार्थना करके स्थगित कराते हैं इसमें आप व्यवस्था दें। हमलोगों ने आप से निवेदन किया था और आप ने अनुमति भी दी थी। सब मंत्रियों के पास राज्य मन्त्री हैं और उप मन्त्री हैं और अब तो यह परिपाटी भी है कि दूसरे मन्त्री दूसरे मन्त्री का जबाब देते हैं। एक मन्त्री नहीं हैं तो दूसरे मन्त्री जबाब देते हैं। आप इस पर अपनी व्यवस्था दें। अंतिम दिनों में प्रश्न स्थगित न होने पावें।

श्री अध्यक्ष—

ऐसा है जिन प्रश्नों को स्थगित किया गया है अकस्मात स्वास्थ्य मन्त्री जी की पुत्री गम्भीर रूप से बीमार हो गयी इसलिए उनके अनुरोध पर स्थगित कर दिये हैं। यह सही है कोई व्यवस्था होना चाहिए। वैसे १-२ तारीख को सदन की बैठक होगी तो मैं विचार करके ऐसी व्यवस्था करूंगा कि इन प्रश्नों को जब तक सदन हो ले लिया जाय।

## कार्य सूची में अंग्रेजी लिपि में कतिपय शब्दों के छपने होने पर आपत्ति

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, मैं आपका ध्यान नियम २८२ की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर २८२ में स्पष्ट प्राविधान है कि सभा का कार्य हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि में होगा। इस सम्बन्ध में कुछ दिन पूर्व माननीय शत्रुघ्न प्रकाश जी ने भी व्यवस्था उठाई थी। कार्य सूची में अभी तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। आज का कार्य सूची की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें तथा 'ग' में प्रश्न ५६ में डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल द्वारा अभिसूचित प्रश्न में लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध प्रिवेन्शन आफ करपशन ऐक्ट के अन्तर्गत कोई मामला सी० आई० डी० द्वारा दर्ज कराया गया था। मान्यवर, मेरी आपत्ति यह है कि जो नियम है वह यह है कि देवनागरी लिपि में हो। पिछले दिनों आपने कहा था कि कोष्ठक में हो, कोष्ठक में भी यह नहीं है स्पष्ट रूप से रोमन लिपि में और अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है। अतएव मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप स्पष्ट इस तरह के आदेश अपने कार्यालय को दें कि भविष्य में इस तरह नियम का उल्लंघन न किया जाय और...।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये इस पर बहस की आवश्यकता नहीं है।

(श्री शत्रुघ्न प्रकाश के खड़े होने पर)

आप बैठिये...।

श्री शत्रुघ्न प्रकाश (जिला वाराणसी)—

एक मिनट से अधिक समय नहीं लूंगा। मान्यवर, मेरा नाम इसमें लिया गया है...।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये । आपसे कह रहा हूं इसकी आवश्यकता नहीं है । मैं स्वयं अपनी व्यवस्था दे रहा हूं माननीय राजेन्द्र कुमार जी ने जो आपत्ति की है वह सही है कि प्रिवेन्शन आफ करप्शन ऐक्ट को देवनागरी लिपि में ही लिखा जाय । भविष्य में इस तरह की भूल नहीं होना चाहिये और इस बात का ध्यान रखा जायगा कि नियमों का अक्षरशः पालन किया जाय ।

## अटरिया रेलवे स्टेशन पर बदमाशों द्वारा ट्रेन ड्राइवर को गोली मारकर हत्या तथा लूटपाट करने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री अध्यक्ष--

श्री रामजीवन, ऊदल, पुरुषोत्तम कौशिक तथा गनेशी लाल जी के एक ही प्रकार की सूचनाएं हैं और राजेन्द्र कुमार गुप्त की सूचना भी मैलानी और अटरिया के बारे में है । इसलिये मैंने इसको स्वीकार किया है और ये सब नाम उनके साथ नत्थी कर दिये हैं ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शून्य प्रहर में शासन का ध्यान लोक महत्व की सुनिश्चित एवं अविलम्बनीय समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता में रेल यात्रा के लिये भय एवं आतंक का वातावरण उत्पन्न हो गया है ।

मान्यवर, ११-१०-७७ को प्रातः ७ बजे लखनऊ से मैलानी जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन ज्यों ही अटरिया स्टेशन पर रुकी कि बदमाशों ने गोली मार कर ट्रेन डाइवर की हत्या कर दी तथा वे हवाई फायर करते हुए भाग गये । जी० आर० पी० के जवान तमाशा देखते रहे ।

इसी प्रकार १२ अक्तूबर को प्रातःकाल ३ बजे कासगंज से कानपुर आने वाली पैसेन्जर गाड़ी ज्यों ही मैलानी जंकशन से छूटी कि आग्नेयास्त्रों से लैस लगभग १ दर्जन लुटेरे डिब्बों में घुस आये और पूरे डिब्बे के ८० यात्रियों का सारा सामान पिस्तौल की नोक पर लूट लिया ।

कुछ साहसी यात्रियों ने प्रतिरोध करने का प्रयास किया जिनमें से लगभग तीस व्यक्ति घायल हुए । पिस्तौल की गोली लगने से दो व्यक्ति राजीव तथा नताराम की हालत चिन्ताजनक है । महिलाएं भी लूटी गयीं । अन्य यात्रियों, जिन्हें लूटा गया उनमें लखीमपुर से प्रकाशित तीन सप्ताहिक समाचार पत्रों के सम्पादक भी हैं । लुटेरे साहस के साथ अगले स्टेशन पर लूट के माल सहित उतरकर चले गये । उस ट्रेन में पुलिस तथा जी० आर० पी० के जवान थे । मान्यवर, रेल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

प्रशासन केन्द्र का विषय है । परन्तु उत्तर प्रदेश के नागरिक लूटे गये हैं । शान्ति एवं व्यवस्था, जान माल की रक्षा यह प्रदेश प्रशासन का विषय है । मैं राज्य सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह रेल प्रशासन को कड़ी चेतावनी दे तथा स्टेशनों एवं चलती गाड़ियों में रक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिये सक्रिय एवं क्रियाशील कदम उठाने की कृपा की जाय । घायल व्यक्तियों की उपचार व्यवस्था ठीक हो ।

## भटपुरवा, थाना चन्दौली, वाराणसी में सवर्णों द्वारा हरिजनों को गोली मार कर घायल किये जाने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, मंगलवार दिनांक ११ अक्तूबर, १९७७ को वाराणसी स्थित थाना चन्दौली के अन्तर्गत गांव भटपुरवा में १८ हरिजनों को गोली मार कर घायल किया गया जिसमें पुरुष, स्त्रियां एवं बच्चे हैं । इस सम्बन्ध में १३ अक्तूबर, ७७ के दैनिक समाचार पत्र 'आज' में एवं १२ अक्तूबर, ७७ के दैनिक समाचार पत्र 'गांडीव' में समाचार प्रकाशित हुए हैं जिनके अनुसार श्री धरमात्मा सिंह, परमात्मा सिंह एवं श्री लाल बहादुर ने गांव के हरिजनों को प्रताड़ित किया एवं ऐसा बताया गया कि खेत पर बेगार न करने पर स्थानीय हरिजनों को काम करने के लिये डराया । इसके बावजूद भी हरिजनों द्वारा इनकार करने पर बन्दूक से गोली चलाई जिसके फलस्वरूप कई हरिजनों को गोली से चोट लगी है । समाचार पत्र में यह भी प्रकाशित हुआ है कि पूर्व शासन ने स्थानीय श्री लाल बहादुर को ज्यादा नसबन्दी का केस करवाने के फलस्वरूप बन्दूक का लाइसेन्स दिया था । उक्त गांव में इस घटना के फलस्वरूप काफी आतंक छा गया है एवं सम्पूर्ण वाराणसी जिले में हरिजनों में भयावह स्थिति उत्पन्न हो गयी है । मान्यवर, मुझे निश्चित जानकारी दी गई है कि उपरोक्त तीन व्यक्ति कांग्रेस पार्टी से सम्बन्धित हैं ।

अतः उपरोक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मैं आपकी अनुज्ञा से इस महत्वपूर्ण सूचना को आवश्यक कार्यवाही हेतु देता हूं ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)---

जनता पार्टी से सम्बन्धित हैं ।

(श्री अरुण कुमार के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष :

## गाजियाबाद जिला समाप्त या पुनर्गठन करने के प्रश्न पर सरकार की अनिश्चित नीति के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री सखावत हुसेन (जिला गाजियाबाद)---

मान्यवर, पिछली कांग्रेसी सरकार ने मेरठ जिले का अनावश्यक तथा अप्राकृतिक बंटवारा करके गाजियाबाद जिला बनाया था । इसके लिए न तो जनता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की मांग थी और न ही मेरठ जिले के चुने हुए नुमाइंदों की तथा स्थानीय संस्थाओं से इसके बारे में न कोई राय ली गई थी। इस बटवारे से नये गाजियाबाद जिले के बड़े भाग की जनता को लगातार परेशानियां तथा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण इस जिले को समाप्त करने या इसकी सीमाओं में तब्दीली की मांग लगातार उठाई जाती रही है वर्तमान सरकार बनने के बाद इस सरकार के अनेक जिम्मेदार व्यक्तियों ने इस जिले के समाप्त करने के सरकारी फैसले का एलान किया था, लेकिन किन्हीं नामालूम कारणों से इस फैसले पर अमल नहीं किया गया तथा जिले के मुश्तकबिल के बारे में अनिश्चितता का वातावरण बना रहा। इस वर्ष के बजट में गाजियाबाद जिले के बारे में कोई रकम मुहैया नहीं की गई, सरकारी दफ्तरों का निर्माण रोक दिया गया है।

जिले में विकास और लोक-कल्याण के सब काम या तो ठप्प पड़े हैं या पिछड़ गये हैं।

अतः मुख्य मंत्री जी से गाजियाबाद जिले की समाप्ति या पुर्नगठन सम्बन्धी सरकारी नीति को तुरन्त एक बयान के जरिये साफ करने के लिए कहा जाय।

## फासफैटिक तथा पोटेशिक खादों के दामों को कम करने की घोषणा के बावजूद दुकानदारों को शासनादेश जारी न किये जाने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा)--

मान्यवर, विधान सभा बजट भाषण में में सरकार ने फासफैटिक तथा पोटेशिक खादों के दाम को २० प्रतिशत कम करने की घोषणा कर दिया है किन्तु अभी तक सहकारी गोदामों, कृषि गोदामों तथा प्राईवेट दुकानदारों के यहां खाद उसी पुराने रेट पर ही बिक रही है। पूछने पर वह लोग बताते हैं कि सरकार का अभी तक कोई आदेश नहीं आया है, समाचार पत्र तथा आकाशवाणी प्रमाणिक नहीं है।

इधर अक्तूबर का महीना चल रहा है बोआई आरम्भ हो रही है। उधर सूखे का मारा, भूखा, नंगा व बाढ़ इत्यादि का मारा किसान पेट काट कर अधिक दाम पर खाद खरीद रहा है जिससे जनता में असंतोष तथा निराशा व्याप्त है।

अतः श्रीमान् जी के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि खाद के दामों में कमी किये जाने की घोषणा की सूचना अविलम्ब हर खाद गोदामों, प्राइवेटों दुकानदारों तथा उद्योगों को भेजी जाय।

## उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, १९७७

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १४९ के अन्तर्गत सदन को यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[सचिव, विधान सभा—]

सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी (संशोधन) विधेयक, १९७७ जो विधान सभा द्वारा दिनांक ५ अक्तूबर, १९७७ को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक १२ अक्तूबर, १९७७ को वापस प्राप्त हो गया है ।

सदस्यों की रिहाई के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा के वायरलेस संदेश दिनांक ११ अक्तूबर, १९७७ जो इस सचिवालय में दिनांक १२ अक्तूबर, १९७७ को प्राप्त हुआ, के अनुसार श्री गुलाब सेहरा तथा डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल, सदस्य विधान सभा (आगरा), जो दिनांक ७ अक्तूबर, १९७७ को भारतीय दंड विधान की धारा १८८ के अन्तर्गत आगरा में गिरफ्तार किये गये थे, को जूडिशियल मैजिस्ट्रेट (शहर) द्वारा दिये गये दो दिन के कारावास का दन्ड भोगने के उपरान्त दिनांक १० अक्तूबर, १९७७ के अपरान्ह में कारावास से रिहा कर दिया गया है । इन माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी की सूचना सदन में दिनांक ८ अक्तूबर, १९७७ को दी गई थी ।

अधीक्षक, जिला कारागार, रायबरेली के वायरलेस संदेश दिनांक १२ अक्तूबर, १९७७ जो इस सचिवालय में दिनांक १२ अक्तूबर, १९७७ को प्राप्त हुआ, के अनुसार—

(१) श्री मून्नू लाल द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा (रायबरेली) ।

(२) श्री रामदेव यादव, सदस्य, विधान सभा (रायबरेली) ।

(३) श्री मोहन लाल त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा (रायबरेली) ।

(४) श्री मोहन सिंह, सदस्य, विधान सभा (रायबरेली) को दिनांक १० अक्तूबर, १९७७ को रिहा कर दिया गया ।

श्री राम दुलारे, सदस्य, विधान सभा (रायबरेली) को दिनांक ११ अक्तूबर, १९७७ के सायंकाल रिहा किया गया है । इन माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी की सूचना सदन में दिनांक ५, ८ और १० अक्तूबर, १९७७ को दी गई थी ।

जिला मैजिस्ट्रेट, ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली के वायरलेस संदेश दिनांक ११ अक्तूबर, १९७७, जो इस सचिवालय में दिनांक १२ अक्तूबर, १९७७ को प्राप्त हुआ है, के अनुसार श्री रामेश्वर नाथ चौबे, सदस्य, विधान सभा (बरेली) को चीफ जूडिशियल मैजिस्ट्रेट, बरेली द्वारा चेतावनी दिये जाने के उपरान्त दिनांक १० अक्तूबर, १९७७ को सायंकाल रिहा किया गया है । श्री चौबे की गिरफ्तारी इत्यादि की सूचना सदन में दिनांक ६ और ८ अक्तूबर, १९७७ को दी गयी है ।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, मैंने भी शून्य-प्रहर की सूचना आपके कार्यालय में दी थी, उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष--

अभी आप बैठें, यह कोई सूचना नहीं है।

श्री कृष्ण मोहन लाल श्रीवास्तव, प्रवर वर्ग सहायक, गृह-पुलिस बीजा अनुभाग-३ के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न की अवहेलना के प्रश्न की सूचना†

श्री अध्यक्ष--

विशेषाधिकार की सूचना कल जो मुझे श्री मुहम्मद रफी खां ने दी थी, उस पर कल जैसा मैंने कहा प्रागदर्शन में सदन का अपमान हुआ है, लेकिन कल मैंने कहा था कि यह प्रश्न विचारणीय है कि क्या इसको समिति में भेजना चाहिए या और किसी ढंग से इस सम्बन्ध में अन्य कोई कार्यवाही की जानी चाहिए। तो इस सम्बन्ध में कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बात की घोषणा की थी कि उस कर्मचारी को निलम्बित कर दिया गया है और उसके विरुद्ध और कार्यवाही भी की जाएगी। इसलिए यह उचित नहीं जान पड़ता है कि इसको विशेषाधिकार समिति को भेजा जाए। क्योंकि लोक सभा की विशेषाधिकार समिति ने भी इस प्रकार का निर्णय लिया है कि इस प्रकार के अल्पवेतन भोगी कर्मचारियों के मामले विशेषाधिकार समिति के सामने भेजने से समिति की गरिमा नहीं बढ़ेगी और विशेषाधिकार और इस सदन के प्रति असम्मान का जो प्रश्न है, इस प्रकार के मामले में माननीय मुख्य मंत्री जी ने उनको निलम्बित किया है और आश्वस्त किया है कि उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। इसलिए कल माननीय मैनेजर सिंह जी ने भी कहा था कि एक ही अपराध के लिए दो दंड देना उचित नहीं है। यद्यपि इसमें सदन का अपमान हुआ है और उनका व्यवहार निन्दनीय है। चूंकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कार्यवाही शुरू कर दी है, इसलिए इसको मैं विशेषाधिकार समिति के सामने नहीं भेज रहा हूं और मैं समझता हूं कि जो कार्यवाही की जा रही है, वह पर्याप्त है।

*श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)--

मान्यवर, यह वाकिया निहायत अफसोसनाक है और इस पर जो ऐक्शन आपने लिया है, उसके लिए मैं आपका और साथ में मुख्य मंत्री जी का भी शुक्रगुजार हूं। यह मेरे लिए एक बड़ा हैरतअंगेज वाकिया था कि सेक्रेटेरियट के अन्दर एक आदमी इस तरह की हरकत करता है। मैंने कल अपने दो-चार आदमियों को इस विषय में बरलिंगटन होटल भेजा, जहां उसका दफ्तर है। वहां से मालूम हुआ कि वह दिमागी इसराज का मरीज है और दिमाग इतना ज्यादा खराब है कि घर पर अपनी मां को मारता है तथा वह हाई ब्लड प्रेशर का भी मरीज है...

श्री अध्यक्ष--

क्या आप सिफारिश करते हैं कि उसे मेन्टल असाइलम में भेज दिया जाए।

श्री मुहम्मद रफी खां--

जी हां, मैं तो यही कहूंगा कि इस सख्श का डाक्टरी मुआयना ठीक से करवा दिया जाए, ताकि किसी को कोई गलत सजा न मिलने पावे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†१२ अक्तूबर, १९७७ की कार्यवाही से।

## गृह मंत्री व जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक, एटा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

श्री देव बहादुर सिंह, सदस्य विधान सभा ने माननीय गृह मंत्री और एटा जिले के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध विशेषाधिकार के अवहेलना की सूचना दी है। माननीय सदस्य का कहना है कि "दिनांक २ अक्तूबर, १९७७ को कछला घाट जिला बदायूं में माननीय श्री नारायण दत्त तिवारी, नेता विरोधी दल को गिरफ्तार कर लिया गया जब कि वहां धारा १४४ लागू नहीं थीं; विधान सभा का सत्र चल रहा है और माननीय श्री नारायण दत्त तिवारी को जेल में बन्द करके उनके विधायी कार्यों में अवरोध उत्पन्न किया गया है। इस प्रकार माननीय गृह मंत्री, पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी, एटा ने विशेषाधिकार की अवहेलना की है। अतः इसमें उचित कार्यवाही हेतु मैं विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न को उपस्थित करता हूं।"

मैं देव बहादुर सिंह जी से पूछना चाहता हूं, उन्होंने स्वयं कहा है कि माननीय तिवारी जी को कछला घाट, जिला बदायूं में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उन्होंने सूचना दी है कि एटा जिले के जिलाधिकारी और एस० पी० के खिलाफ कि उसने विशेषाधिकार की अवहेलना की है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

गिरफ्तारी तो इन्होंने ही किया है, लेकिन गिरफ्तार बदायूं के एस० पी० और जिलाधिकारी को करना चाहिए था। इसमें ऐसा है कि कछला में गिरफ्तारी हुई है। यह बदायूं में है और एटा के जिला मैजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक ने गिरफ्तार किया है। दूसरी बात यह है कि दफा १४४ जब लागू की जाती है तो उसमें स्थान भी निर्धारित किया जाता है कि कहां-कहां के लिए लागू है। जहां गिरफ्तारी हुई है वहां पर दफा १४४ लागू नहीं थी। इसलिए यह गिरफ्तारी अवैध गिरफ्तारी है और विधायी कार्य में निश्चित रूप में अवरोध उत्पन्न करने के लिए की गई है। इसलिये विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न बनता है। यह जो पुस्तक है संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार, कौल और शकधर, उसके पृ० २१७ में यह लिखा है कि जब तक निरोध कानूनी तौर से वैधानिक न हो गिरफ्तारी अवैधानिक मानी जायगी। इसलिए पूर्णरूपेण यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न है। नेता विरोधी दल का जो विधायी कार्य है उसमें हस्तक्षेप है इसलिए विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है, इसलिए उचित कार्यवाही कराए।

श्री अध्यक्ष--

यदि किसी माननीय सदस्य को किसी भी धारा के अनुसार गिरफ्तार किया जाता है और जब किसी का मामला किसी न्यायालय के अन्दर हो, उस पर विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता है। इसकी सूचना मैं दे चुका हूं। माननीय तिवारी जी को गिरफ्तार करके एटा जेल के अन्दर रखा गया और मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया।

श्री देवबहादुर सिंह--

नहीं किया गया । आज तक नहीं पेश किया गया ।

श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)--

उनको बाहर लाना नहीं चाहते हैं क्यों कि सदन में बोलेंगे तो बड़ा नुकसान होगा ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये । आप लोग आपस में बात मत कीजिये । जिला मैजिस्ट्रेट एटा के तार, पत्र एवं वायरलेस दिनांक २ अक्तूबर, १९७७, जो इस सचिवालय में दिनांक ३ अक्तूबर, १९७७ को प्राप्त हुए, के अनुसार श्री नारायण दत्त तिवारी, नेता विरोधी दल को दिनांक २ अक्तूबर, १९७७ को साढ़े दस बजे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अन्तर्गत परगना मजिस्ट्रेट, कासगंज द्वारा जारी किये गये आदेश दिनांक २ अक्तूबर, १९७७ का उल्लंघन करने के कारण भारतीय दंड विधान की धारा १८८ के अन्तर्गत पुलिस द्वारा अपनी शक्तियों के प्रयोग में स्थान कछला घाट, थाना सोरों, जिला एटा में गिरफ्तार किया गया और इन्हें सात दिन के न्यायिक रिमांड पर जिला कारागार, एटा में रखा गया है । उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष की व्यवस्थाओं के संकलन, १९५२-१९६७ के पृष्ठ ५०१ पर निर्णय संख्या ४५ के अनुसार सदस्यों की गिरफ्तारी की सूचना न मिलना, सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना है, गिरफ्तारी के कारणों का असत्य होना नहीं, न उन कारणों का प्रतिवाद ही सदन में किया जा सकता है । इसमें दिया गया है, पृ० ५०१ पर, १३ मार्च, १९७४ को श्री गेंदासिंह की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में उठाये गये विशेषाधिकार की अववेलना के प्रश्न पर अपना निर्णय देते हुए श्री अध्यक्ष ने कहा--

"चूंकि माननीय सदस्य को जेल में ६ दिन से अधिक रोकने में अवैध मोलेस्टेशन दिखायी देता है जिससे वह सदन की सेवा या उपस्थिति से वंचित रहे, इस कारण प्राथमिक विश्लेषण में विशेषाधिकार की अवहेलना जेल सुपरिनटेंडेंट द्वारा होना प्रतीत होता है । अतः मैं इस प्रश्न को, जिसमें माननीय गेंदा सिंह ने जेल सुपरिनटेंडेंट पर विशेषाधिकार की अवहेलना करने का आरोप लगाया है, विशेषाधिकार समिति के विचारार्थ निर्देशित करता हूं ।"

लेकिन बाद में अध्यक्ष ने कहा कि जहां तक सदन को सूचना देने का विषय है, यह सदन का विशेषाधिकार है कि जिस वक्त किसी माननीय सदस्य की गिरफ्तारी हो फौजदारी के मामले में, तो उसकी सूचना वह मुझ को दे । इस विशेषाधिकार की पूर्ति के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कानपुर ने यह सूचना इस सदन को दी । तो उस सम्बन्ध में यह प्रश्न उठ नहीं सकता ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

एक सेकेन्ड सुन लीजिए ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिए ।

श्री श्याम धर मिश्र--

मान्यवर, मेरी बात सुन लीजिए । मामला तो न्यायालय में है । उसके सम्बन्ध में प्रश्न नहीं उठता । जो आपकी रूलिंग है वह मान्य है, लेकिन प्रश्न यह

[श्री श्यामधर मिश्र]

है कि जो सूचना वहां से आयी है जिला मजिस्ट्रेट से जिसको आपने पढ़कर सुनाया कि धारा १४४ को भंग किया । श्री देव बहादुर सिंह जी कह रहे हैं कि वहां पर धारा १४४ लागू नहीं थी और इस विशेषाधिकार को जानने के लिए आपको कमेटी होनी चाहिए धारा १४४ लगी थी या नहीं । मामला तो न्यायालय के विचाराधीन है । इसकी जांच होनी चाहिए, इसलिए आपके सामने प्रस्तुत किया गया है ।

श्री देव बहादुर सिंह—

धारा १४४ में यह स्थान निर्धारित होता है कि कहां-कहां लागू है । आप उसकी प्रतिलिपि मांग लें और जहां पर तिवारी जी गिरफ्तार हुए हैं वहां पर धारा १४४ लागू नहीं थी । गिरफ्तारी करने के बाद आज तक अदालत के सामने प्रस्तुत ही नहीं किया गया है । इसको आप देख लें ।

श्री अध्यक्ष—

प्रत्येक प्रश्न पर विवाद की आवश्यकता नहीं है । यह ग्राह्य है या नहीं, यह निर्णय करना अध्यक्ष का कर्त्तव्य है । मैंने यह आपको सूचना दी । मजिस्ट्रेट ने वारन्ट इशू किया और उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया । अब यह प्रश्न कि १८८ में उनकी गिरफ्तारी वैध है अथवा नहीं, इसका निर्णय न्यायालय करेगा और जब तक निर्णय प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है । जब यह निर्णय हो जाये कि उनकी गिरफ्तारी मैलाफाइडी थी वहां पर धारा १४४ लागू नहीं थी, उस समय विशेषाधिकार (शोर) । आप लोग शांत रहिए । तो न्यायालय के सामने तिवारी जी का अपना जवाब हो सकता है, कि वहां पर धारा १४४ लागू नहीं थी इसलिए गिरफ्तारी विधान के विरुद्ध है और यह सिद्ध हो जाये तो न्यायालय उनको छोड़ सकता है । श्यामधर जी, आप यह जानते हैं कि कानून अन्धा होता है ।

श्री श्यामधर मिश्र—

बिल्कुल अन्धी सरकार है ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग शान्त रहिए । इस प्रकार का इत्तफाक १९५७ में तिवारी जी और श्री राज नारायण के विरुद्ध था तब अध्यक्ष ने यह निर्णय किया । इसीलिए मैं इसको अग्राह्य करता हूं ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये । मैंने अग्राह्य कर दिया है । जो कुछ रियासत साहब कह रहे हैं वह प्रोसीडिंग में नहीं लिखा जायेगा मैंने निर्णय दे दिया है । पहले आप बैठ जाइये । मैं विवाद की अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री रियासत हुसैन—

[× × ×]

---

नोट—[× ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष--

मैं कोई अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

आप लोग कृपया शान्ति बनाये रखें ।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है आप आज की कार्य सूची को अगर देखें तो हर जगह उसमें नम्बर २ पर सदस्यों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचनायें लिखा हुआ है मैं इसी बात पर व्यवस्था चाहता हूं ।

जब कि कोई भी माननीय सदस्य कहीं भी गिरफ्तार हो तो उस जिले के जिला अधिकारी की जिम्मेदारी हो जाती है कि वह सूचना दें कि हमने फलां-फलां सदस्य को गिरफ्तार किया है । तो गिरफ्तारी की सूचना उसी जिलाधिकारी से आनी चाहिए जिसने माननीय सदस्य को गिरफ्तार किया हो । माननीय तिवारी जी को बदायूं जिले में गिरफ्तार किया गया और उनकी गिरफ्तारी की सूचना बदायूं के जिला अधिकारी द्वारा ही भेजनी चाहिये थी । किसी भी माननीय सदस्य को बन्दी करने और उसके कारण उसके बारे में घोषणा करने का प्राविधान नहीं है हमें तो गिरफ्तारी की सूचना मिलनी चाहिये थी ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग कृपया शान्ति से बैठिये । आप लोग बैठिये ।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)--

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह एक व्यवस्था का प्रश्न है.... ।

श्री अध्यक्ष--

व्यवस्था पर व्यवस्था नहीं होती है ।

नियम ८० की ओर मैं माननीय रियासत हुसैन जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब कोई सदस्य किसी दोषारोप या किसी दंड अपराध के लिये बन्दी किये जायें या उन्हें किसी न्यायालय द्वारा कारावास का दन्डादेश दिया जाय या किसी कार्य-पालिका के आदेश के अन्तर्गत निरुद्ध किया जाय, तो यथास्थिति न्यायाधीश या दंडाधिकारी या कार्य-पालिका प्राधिकारी अनुसूची में दिये गये समुचित प्रपत्र में यथास्थिति, बन्दीकरण, निरोध या दोषसिद्धि के कारण तथा सदस्य के निरोध या कारावास का स्थान भी दर्शाते हुए ऐसे तथ्य की सूचना शीघ्रता के साथ अध्यक्ष को देगा ।

रिहाई की सूचना के सम्बन्ध में इसका उल्लेख उसमें कहीं नहीं है जिसका माननीय सदस्य उल्लेख कर रहे हैं कोई भी व्यक्ति जो वारन्ट इशू करता है, अधिकारी है, यह उसका कार्य है कि गिरफ्तारी की सूचना भेजें उसी के अनुसार सूचना दी गयी है । यह नियम के विरुद्ध नहीं है ।

## कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम ५६ के अनुसार श्री श्यामधर मिश्र और श्री देव कुमार यादव दोनों को एक ही प्रकार की पृथक्-पृथक् सूचनाएं मुझे प्राप्त हुई हैं । जिनका विषय है,

[श्री अध्यक्ष]

१२ अक्तूबर, १९७७ को मेरठ जिला जेल में कैदियों तथा जेल कर्मचारियों में हुए झगड़े में घायल होना तथा श्री मन्जूर अहमद विधायक को भी चोटें आना। एक दूसरी सूचना श्री गुलाब सेहरा तथा डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल की है जो इस प्रकार है "दिनांक ४ अक्तूबर को आगरा में श्रीमती इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में निकाले गये शांति पूर्ण जुलूस पर जनता पार्टी के कार्य-कर्त्ताओं द्वारा ईटें फेंका जाना तथा ५ अक्तूबर को श्री गुलाब सेहरा, डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल, श्री सुरेन्द्र कुमार कालरा तथा अन्य ४० कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं को धारा ३९५ के अन्तर्गत गिरफ्तार किया जाना जो पहली सूचना है माननीय श्याम धर मिश्र और माननीय देव कुमार यादव की उस सिलसिले में कई माननीय सदस्यों सर्व श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, गनेशी लाल चौधरी और सोहन वीर सिंह तोमर आदि ने नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना दी है और मैंने उनको स्वीकार कर लिया है। इसलिए इसको कार्य-स्थगन के रूप में स्वीकार नहीं किया है।

श्री देव कुमार (जिला बांदा)--

मान्यवर, हमारा प्रस्ताव भी नियम ५१ के अन्तर्गत दी गई सूचना के साथ जोड़ दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

हां जोड़ दिया जायगा।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

मान्यवर, ४ अक्तूबर की घटना के सम्बन्ध में मैंने और माननीय कृष्ण बीर सिंह कौशल ने कार्य-स्थगन का प्रस्ताव दिया था....

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य मुझे इस सम्बन्ध में मेरे कक्ष में मिले थे तो मैंने उस वक्त भी उनसे अनुरोध किया था कि यह विधान सभा न्यायालय का अधिकार नहीं ले सकती है और न हम यह निर्णय कर सकते हैं कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। जब कोई भी मसला न्यायालय के सामने हो, चाहे वे कितना ही गम्भीर क्यों न हो...

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, न्यायालय में नहीं है। एक पक्षीय कार्यवाही हो रही है। ४० कांग्रेस वालों को धारा ३९५ के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है और शासन का दबाव का परिणाम है। दूसरी ओर कांग्रेसजनों ने जो एफ० आई० आर० दर्ज करायी है उनको गिरफ्तारी की कार्यवाही नहीं हो रही है और मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी के बावजूद भी गिरफ्तारी हो रही है। मान्यवर, फौजदारी के केसेज में उनको फंसाना कहां तक मुनासिब है?

(डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल के खड़े होने और कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल (जिला आगरा)--

मान्यवर, शांतिपूर्ण जुलूस पर पथराव करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को घायल किया गया है । मेरी प्रार्थना है कि इस पर जांच कराकर अपराधियों को दंडित किया जाय । एक तरफ मैजिस्ट्रीरियल इन्क्वायरी हो रही है और दूसरी तरफ गिरफ्तारी की गई है और प्रशासन अधिकारियों के ऊपर दबाव डाल कर उन्हें धारा ३९५ में गिरफ्तार किया जा रहा है । मेरी प्रार्थना है कि "गिरफ्तारियां रोक कर जुडीशियल या सी० आई० डी० इनक्वायरी कराके जो दोषी व्यक्ति है उन्हें दंडित किया जाय राजनीतिक कार्यकर्ताओं के ऊपर जो दमन जनता सरकार द्वारा किया जा रहा है वह गलत परम्परा है और इसके गम्भीर परिणाम होंगे ।

(व्यवधान)

मान्यवर, यह सारी कार्यवाही आगरा के एक जनसंघ एम० एल० सी० का दबाव डाल कर कराई जा रही है ।

(श्री रघुवर दयाल वर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

वर्मा जी आप बैठ जाइये ।

मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)--

मान्यवर, यह बात स्पष्ट है कि जो व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेकर कोई भी अवैध कार्यवाही करने का प्रयास करेगा, उसको शासन कभी भी बर्दास्त नहीं करेगा । इसलिए जिन लोगों न, चाहे वे कोई भी व्यक्ति रहे हों, उनके विरुद्ध कार्यवाही होगी । जिस प्रकार से रिपोर्टिंग हुई है, जांच चल रही है, मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी हो रही है, इसलिए उसके चलते रहना इस तरह से कहना उचित नहीं है । इसलिए इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि उस मैजिस्टीरियल जांच के सिलसिले में जो भी नेता या कार्यकर्ता या वक्ता, जिसका किसी भी राजनीनिक दल से सम्बन्ध नहीं है, वह कोई क्यों न हो, उसके खिलाफ अवश्य कार्यवाही होगी, यह समस्त सदस्य विश्वास कर लें ।

श्री अध्यक्ष--

कौशिक जी, अब इस पर विवाद नहीं होगा ।

श्री गुलाब सेहरा--

यह एक तरफा कार्यवाही हो रही है, इसको रोका जाय, इस पर आध घंटे की चर्चा स्वीकार करें ।

(व्यवधान)

श्री श्यामधर मिश्र--

सरकार सुनना नहीं चाहती है, इसलिए हम लोग बाहर जाते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये....

(व्यवधान)

श्री गुलाब सेहरा--

[* * *]

---

नोट [* *] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष--

यह सब प्रोसीडिंग का भाग नहीं होगा, आप बैठ जाइये ।

(व्यवधान--कई सदस्य खड़े हो कर बोलते रहे ।)

(श्री श्यामधर मिश्र--कांग्रेस दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग शान्त रहिये । श्री सेहरा और श्री कौशल ने जो मुझको कार्य-स्थगन की सूचना दी है, चूंकि यह मसला न्यायालय के सामने है और स्वयं मुख्य मंत्री जी ने इसके मैजिस्टोरियल जांच के आदेश दे दिये हैं इसलिये कार्य-स्थगन का प्रस्ताव स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है, मैं इसको अग्राह्य करता हूं ।

१९७७-७८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या २४--सार्वजनिक निर्माण कार्य, अनुदान संख्या २९--कला एवं संस्कृति--अनुदान संख्या ३४--आवास भवन, अनुदान संख्या ६३--संचार साधन, अनुदान संख्या ६४--कार्यात्मक भवन, अनुदान संख्या ६५--सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान अनुदान संख्या ७०--सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या ७१--कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय अनुदान संख्या ७३--आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ८६--संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय

*(सार्वजनिक निर्माण मंत्री) श्री मोहम्मद मसूद खां--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २४--सार्वजनिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४१,३३,५०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २९--कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धन-राशि के अतिरिक्त ४२,८७, ९०० रुपय से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३४--आवास भवन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृति धनराशि के अतिरिक्त ४०,९६,५०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ६३--संचार साधन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १०,९४,१८,४०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

संख्या २४—सार्वजनिक निर्माण कार्य, अनुदान संख्या २९—कला एवं संस्कृति, अनुदान संख्या ३४—आवास भवन, अनुदान संख्या ६३—संचार साधन, अनुदान संख्या ६४—कार्यात्मक भवन, अनुदान संख्या ६५—सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान, अनुदान संख्या ७०—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या ७१—कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या ७३—आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ८६—संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ६४—कार्यात्मक भवन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृति धनराशि के अतिरिक्त १,०१,४५,९०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ६५—सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ६,३३,९७,३०० रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ७०—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४,७२,८१,५०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ७१—कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ६०,९३,६०० रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ७३—आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,५५,९०,२०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ८६—संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १४,५८,२३,००० रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

मान्यवर, मैं सब से पहले आपके और सदन के समक्ष भारतीय कला एवं सांस्कृतिक विभाग के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूं । यह विभाग १९५७ में कायम किया गया था । इसके जरिये हम सरकारी और गैरसरकारी संस्थाओं के जरिये से इसमें जो तमाम चीजें हैं उसकी पूर्ति करते हैं । इसमें मुख्य-मुख्य संस्थायें हैं भारतीय संस्कृत महाविद्यालय, कालेज आफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, गवर्नमेंट स्कूल आफ आर्किटेक्चर, भातखंडे संगीत महाविद्यालय, संस्कृत अकादमी, ललित कला अकादमी, संगीत अकादमी वगैरह हैं । इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि हमारे प्रदेश में इस

[श्री मोहम्मद मसूद खां]

विभाग का कयाम बहुत जल्दी से हुआ और इस पर जो भी खर्च करना चाहिये और इसकी जो वाकई जरूरत है उसको देखते हुये यह कहना पड़ता है कि इस पर जितना भी धन खर्च करें वह कम होगा । जहां तक कला और आर्ट्स का सवाल है मैं बिला मुबालिगा यह कहना चाहता हूं कि दुनिया में जितने तरक्कीयाफ्ता मुल्क हैं उन्होंने जितनी तरक्की की है उसको देखते हैं और अपने भारत और खास तौर से उत्तर प्रदेश की ये सब चीजें देखते हैं । तो उससे ज्यादा हमको हजारों साल पहले के दफीने में मिला है, हजारों साल पहले से हमारा मुल्क जितना तरक्की कर चुका था, उतना जो अपने को तरक्कीयाफ्ता कहते हैं उस हद तक नहीं पहुंचे हैं । हमारी सरकार जो इस मुल्क में नहीं थी, उसकी इस पर कोई सरकारी निगाह नहीं थी, बल्कि अपनी जाती तरक्की यह विभाग स्वयं देखता था । १९५७ में इस प्रदेश पर तरक्की के लिए ध्यान दिया गया । १९७३–७४ में जो इस पर खर्च किया गया था ३१ लाख रुपया था । १९७४–७५ में ४१ लाख, फिर ५१ लाख, फिर ८४ लाख और इस वक्त हम ९० लाख रुपया खर्च कर रहे हैं । जो जरूरियात हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए यह काफी नहीं है । जितना उसको हम बढ़ा सकते थे, बढ़ाया गया है, इस पैसे के जरिये हमारी जो कार्य–क्रम था, वह हम कर रहे थे । इस साल कुछ नये काम भी कराये गये हैं । जो इस साल खास चीज शुरू की जा रही है, वह यह है कि अजायबघरों की यहां पर कमी है । अजायबघरों में हम पुरानी चीजें ज्यादा रखते हैं । हमारी नीति है कि आर्ट और कल्चर के मामले में जहां तक मुमकिन हो सरकार वालंटरी संस्थाओं और दूसरे कलाकारों को अपने कामों के विकास के लिये ज्यादा से ज्यादा सुविधायें दें । इसलिए संगीत नाटक, ललित कला और संस्कृत की अकादमियों को पिछले साल के मुकाबले बजट वर्ष में और ज्यादा सहायता देने का विचार किया गया है । प्रदेश के मुख्तलिफ जिलों में जो दूसरी वालंटरी संस्थायें काम कर रही हैं उनके लिये भी पहले के मुकाबले ज्यादा ग्रान्ट देने का प्राविधान किया गया है । आर्ट और कल्चर की तरक्की के लिए सरकार ने ज्यादातर खुद उन्हीं स्कीमों को हाथ में लिया है जिनके लिए बड़े साधनों की जरूरत है और जिन्हें वालंटरी आर्गेनाइजेशन या अकादमियां आसानी से पूरा नहीं कर सकती हैं ।

इस सिलसिले में सरकार ने इस साल कुछ नई स्कीमों को शुरू करने का विचार किया है । जनसाधारण की और खासतौर से विद्यार्थियों की जानकारी बढ़ाने के लिए सभी देशों में अच्छे अजायबघरों की जरूरत महसूस की गयी है । हमारे प्रदेश में सरकारी संग्रहालय मथुरा और लखनऊ में हैं । इलाहाबाद और गोरखपुर में कुछ गैरसरकारी संग्रहालय हैं । चालू वित्तीय वर्ष में इस साल सरकार ने झांसी में एक नये संग्रहालय की स्थापना का विचार किया है । हमारी यह भी कोशिश है कि जल्द से जल्द पहाड़ी इलाकों में भी एक संग्रहालय की शुरुआत की जाय और इसके लिए अल्मोड़ा में जमीन के इन्तजाम की कार्यवाही शुरू कर दी गयी है । जो गैरसरकारी संग्रहालय हैं प्रदेश में उनको सहायता देकर, उनको विकसित करने की भी हम कोशिश कर रहे हैं । सेन्ट्रल ललित कला अकादमी के सहयोग से लखनऊ में एक रीजनल आर्ट सेन्टर बनाया जायेगा जिसके लिए ५ लाख रुपये का प्राविधान किया गया है । इसमें इमारत पर होने वाले खर्च का आधा हिस्सा सेन्ट्रल अकादमी देगी और सेन्टर के चलाने का सारा खर्च भी वही बरदास्त करेगी । इस सेन्टर के बन जाने से प्रदेश के कलाकारों को स्टूडियो, लाइब्रेरी, आडिटोरियम, आर्ट गैलरी आदि की सुविधायें मिल सकेगी । लखनऊ के स्टेट म्युजियम में नई गैलरियां बनाने पर २ लाख रुपये का खर्च किया जायगा । हमारे हिस्टारिकल मानुमेंट्स की देख–रेख और ठीक से होनी चाहिए । इसलिए

पुरातत्व के काम को आगे बढ़ाने के लिए हमारी योजना है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया के आर्कियालाजिकल सर्वे की सलाह से राज्य सरकार के आर्कियालाजिकल डिपार्टमेंट को रिआर्गीनाइज किया जाय। इसके लिए १ लाख रुपये बजट में शामिल किये गये हैं। भातखण्डे म्युजिक कालेज के लिए कुछ जरूरी स्टाफ और चार कमरों के बनवाने के लिए भी बजट में प्राविधान किया गया है। इन अल्फाज के साथ मैं चाहूंगा कि इसमें जो और चीजें हो सकती हैं, की जायेगी।

मान्यवर, दूसरा जो सबसे अहम सवाल है, जैसा कि तमाम माननीय सदस्यों को मालूम है कि प्रदेश में सड़कों, पुलों, इमारतों की तामीर, उनके सुधार और देख-रेख का काम और नेशनल हाईवे का सुधार और देखने का काम यह सब पी० डब्लू० डी० के जिम्मे है। जितने नेशनल हाईवे होते हैं उनके लिये भारत सरकार पैसे का इंतजाम करती है और बकिया जो है वह पी० डब्लू० डी० के जरिये से काम होता है। तो पुलों और सड़कों के बारे में १९५८ में मुकतलिफ सूबों के चीफ इंजीनियर्स की बैठक हुई थी। वह इकट्ठा हुये थे और एक प्लान बनाया गया था जिसे बाम्बे प्लान कहते हैं। यह प्लान १९६१-१९८१ तक के लिये, यानी २० साला यह प्लान था। इस प्लान के तहत १९८१ तक जो सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा गया था वह ४८ हजार, ५७ कि० मी० का था। तो इस प्लान के तहत १९७६-७७ तक ४० हजार ५०३ कि० मी० सड़कें बनी, और बाकी हैं। जाहिर बात है कि इसमें बहुत से जिले लिये गये थे। कुछ जिलों में कम सड़कें बनी और कुछ जिलों में करीब-करीब प्लान के मुताबिक मुकम्मल हुई। कुछ जिलों में बहुत कम बनीं। हम कोशिश कर रहे हैं, जो साधन हमारे पास हैं उनके जरिये हम टारगेट को पूरा करने की कोशिश करेंगे।

मान्यवर, सड़कों के सिलसिले में एक चीज और अर्ज करना चाहूंगा। सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी बम्बई में तमाम पी० डब्लू० डी० के मिनिस्टर्स और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स की बुलाई थी। तो वहां पर जब विचार हुआ तो हर जगह की समस्यायें और दिक्कतें सबकी एक सी थीं। नतीजा यह निकाला कि सब लोग कठिनाई में है और उनकी कठिनाइयां एक सी हैं। तो इस सिलसिले में मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना जो सन् १९७४ में खत्म हुई, तो चाहिये तो यह था कि योजना में जो काम लिया गया उसको पूरा किया गया होता। लेकिन बदकिस्मती कहिये या किसी दूसरी वजह से चौथी पंचवर्षीय योजना जो बनी थी उसके खत्म होने तक उसके काम मुकम्मल नहीं हो सके और ८५ करोड़ रुपये का लगभग काम बाकी रह गया। इसमें काफी सड़कें और १०२ पुल अधूरे रह गये। २,९३५ कि० मी० सड़कें नहीं बन पाई। यह प्लान में थीं। इसके बाद पांचवीं पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुई तो उस योजना के तहत देखें तो पता चलता है कि तीन सालों में १९७४-७५, १९७५-७६, १९७६-७७ में जो रुपये का प्राविजन किया गया था वह ४६.९४ करोड़ रुपये का था। लेकिन इसके साथ-साथ एक दिक्कत और हो गयी। वह दिक्कत यह थी कि ८५ करोड़ रुपये का काम पिछला बाकी था। एक और काम यह हुआ कि नई सड़कें तमाम सेंक्शन की गयीं। ६४ करोड़ रुपये की सड़कें सेंक्शन

[श्री मोहम्मद मसूद खां]

की गयीं । जो फैक्ट्स हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं । कुछ प्रैक्टिकल योजनायें कम बनीं और पोलीटिकल ज्यादा बनीं । जो आंकड़े मेरे सामने आये हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि इलेक्शन वाले साल में ५१ करोड़ रुपये की योजना बना कर सैंक्शन कर दी गयी और लाखों रुपया उस पर सर्फ किया गया था । तो इस तरह से हर सूबे के जो पी० डब्लू० डी० और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स इकट्ठे हुये थे तो उनकी मुश्किलात, हर जगह की, एक जैसी थीं कि पिछला काम बाकी है । यह वह मसल हो गयी कि कोई आदमी गुजर गया साधन नहीं छोड़ गया, कर्ज ज्यादा छोड़ गया । तो १०२ करोड़ रुपये के लगभग पिछली सैंक्शंड सड़कें मौजूद हैं ।

इसमें एक दिक्कत और है कि आमतौर से जो पब्लिक के लोग हैं वह एक गलतफहमी के शिकार हैं कि पुरानी सरकार ने जो सड़कें सैंक्शन की हैं उसमें रुपया पुरानी सरकार ने निकाल कर रख दिया है । लेकिन मैं बताऊंगा कि कितने रुपये मंजूर होते थे और कितने मिलते थे । जैसे ६ करोड़ रुपये मंजूर हुये लेकिन उसमें केवल ३० लाख रुपये लगाये गये हैं । यह प्राब्लम है सड़कों के बारे में । पुरानी सरकार ने पिछले ३ सालों में जो प्राविधान किया था वह ४६.९४ करोड़ रुपये का था लेकिन इस साल हमने २८ करोड़ रुपया मैदानी क्षेत्र में रखा है । फिर भी जरूरतों को देखते हुये यह रुपया काफी नहीं है । लेकिन पिछले साल से जरूरतों को देखते हुये यह रुपया बढ़ाया गया है । जो २८ करोड़ रुपया का प्राविधान किया गया है उसमें इस बात की कोशिश की जा रही है कि जो काम अधूरे हैं उनको इससे पूरा किया जाय । मिसाल के तौर पर ४ किलोमीटर सड़क इधर बनी है और ४ किलोमीटर सड़क उधर बनी परन्तु बीच में सड़क अधूरी पड़ी है जिसके बारे में माननीय विधायक लोग बता रहे हैं और हमने भी देखा है । तो कोशिश की जा रही है कि जो सड़कें अधूरी पड़ी हैं उनको पहले बनाया जाय । इसलिये जो मुमकिन था उसमें गंगा नदी पर पुल बनाना, मुजफ्फर-नगर में हिन्डन नदी पर पुल बनाना ऐसे खास-खास काम लिये गये हैं इसमें दो राय नहीं है कि इतनी जरूरी सड़कें एक जिले में भी होंगी कि यदि वहां पूरे प्रदेश का रुपया लगा दिया जाय तो भी वह पूरी नहीं होंगी । मैंने देखा है कि एक एस० डी० एम० को जाने के लिये दो जिलों को पार करना पड़ता है जब वह कहीं अपने जिले के क्षेत्र में पहुंच पाता है । इसलिये सीमित साधनों को देखते हुये यह किया गया है कि इस सिलसिले में जरूरी चीजों को लिया जाय जो पोलिटिकल न हो बल्कि प्रैक्टिकल हो । इस तरह से सड़कों और पुलों का निर्माण किया जाय । मान्यवर, नान प्लान में प्रदेश में सड़कों और पुलों के निर्माण के लिये सुबाई सेन्ट्रल फंड, रेलवे प्रोटेक्शन फंड आदि से पैसा मिलता है । तो मौजूदा मदों में २३ करोड़ रुपया बजट में दिया गया है जिसको बजट में देखा जा सकता है ।

(इस समय १ बजकर ४ मिनट पर अधिष्ठाता श्री राधे श्याम शर्मा पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, नेशनल हाई वे की उत्तर प्रदेश में कुल लम्बाई २,४६३ किलोमीटर है । इन सड़कों की हालत ठीक नहीं थी तो इसलिये नेशनल हाई वे में दो लेन करने तथा सतह को सुधारने की स्कीम बनायी गयी है ।

इस साल सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए ७.५ करोड़ रुपये मंजूर किये हैं और रख-रखाव के लिए २.६३ करोड़ रुपये की मांग की गयी है । सेन्ट्रल कमेटी में, जिसमें मैं भी गया था मिनिस्टरों ने अपनी तमाम आवश्यकताओं के बारे में बताया । कुछ सड़कें हमारी भी हैं उनका भी प्रोग्राम रखा । एक सड़क है जो नेपालगंज से मध्य प्रदेश को जाती है नेशनल हाई वे के सिलसिले में । इसको हमने उनके सामने रखा और वे बहुत ही हमदर्दी से इस पर गौर कर रहे हैं ।

इमकान है नेशनल हाई वे को हम इस साल और आगे बढ़ायेंगे, इस पर सुधार करेंगे आप लोगों की कृपा मिली तो इसको और आगे हम बढ़ायेंगे ऐसी उम्मीद है ।

इस साल मान्यवर, खास इमारतों का प्रोग्राम है जिसमें १८४९ मकान शामिल हैं । लखनऊ में एग्रीकल्चर डाइरेक्टरेट की बिल्डिंग, स्पोर्ट्स क्लब, जवाहर भवन में एयर कन्डीशन और लिफ्ट लगाने का काम है, ये सब चीजें हैं जो हम करने जा रहे हैं ।

इससे पहली सरकार ने श्रीमन् ठेकेदारी सिस्टम को खत्म करने के सिलसिले में विचार किया था ।। इस सिलसिले में तीन तरफ से ठेकेदारी सिस्टम को खत्म करने की कोशिश की जा रही है । एक तो ब्रिज कारपोरेशन के जरिये, स्टेट कन्सट्रक्शन कारपोरेशन के जरिये, दूसरे डिपार्टमेन्टल कन्सट्रक्शन यूनिट कायम है उसके जरिये से और तीसरा जरिया जो है वह सीधे काम लेने का है । सीधे काम कराने की कोशिश करायी जा रही है ताकि कम से कम ठेकेदारी सिस्टम इसमें हो । इस सिलसिले में आगे क्या करने वाले हैं इस सिलसिले में भी बता देना चाहता हूं । एक योजना हमारे सामने है । हम इस साल इसे लागू करने की कोशिश करेंगे । जो ग्रेजुएट बेकार हैं उनको थोड़ा सा लोनिंग दे कर, थोड़ा-थोड़ा काम दे दिया जाय बजाय इसके कि वे बेकार इधर-उधर घूमें । अगर लोनिंग नहीं किया जाय तो मैटिरियल दे दिया जाय एक सेमी ठेकेदार की तरह । एक साल एक्सपरिमेंट कर लिया जाय । उसके बाद अगर कामयाब निकल जाते हैं तो अगले साल फिर लोनिंग दी जाय । इस तरह का सिस्टम निकाल रहे हैं ।

जहां तक करप्शन दूर करने का ताल्लुक है इसमें तरह-तरह की शिकायतें आती है । आप सब लोग इन से अवगत हैं । इसे दूर करने के वास्ते कुछ क्राइटेरिया जैसे-जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, बनाया जा रहा है । इस सिलसिले में जो पिछले साल के आंकड़े थे जिनके खिलाफ कार्यवाही हुई थी उन में १९ अफसरान और ४८ मुलाजिम थे । इस साल हम जब से आये सितम्बर तक इनकी संख्या २९ अफसरान हैं और ४५ मुलाजिम हैं कुल ७४ के खिलाफ कार्यवाही हो चुकी है, कुछ सस्पेन्ड हुये हैं, कुछ को जुर्माना हुआ है । इस टाइप की चीज करा रहे हैं । इस प्रकार की शिकायतों में टेक्निकल सेल है वह देखता है । जब हम जाते हैं तो अपने साथ शिकायत ले जाते हैं टेक्निकल सेल के जरिये लेबोटरी में शिकायत चली जाती है और जो मुनासिब कार्यवाही हो वह की जाती है । दूसरा वहां पर कम्प्लेन्ट सेल है और उस के बाद सतर्कता विभाग है । इस प्रकार से हर एक विभाग है ताकि इस सिलसिले में डिसपोजल जल्दी हो । हमारे यहां ऐसा भी हो जाता है कि मान लीजिये कोई आदमी सस्पेन्ड हो जाता है तो कोशिश करें कि दिस वे आर दैट वे जल्दी उसका निर्णय हो और एक्सपिडाइट उसके केस को करें । उसका आरोप साबित हो जाता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए और नहीं होता तो सस्पेन्शन में ज्यादा दिन तक नहीं लटकना चाहिए ....(व्यवधान) इस तरह की कोशिश की जा रही है ।

[श्री मोहम्मद मसूद खां]

सड़क, पुल और इमारत के सिलसिले में १९७४ से १९७६ तक जो काम हुए थे उन में तकरीबन दो लाख लोगों को रोजगार मिला था। स्टेट ब्रिज कारपोरेशन और स्टेट कन्सट्रक्शन कारपोरेशन के जरिये से ३५,००० लोगों को रोजगार मिला। १९७७-७८ में ढाई लाख से ऊपर आदमियों को रोजगार मिलेगा और जो फीगर है उससे कहीं ज्यादा ब्रिज कारपोरेशन और कन्सट्रक्शन यूनिट से लोगों को रोजगार मिलेगा।

वर्क चार्ज मुलाजमीन के सम्बन्ध में तीन साल से ज्यादा काम करने वालों के लिये यह निर्णय लिया गया है कि उनको मुस्तकिल किया जाय। इनकी संख्या १९,१०९ है। १४,११० ऐसे हैं जो ज्यादा टेम्पोरेरी हैं उनके बारे में मसला जेरे गौर है।

ब्रिज कारपोरेशन सन् १९७३ में कायम किया गया और फायनेनसिंग इंस्टीट्यूशंस से रुपया कर्ज ले कर इस निगम के जरिये काम करने हेतु इसकी बुनियाद डाली गयी थी। सभी बड़े पुलों का निर्माण इस निगम के द्वारा होता है। दूसरे सूबों में तथा मुल्कों में जा कर यह काम करता है। दूसरे मुल्कों में यह जा रहा काम करने के लिये १९७७ तक २०.८ करोड़ से इसने ११५ पुलों का निर्माण किया और ४२ पुलों पर काम चल रहा है। पुलों पर काम यह लोन लेकर तथा अन्य जरियों से करता है। एक निर्माण निगम भी है जिसके जरिये ठेके ले कर काम कराया जाता है और इस साल यह डिविडेंड भी दे रहा है। इसके अलावा डिपार्टमेंटल कांस्ट्रक्शन यूनिट भी है। वह भी काम करता है। योजना के अन्तर्गत हम करप्शन को दूर करने की भी कोशिश कर रहे हैं। आफिसर्स से कहा गया है कि केवल आफिस में बैठ कर काम न करें बल्कि फील्ड में जाकर भी काम देखें और जो शिकायत आती है उसकी जांच करें। शिकायतों को एक्सपेडाइट कराने के लिये यह योजना बनाई है कि सरप्राइज विजिट हो हमारे सेक्रेटरीज तथा चीफ इंजीनियर्स के द्वारा यह योजना बनाई है कि फौरी चेकिंग हो जैसे सड़क बन रही है, शिकायत आती है तो सड़क बनते वक्त ही आन दी स्पाट मेटीरियल लेकर देखें कि ठीक लगा रहा है या नहीं। इससे करप्शन दूर होगा और जो रुपया लग रहा है उसमें ज्यादा से ज्यादा काम होगा। इस प्रदेश की गाड़ी को आगे बढ़ाना है तो सड़कों और पुलों की अहमियत को देखते हुए उन पर तेजी से काम किया जाय और इस एतबार से माननीय सदस्य प्रेक्टिकल सुझाव देंगे उन पर अमल किया जायगा।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २४—सार्वजनिक निर्माण कार्य में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २९—कला एवं संस्कृति में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३४—आवास भवन में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ६३—के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ६४—के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ६५—के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ७०-के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ७१-के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ७३-के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ८६-के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

श्रीमन्, इन तमाम अनुदानों में कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना है ।

श्री मैनेजर सिंह--

९ रु० म क्या होगा ?

श्री श्यामधर मिश्र--

श्रीमन्, अभी मैंने जो कहा उसे मैनेजर सिंह जी जानते हैं कि ९ रु० में भी नहीं होगा और ९० करोड़ में भी नहीं होगा । मैं अभी बताऊंगा । यह तो आलोचना करने और सुझाव देने के लिए एक परम्परा है इसलिए मैं कर रहा हूं । मैं तो चाहूंगा और मैं बराबर इसका हामी हूं कि अगर श्रीमन्, इस नये भारत की सचमुच में बुनियाद बनानी है तो बिजली, सिंचाई और सड़क पर अधिक से अधिक खर्च कर दिया जाय तभी हमारी बुनियाद मजबूत हो जायेगी । इसका अगर कोई दोषी है तो केन्द्रीय सरकार का योजना आयोग है । मैं जानता हूं श्रीमन्, योजना आयोग आज की बात नहीं है, मेरी हमदर्दी आज के मंत्री जी से भी है और पुराने मंत्री से भी है । एक मंत्री आये और कुछ नहीं कर सके और पुराने मंत्री आकर चले गये वह भी कुछ नहीं कर पाये । जब तक वह नीति नहीं बदलेगी, अभी भी वह नीति नहीं बदली जा रही है ।

(व्यवधान)

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि यह सुने, व्यवधान न करें ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य सदन में शांति रखें ।

श्री श्यामधर मिश्र--

मैं यह कह रहा था कि योजना आयोग केन्द्र में है और यहां भी योजना विभाग है । हमारे जो फिफ्थ फाइव इयर प्लान के जो डाकूमेन्ट हैं वह उनके भी बनते हैं और यहां भी है और उनको पढ़ा जाय तो लगता है कि बड़ा काम होने वाला है । जब सालाना देखा जाय, सड़कों का ही देख लीजिये मंत्री जी दिल्ली जाने लगते हैं आफिसरों को लेकर तो मालूम होता है कि कुछ काम होगा लेकिन जब लौटकर आते हैं तो यह मालूम होता है कि यह लो प्रायोरिटी स्कीम है । एक शब्द निकला है "लो प्रायोरिटी" उसमें सड़कें हैं मान्यवर, जब से योजना आयोग का जन्म हुआ तब से यह हाल है । मैं समझता था कि अगर कांग्रेस सरकार ने उसका दिमाग नहीं सुधारा तो कम से कम जनता सरकार सुधारेगी ।

[श्री श्यामधर मिश्र]

(व्यवधान)

मैं बधाई दूंगा अगर सुधारेगी तो, मैं खुश हूंगा । अभी तक ६ महीने से केन्द्र से कोई ऐसी चीज नहीं देखी । वहां एक "एनिवल रोलिंग प्लान" चल रहा है उसी में वह रोल कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है । गांवों की प्राथमिकतायें तो हैं वह सड़कों की, बिजली के जरिये सिंचाई की और परिवहन की हैं जिससे सही माने में आमदनी बढ़ेगी । तो उसके लिए आप देखें कि बीच में बम्बई प्लान आ गया १९६० में और वह कब खत्म होगा सन् १९८० में अब बाम्बे प्लान के अनुसार उत्तर प्रदेश पिछड़ हुआ नहीं है । उसका डाकूमेन्ट हमारे पास है, उसको पढ़ लीजिये, तो पढ़ने में बड़ा सुन्दर लगता है । बांम्बे प्लान के लिए कुल योजना और किस जिले में कितना दिया गया है, सब इस पुस्तिका में है। ७० फीसदी कहीं है, तो कम है, कहीं-कहीं १४० और १५० प्रतिशत तक पहुंच गया है । इसका मतलब यह है कि करना कहीं बाकी है नहीं और खासकर पहाड़ पर ओवर एचीवमेन्ट हो गया है । उसकी पूरी लिस्ट है । माननीय सदस्यों ने पढ़ा होगा और न पढ़ा होगा तो वे पढ़ लें । बाम्बे प्लान को तो बाम्बे भेजना चाहिए, लखनऊ में उसे नहीं रखना चाहिए । केन्द्र में होता क्या है, वहां हर प्रदेश के के अधिकारी बैठते हैं, वह अपने ढंग से योजना बनाते हैं, कुछ ही प्रदेशों का फायदा हो जाये । उन्होंने आबादी और दूरी के हिसाब से योजना बनाई । अतः इसमें उत्तर प्रदेश को मार दिया गया, क्योंकि सन् ६० में यहां कम आबादी थी, मुझे ठीक आंकड़ा तो पता नहीं है । फिर भी एरिया हमारा १० प्रतिशत है और आबादी १६ प्रतिशत है । मैंने तमाम भाषणों को देखने की चेष्टा की है, जो २-४ साल से यहां हुए हैं । अभी विवाद के समय साधारणतया सदस्यगण कहेंगे कि हमारे क्षेत्र में यह सड़क नहीं है, वह सड़क नहीं है, लेकिन इनके पास पैसा कहां है, उनके लिए । अभी तो यह (मंत्री जी) रो रहे थे...

न्याय मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)--

आप गलत बयानी कर रहे हैं, रो कहां रहे थे ।

श्री श्यामधर मिश्र--

मैं सही कह रहा हूं । कांग्रेस का वह तमाम काम पूरा कर दें, तब भी रोयेंगे, वह पर्याप्त नहीं है । १०० करोड़ की योजना, आपने ३०० करोड़ की योजना को अभी बनाया, यह सार्वजनिक निर्माण विभाग १९७७-७८ से हमने लिया, जिसमें आपने कहा है --"पंच वर्षीय योजना बनाते समय यह निर्णय लिया गया कि सड़कों के निर्माण के लिए प्रदेश में एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम बनाया जाय, जिसके अन्तर्गत मैदानी, बुन्देलखण्ड एवं पहाड़ी क्षेत्रों के लिए क्रम : १५००, १२०० तथा ५०० से अधिक जनसंख्या के ग्रामों को पक्की सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा अब इसके अनुसार आप सड़कें बना दें, तो ३०० करोड़ रुपया सड़कों और पुलों के लिए चाहिये और कम से कम १३ हजार किलोमीटर सड़क मैदान में और १ हजार किलोमीटर बुन्देलखण्ड में और १८ सौ किलोमीटर पहाड़ के लिए चाहिये । इस योजना से मैं सहमत नहीं हूं । ५ लाख गांवों में से १ लाख १२ हजार गांव उत्तर प्रदेश में हैं । एक बटा पांच हिस्सा से ज्यादा यहां है । गांव हमारे पास बहुत ज्यादा हैं, इसका मतलब यह है कि छोटे-छोटे हमारे गांव हैं । इस योजना के अन्दर ज्यादातर गांव १५ सौ और १२ सौ से चालू कर देंगे, तो ८० प्रतिशत भाग हमारा मुख्य सड़कों से जुड़ जाएगा । कांग्रेस सरकार की योजना ३०० करोड़ को आप रो रहे हैं । चौथी योजना का स्पिल्ट ओवर है, अभी आप १०० वर्ष करें, तो यह कर सकेंगे । इस विभाग द्वारा जो योजनायें बनाई जायं, मेरी समझ में कुछ नहीं आता जब मंत्रिमंडल कोई आता है, राजनीति का यह प्रश्न नहीं है,

जिसके मन में आया अपने किस्म की योजना बना देता है। बड़े दुख की बात है कि उत्तर प्रदेश के लिए हमने कुछ नहीं किया है, प्लानिंग कमीशन ने दिया, न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम की योजना, लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र की योजना, त्वरित योजना, फिर सात जनपदों में अपराध कम करने की योजना गन्ना सुधार की योजना, फिर केन्द्रीय सहायता योजना, फिर पहाड़ों की योजना, फिर आर० एम० पी० की योजना है। आठ, नौ तरह की योजना हैं। ज्यादातर पी०डब्लू० मंत्री जी से सम्बन्धित हैं। यह विभाग बैठ कर एक योजना क्यों नहीं बनाता है ? पांच, चार सौ गांवों में पांच सौ करोड़ पांच या दस वर्षों में लगे। मेरा यह रचनात्मक सुझाव है। यह लड़ाई १९५२ से देखा है। बहुत हद तक उत्तर प्रदेश सरकार रुपया न लेने की जिम्मेदार है। पहली सरकार जिम्मेदार है और समय बीतेगा तो मैं आपको बताऊंगा। अभी तीन महीने बीते हैं।

(व्यवधान)

कृपया सुनिये, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप फायदा उठायें। कहा जाता है कि केन्द्र की योजना के लिए एक चौथाई, एक तिहाई दीजिये। माननीय सुचेता कृपालानी जब मुख्य मंत्री थीं मैं केन्द्र में लड़ते–लड़ते करीब–करीब अधमरा हो गया और इन लोगों ने कहा कि हम एक पैसा नहीं देंगे। फाइनेन्स सेक्रेटरी बड़ा मजबूत आदमी है। ऐसी गद्दी पर बैठ जाता है, एक पैसा नहीं लेंगे ओवरड्राफ्ट का। अब एक प्रथा चली है कि किसी तरह से भी हो एक पैसा ओवरड्राफ्ट का नहीं लेंगे। यह बात आपको मारेगी। महाराष्ट्र, तामिलनाडू में जाइये आप से उनकी सालाना आमदनी कम है। लेकिन २५ फीसदी कर्जा लेकर योजना आयोग से, फाइनेन्स मिनिस्टरी सौ, दो सौ करोड़ रुपये की योजना की सिफारिश करवा कर, प्राइम मिनिस्टर के पैर पकड़ करके ले आते हैं। वहां का फाइनेन्स सेक्रेटरी नहीं कहता कि हम नहीं देंगे। यहां वक्तव्य दिला दिया गया वित्त मंत्री जी से कि सरकार दिवालियापन के रास्ते पर है। आप अपना बयान दे रहे हो तो कौन आपको कर्जा देगा। १५ सौ करोड़ की आमदनी है, २५ करोड़ मेकअप कर लिया, ८० करोड़ का घाटा है। इसको दिवालियापन कहते हो ? बिड़ला की हैसियत देखिये, सात सौ करोड़ की वर्किंग है, टाटा की ११ सौ करोड़ की वर्किंग है लेकिन बिड़ला की पूंजी केवल ३५ करोड़ की है और टाटा की ५५ करोड़ की और बकिया बैंक की है। मैं नहीं कहता कि कर्जा ले। मैं नहीं कहता कि कर्ज से लाद दीजिये। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश को बधाई देता हूं, उसने कर्जा लेकर अदा किया है। कर्जा लेकर सड़कें बनवाएं। मैं कैरो को बधाई देता हूं। आप पंजाब में जायें सड़कें देखें। हमारा इलाका है, कोई गरीब इलाका नहीं है। केवल वहां ६० करोड़ का कालीन बनता है, लेकिन अगर मंत्री जी जाये तो रोकर के आयेंगे। कोई सुनने वाला नहीं है। तो मैं यह कह रहा था कि आपको कहना चाहिये, योजना आयोग से कहना चाहिये।

हम इसको समझते हैं कि १०० करोड़ रुपया सड़कों के लिए चाहिये और यह हमारे उत्पादन का साधन है। सड़कें केवल चलने के लिए नहीं हैं। यह उत्पादन का साधन है। जहां पर सड़क चली जाती हैं वहां जमीन की हैसियत बढ़ जाती है आप परेशान

[श्री श्यामधर मिश्र--]

हैं। मैं जानता हूं कि आपके पहले के मंत्री भी परेशान थे, लेकिन थोड़ा सा फेल्योर होगा ही। मैंने देखा, इस पुस्तिका में है, इसमें छपा है, एक अजीब बात है। १९७७-७८ की पुस्तिका है। इसमें इन्होंने प्रयास किया है, विवरण दिया है कि कार्य का नाम क्या है, कब स्वीकृत हुआ, उसकी लम्बाई क्या है, कितना धन लगा है, और कब शुरू हुई और कब पूरी होगी। इसको आप देखें। यह हनुमान जी की दुम के बराबर है जो बढ़ती ही जाती है। १९६६-६७ की योजना पूरी नहीं हुई, लेकिन १९७२-७३ की योजनायें शुरू हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि केवल ३ वर्ष की योजना अपने हाथ में लीजिए वर्ना इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है कि एक करोड़ की योजना आपने ली और ५-५ लाख करके रुपया दिया और ३० प्रतिशत, ४० प्रतिशत आप बढ़ाते जाते हैं क्योंकि महंगाई हो गई। तो आपको इससे नुकसान होता है। इसको आप देखें कि कहां पर आप खड़े हैं। ५ लाख किलोमीटर आज कुल सड़कें हैं करीब-करीब मैं कहता हूं, हमारे पास कुल ३८ हजार किलोमीटर हैं आजादी के पहले १५ हजार थीं। आप और विभागों क कार्य को देखिए। किसी में ३ गुना बढ़ा है, किसी में ४ गुना बढ़ा है लेकिन इस विभाग में २ गुना और ढाई गुना बढ़ा है। यह ३२ पर रुके हुए थे, एकाएक ३८ पर बढ़ गये हैं। इसलिए इतना हो गया है नहीं तो यह भी न होता। यह कुछ है नहीं। इसी में एक स्टेटमेन्ट है कि १०० स्क्वायर किलोमीटर म १२·८ किलो माइल सड़क है उत्तर प्रदेश में। पहले बहुत कम थी। लेकिन इससे बिहार भी पीछे नहीं है और तो कोई पीछे है ही नहीं और सबसे पिछड़ा यह विभाग हर जगह पिछड़ा है लेकिन पिछड़ों में पिछड़ा उत्तर प्रदेश है। जहां बहुत पिछड़े इलाके हैं। मैं चाहता हूं सरकार इन पिछड़े हुए इलाकों को एक-एक करके ध्यान देकर विकसित करें।

श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)--

यह सब आपकी ही कृपा है।

श्री श्यामधर मिश्र--

अब आप आये हैं तो कृपा करके आप ही इसे करें। हम आपको धन्यवाद देंगे।

आप देखें कि इस साल ५२३ किलोमीटर नई सड़कों के लिए ४४९ किलोमीटर पुरानी सड़कों के सुधार के लिए और १९ नये पुलों के लिए कुल २८ करोड़ रुपये का प्रविधान किया है सड़कों के रख रखाव के लिए आपने १६ करोड़ रुपया रक्खा और उसमें भी ४,७६३ रुपया पर किलोमीटर रक्खा है। इस पर मैं कहना चाहता हूं कि इतना रुपया चाहे बड़े-बड़े शहरों में सड़कों की मरम्मत के लिए खर्च हो रहा हो लेकिन मैं तो गांव का रहने वाला हूं हमारे गांव में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जो सड़क बनाई गई हैं, उनकी आज तक कोई भी मेन्टीनेन्स नहीं हो सकी। या तो रुपया लैप्स हो रहा है या तो शहरों में लगाया जा रहा है, या कोई इसे खा रहा है इसका पता लगाया जाय। मैं दो-तीन सड़कों का नाम बताता हूं जैसे जंगीगंज, धनतुलसीपुर, ज्ञानपुर-दुर्गागंज गोपीगंज-चील्ह इन जगहों पर अगर आप मेरे साथ चलकर या भदोही चलकर देखें मैं माननीय मंत्री जी को दावत देता हूं, आने का। मैं तो जरा गड़बड़ आदमी हूं। आप अपने साथियों के साथ जाकर देखें तो आपको पता लगेगा कि रास्ते में आधे-आधे फीट के गड्ढे हैं पता नहीं इस ४,७६३ रुपये प्रति किलोमीटर में उसके रख-रखाव की भी कोई व्यवस्था है या नहीं। उसकी कोई मेन्टीनेन्स नहीं की जाती है। उसी की नाप ले ली जाती है और पेमेन्ट कर दिया जाता है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मिश्र जी, आप कितना समय लेंगे? जरा संक्षेप में कहें।

श्री श्यामधर मिश्र--

हमारे यहां जो राष्ट्रीय मार्ग हैं, मंत्री जी ने उसके बारे में कहा कि यह २,४०० किलोमीटर है। उस पर हम और आप खड़े हैं, गुरु दयाल जी खड़े हैं, और माननीय मंत्री जी आप भी खड़े हैं। मैं माननीय मंत्री से कहूंगा कि कम से कम एक हजार रुपया प्रति किलोमीटर इन तमाम राष्ट्रीय मार्गों के लिए बढ़वा दें।

दो-तीन बातें मैं और कहना चाहता हूं। मुझे मालूम है कि विधान मण्डल के लिए डेढ़-दो करोड़ रुपये की योजना बनी थी। तो वह क्यों नहीं बन रहा है? क्या कमी है? लोग सचिवालय में काम करते रहते हैं। आप क्यों नहीं दारुलशफा के एक-एक कमरे में जो बाथरूम बना हुआ है पीछे बरामदे में क्यों नहीं बनवा देते? उसमें पच्चीस हजार रुपये से ज्यादा नहीं लगेगा। मैं कोई इन्जीनियर नहीं हूं उसे पांच वर्षों में पूरा किया जा सकता है।

श्रीमन् बनारस से इलाहाबाद की दो लेन की जी० टी० रोड ठीक नहीं है वहां कि हालत बड़ी खराब है। मिर्जापुर में गंगा के पुल का उद्घाटन करते हुए नारायण दत्त तिवारी जी ने कहा था कि इसी पैसे से बिजली लग जायेगी क्योंकि इसमें दो करोड़ रुपया खर्च हुआ है जब कि दो करोड़ अड़तालिस लाख का इस्टीमेट था। आज डेढ़ वर्ष हो गये, बिजली नहीं लगी।

मिर्जापुर घाट पर पीपे का पुल होना चाहिये। वहां पर बिजली की भी व्यवस्था की जानी चाहिए जो कि दो नेशनल हाई वेज्स को जोड़ती है वहां से १२ मील दूर नई दिल्ली है। आज तक जितने भी मंत्री वहां गये होंगे, चाहे वह कांग्रेसी हों या गैर कांग्रेसी हों, उनसे बराबर कहा जा रहा है। मैंने तो चिट्ठी लिखी और कह रहा हूं कि श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि उसको जरूर करना चाहिये। पैसा कम है। मेरी ऐसी जानकारी है कि आर० एम० टी० रोड्स के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा २३ करोड़ रुपया दिया गया है, लेकिन उन सड़कों को जिला परिषदों ने बनाया है, सड़कें बन गयी हैं ३-४ हजार मील। आप उनकी फारमैलिटीज में न पड़ें, उनकी जिम्मेदारी सार्वजनिक निर्माण विभाग अपने ऊपर ले। लाखों रुपये में वे कच्ची सड़कें बन गयी हैं।

अब मैं जो नये पुल बन रहे हैं उनके बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। जैसे मिर्जापुर में एक पुल बना। पुलों पर जो टैक्सेज लग रहे हैं वे इस प्रकार से हैं कि अगर एक आदमी एक तरफ से जाता है तो अगर वह उसी दिन लौटना चाहे तो दोनों तरफ से उसे टिकट लेना पड़ता है। वह रिटर्न टिकट नहीं ले सकता है। पैसे के मामले में यह उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसी बैठी है कि अपना विकास नहीं करती है। अभी हाल में हंडिया में जो रेलवे क्रासिंग है उसे बन्द करने पर वहां पर डकैती पड़ गयी है। मुझे मालूम है कि ऐसे पुलों के लिए जहां पर रेलवे क्रासिंग होते हैं केन्द्रीय सरकार रुपया देती है लेकिन आप उन्हें नहीं बनवाते हैं। इस प्रकार से शिवपुर रेलवे क्रासिंग पर पुल के लिए आपके पास पैसा है लेकिन आप नहीं बनवाते हैं। आप इसकी भी जानकारी करायें। जो सड़कें टाउन एरियाज, म्युनिसिपैलीटीज आदि के अन्दर जाती हैं, उनका रख रखाव और बेहतर होना चाहिए, यह न हो कि वे गांवों से भी रद्दी हो जायं। मान्यवर, मैंने ये रचनात्मक सुझाव दिए हैं। यदि मेरे पास और समय

[श्री श्याम धर मिश्र--]

होता तो मैं कुछ और सुझाव दे पाता । मुझे आशा है कि मेरी इन भावनाओं से मन्त्री जी मेरी बात स्वीकार करेंगे ।

श्री राम दत्त जोशी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं विपक्ष द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं...

श्री अधिष्ठाता--

चूंकि इस ग्रान्ट पर बोलने वालों की संख्या बहुत है । अतः मैं चाहूंगा कि आप ५ मिनट में अपनी बात समाप्त कर लें स्ट्रिक्टली ।

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मुख्तलिफ ग्रान्ट्स पर २ बजे के बाद हमें बोलने का टाइम मिलता है और ५ बजे इन पर बहस खत्म हो जाती है । इस दरमियान अगर १०० आदमी भी बोलना चाहें तो अल्काब आदाब ही अर्ज करने में और आपको एड्रेस करने में ही समय निकल जाता है । इसलिए मेरी अर्ज है कि आप इस पर विचार करें कि अगर हमें ५ मिनट का भी समय न मिले तो कैसे हम अपनी बात कह सकते हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । आज सार्वजनिक निर्माण विभाग की मद पर विवाद है । मैं चाहूंगा कि इस पर माननीय सदस्य अपने-अपने सुझाव रखें और सभी माननीय सदस्य स्ट्रिक्टली अपनी बात ५ मिनट में समाप्त कर दें ?

श्री राम दत्त जोशी--

मान्यवर, मैं कह रहा था कि विपक्ष द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, मैं उसका विरोध करता हूं और माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं और कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं ।

इस विभाग के नाम से ही स्पष्ट है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है । इसमें सबसे पहला मेरा सुझाव यह है कि जितने भी भवन हैं या सड़क हैं, वे एक ही विभाग के द्वारा बनाई जानी चाहिए, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और इसका कारण आज तक समझ में नहीं आया । जब कि हमारे ही देश में हरियाणा और पंजाब दोनों जगह निर्माण का सम्पूर्ण कार्य प्रदेश भर का एक ही विभाग के जिम्मे है जिसका नाम है पी० डब्लू० डी०, लेकिन यहां कई विभागों द्वारा अलग-अलग उसको किया जाता है--भवनों का निर्माण और सड़कों का निर्माण आदि । मेरा सुझाव यह है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग को जैसे केन सोसाइटी व क्रैश प्रोग्राम की सड़कें हैं नगरपालिका की सड़कें, जिला परिषद् की है, जितनी सड़कें और भवन इस तरह के हैं उसकी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लीजिये । आपके यहां सैकड़ों ओवरसीयर बेरोजगार हैं, इंजीनियरों के पास काम नहीं है, उन सब को काम मिलेगा ।

अभी श्यामधर मिश्र बोल रहे थे । ऐसा लगा कि जैसे पहली बार उनको "आत्म-ज्ञान" प्राप्त हुआ है और वह अपनी आत्मालोचना कर रहे थे । मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं । अगर यही आपने ३० सालों में किया होता तो देश की इतनी दुर्गति नहीं होती जो पिछड़ेपन का अभिशाप आपने दिया है नहीं होता । यदि यही भाषण पहले इस सदन में आपने किये होते तो कांग्रेस पार्टी से निकाल दिये गये होते । तो इस बात के लिए मैं धन्यवाद दूंगा कि अपनी आत्मालोचना करने की सद्बुद्धि आपको प्राप्त हुई ।

दूसरा मेरा सुझाव मन्त्री जी, आपके लिए है कि इन ३० सालोंमें क्या हुआ, कि अफसरों की फौज तो बढ़ी है, लेकिन जो फील्ड वर्कर है उसकी संख्या ज्यों की त्यों है। श्यामधर जी कह रहे थे कि सड़कों का मेनटीनेंस नहीं होता। उसका कारण यह है कि ३० सालों में अफसरशाही की फौज ८ गुनी बढ़ी है और गैंगमेन की संख्या जो फील्ड वर्कर हैं उनकी संख्या का अनुपात वही है जो ५० साल पहले थी, गैंगमेन पहले २० किलोमीटर पर ८ होते थे, ५० साल पहले जितनी संख्या थी आज भी उतने ही हैं, लेकिन अफसरों की संख्या, उनकी फौज ८ गुनी बढ़ गयी है। आपके ही विभाग का फार्मूला है कि ५० लाख रुपये के काम पर एक डिवीजन बनाते हैं। एक डिवीजन में एक एक्जिक्यूटिव इंजीनियर, ४ असिस्टेंट इंजीनियर, उनके नीचे ४ जूनियर इंजीनियर इस प्रकार से एक एक्जिक्यूटिव इंजीनियर के नीचे इतने-इतने अफसरान लेकिन गैंगमेन और काम करने वाले फील्ड वर्कर उतने ही हैं। तो यह जो फार्मूल है इसके अनुसार भी लिया जाय तो जब ५० लाख में एक डिवीजन बना, यानी रुपये के हिसाब से बनाते हैं। तो आपका अब ५० करोड़ का बजट है तो १०० एक्जिक्यूटिव इंजीनियर होने चाहिए, लेकिन हैं १७६। इस तरह से अननेसेरी फौज उनकी बढ़ी है। अधीक्षण अभियन्ता होने चाहिए कुल १२-१३ सारे प्रदेश में जबकि आपके यहां हैं करीब ३६, यानी तीन गुने। इसी प्रकार से असिस्टेंट इंजीनियर होने चाहिए ४००, जबकि हैं ७९६ और जूनियर इंजीनियर्स होने चाहिए १६००, जबकि वह २,८८५ हैं। इसके अतिरिक्त १,००६ ड्राफ्ट्स मैन और रखे हुये हैं तो जो टेबिल पर काम करने वाले अफसर हैं उनकी फौज तो बढ़ी लेकिन गैंगमैन की संख्या वही है जो ५० साल पहले थी। तो मेरा सुझाव है कि फील्ड में काम करने वाले आदमियों को कम न कीजिये। पिछले १० साल का रेकार्ड देख लीजिये, ३५ हजार वर्कचार्ज कर्मचारी...।

श्री अधिष्ठाता--

आपके दो मिनट और हैं।

श्री राम दत्त जोशी--

सिर्फ सुझाव दे रहा हूं। तो पिछला रेकार्ड देख लीजिये, ३५ हजार वर्क चार्ज कर्मचारी निरंतर हर साल आपकी एवरेज मिलेगा। इससे साबित होता है कि आपके विभाग को इतने आदमियों को काम पर निरंतर रखने की आवश्यकता है। तब क्या कारण है कि आपने कुल १५ हजार रेगुलर किये हैं, बाकी सब लेबर आपके एंट-बिल पर हैं, जब चाहे कान पकड़ कर निकाल दें। वह गुलामी का दौर इस प्रजातंत्र के जमाने में भी आपके यहां चल रहा है। एक बार आप अपनी आवश्यकता असेस कर लीजिये। यदि आप समझते हैं कि इतने कर्मचारियों की परमानेंट खपत है तो उनको परमानेंट कीजिये, आपने उनको टेम्पोरेरी रखा हुआ है लेकिन वह ३०-३० साल से काम कर रहे हैं। क्यों नहीं उनको परमानेंट करते ?

इसके अलावा डाक बंगले हैं। जहां अफसरों की फौज आठ गुनी है वहां तरह-तरह के डाक बंगले भी हैं। फारेस्ट का अलग है, पी० डब्लू० डी० को जिला परिषदों के अलग इरिगेशन का अलग, एक नुमाइश सी लगी है। अभी

[श्री राम दत्त जोशी--]

मन्त्री जी अजायबघर का जिक्र कर रहे थे तो इनकी भी नुमाइश लगी है जो आपके अनेक अफसरों को ऐशगाही बने हुये हैं। इन सब बंगलों को टूरिस्ट विभाग को दे दिया जाय और उनको देना क्या पड़ता है ? सिर्फ ४० पैसे रोज बिजली का चार्ज। जब आप उनको टी० ए० और डी० ए० देते हैं तो क्यों नहीं वह होटल में ठहरते हैं। हमसे १० रुपया लिया जायगा और अफसरों से सिर्फ ४० पैसे लिया जायगा ये क्या मजाक है ?

श्री अधिष्ठाता--

आप का समय समाप्त।

श्री रामदत्त जोशी--

सिर्फ एक सुझाव और देना रह गया है। एक अंग्रेज इंजीनियर था जे० बी० कोटली। कानपुर से रुड़की तक नहर का पूरा सर्वे उस अकेले आदमी ने किया। अगर उसे लोहे की जरूरत पड़ी तो रुड़की में लोहे की फाउन्ड्री बनवायी। इंजीनियरों की जरूरत पड़ी तो वहां इंजीनियरिंग कालेज बनवाया। एक आदमी ने कानपुर से रुड़की तक इतनी बड़ी नहर बनवायी अकेले अपने बूते पर। उसने ईंट का भट्ठा भी स्वयं बनाया। उसे खरी ईंट मिली। आज आप सब काम ठेकेदारों से लेते हैं।

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका समय समाप्त।

श्री रामदत्त जोशी--

इतना बड़ा निर्माण का आपका विभाग है, इसमें टेक्नीशियन्स आपके यहां हैं लेकिन आपके पास वर्कशाप नहीं है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। छोटे-छोटे विभागों में वर्कशाप्स हैं। आप करोड़ों रुपये की सारी रिपेयर्स बाजार से करवाते हैं क्योंकि उसमें कमीशन बनता है।

श्री अधिष्ठाता--

समय समाप्त हो गया, आपका।

श्री रामदत्त जोशी--

इन शब्दों के साथ में माननीय मन्त्री जी को बधाई देता हूं और जो अनुदान उन्होंने पेश किया है उसका समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्यों को मैं फिर कहूंगा कि ५ मिनट से एक सेकन्ड ज्यादा हम आपको नहीं देंगे। यह जो एक-एक मिनट जिद कर के माननीय सदस्य ले लेते हैं यह नहीं होना चाहिये अगर बहस को आप अच्छी तरह से चलाना चाहते हैं।

श्री राज किशोर तिवारी (जौनपुर)--

अभी जो सदस्य बोल रहे थे। उनको कुल १२ मिनट का समय दिया है।

श्री अधिष्ठाता--

आपका ख्याल बिल्कुल गलत है। श्री हरगोविन्द सिंह (श्री हरगोविन्द सिंह के अनुपस्थित होने पर।) माननीय सदस्य नाम दे जाते हैं और चले जाते हैं, यह अनुचित है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, मैं पी० डब्लू० डी० ग्रान्ट का समर्थन करता हूं। सन् ४९ में जिस समय चीन में माओत्से तुंग का राज्य हुआ उस समय उन्होंने एक नारा दिया कि 'ओपेन दी कन्ट्री।' और उस नारे की गम्भीरता को ग्राह्य करते हुये

हमारे डाक्टर लोहिया ने कहा कि इस देश में भी उस नारे को ले कर चलो, जो अगम्य स्थान हैं उन्हें गम्य बनाओ और जो गम्य हैं उन्हें सुगम बनाओ। वह डाक्टर लोहिया ही थे जिन्होंने कहा था कि जब तक इस देश के गांव सड़कों से नहीं जोड़ेंगे तब तक देश प्रगति की तरफ नहीं बढ़ेगा। इस देश में १९६१ में बाम्बे योजना बनायी गयी जिसका हमारे मन्त्री जी और श्यामधर मिश्र जी ने जिक्र किया। लेकिन मुझे दुःख हुआ जब श्यामधर जी ने कहा कि बाम्बे योजना को बम्बई भेज दो। यह कहते हुये मिश्र जी ने ईमानदारी नहीं बरती कम से कम उन जिलों के साथ जो इस दौड़ में बहुत पीछे रह गये हैं। मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण नामक पुस्तिका की तालिका १६ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उसमें पृष्ठ ६१ से ६५ तक वह सारे आंकड़े दिये हुये हैं कि कितनी उपलब्धियां जिलेवार हुई हैं बाम्बे योजना के तहत। जब हम उनका नक्शा देखेंगे तो माननीय मिश्रा जी जिस जिले से आते हैं उसमें बाम्बे योजना के तहत जो काम सन् ८१ तक होना था उससे बहुत ज्यादा काम उनके यहां अब तक हो चुका है।

श्री श्यामधर मिश्र--

लेकिन होने और चाहिये।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

आज ये लोग जो चाहते हैं कि उस योजना को बम्बई भेज दिया जाय वह इसलिये कि जो काम १९८१ तक के लिये निर्धारित था उससे ज्यादा काम उनके यहां अभी हो चुका है जबकि दूसरे जिले बहुत पीछे रह गये हैं। मान्यवर, लखनऊ, रायबरेली, रामपुर और पूरे का पूरा पहाड़ी क्षेत्र इलाहाबाद, आजमगढ़, जौनपुर और वाराणसी आदि ये वह जिले हैं जहां पर कि काफी काम हुए हैं। तो मैं मान्यवर, कहना चाहूंगा योजना के तहत, तालिका आप देख लें...(व्यवधान)

श्री श्यामधर मिश्र--

श्रीमन्, आज्ञा हो तो पढ़ दूं। पहाड़ी एरिया में बाम्बे प्लान के अनुसार ५,२०० किलोमीटर सड़क होनी चाहिए, लेकिन ५,४०० है। इसके माने अभी भी अधिक है, तब वहां नहीं चाहिए। इसके माने जो रुपया आप खर्च कर रहे हैं, अनावश्यक खर्च कर रहे हैं।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, इस बीच में व्यवधान करके जो मेरा समय ले लिया गया है, मैं चाहूंगा इसका ध्यान रखें।

श्री अधिष्ठाता--

उतना समय मिल जायगा।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

जो लक्ष्य निर्धारित था इस देश का प्रति लाख आबादी पर और प्रति १०० किलोमीटर क्षेत्र पर इस दृष्टि से देखें तो हमारा प्रदेश अन्य प्रदेशों की

[श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी]—

अपेक्षा में काफी पीछे रह गया है। आपकी अनुमति से मैं ३१-३-७५ तक के आंकड़ों के आधार पर सड़कों की उपलब्धि का आंकड़ा रखना चाहूंगा। महाराष्ट्र प्रति लाख आबादी पर ७८ किलो मीटर, प्रति १०० किलो मीटर क्षेत्र पर १३ किलो मीटर, पंजाब ९९ और २७, केरल ११९, ६५, तामिलनाडु १२०, ३८, हरियाणा १४६, ३३, कर्नाटक १५७ और २४ जब कि उत्तर प्रदेश में वह औसत क्रमशः ४३ और १२·८ का है और मैं जिस जिले से आया हूं, मान्यवर, उस फैजाबाद जिले में यह औसत ३१-७ और १४-३ का है और अगर जून, ७७ तक के आंकड़े देखे जायं, तो फैजाबाद में यह औसत प्रति १०० किलोमीटर क्षेत्र पर १५-५ किलोमीटर और प्रति लाख व्यक्ति पर ३४-३ किलोमीटर है। हमारे प्रदेश में जैसा मैंने पहले कहा इस योजना को लागू करने में भारी भेदभाव बढ़ता गया है। एक तो हमारा प्रदेश अन्य प्रदेशों की तुलना में काफी पीछे रह गया और दूसरी तरफ हमारे प्रदेश में भी बहुत से जिले सन् ८१ तक निर्धारित लक्ष्य से काफी आगे बढ़ गये और कुछ जिले बहुत पीछे रह गये। मैं आपका ध्यान वर्ष १९७६-७७ की उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण पुस्तिका की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिसकी तालिका १६ के पेज ६१ से ६५ तक के बीच में बाम्बे योजना के तहत उपलब्धि के जिलेवार आंकड़े दिये हुए हैं, उन्हें देखने पर आप पायेंगे कि लखनऊ में यह उपलब्धि १२३·४ परसेन्ट, रायबरेली में १२१·१ परसेन्ट, बिजनौर में ११०·१ परसेन्ट, इटावा में १०५·० परसेन्ट, रामपुर में १२०·९ परसेन्ट, पहाड़ी क्षेत्र में पूरा पहाड़ी क्षेत्र अल्मोड़ा १७८·८ परसेन्ट, देहरादून १४०·८ परसेन्ट, गढ़वाल १३२·९ परसेन्ट, नैनीताल १७९·७ परसेन्ट, टेहरी १३२·२ परसेन्ट, चमोली २०६·१ परसेन्ट, पिथौरागढ़ १६३·२ परसेन्ट, उत्तर काशी १८९·५ परसेन्ट और इलाहाबाद १२५·० परसेन्ट, आजमगढ़ १२१·७ परसेन्ट, जौनपुर १०५·९ परसेन्ट और वाराणसी में १२६·९ परसेन्ट है।

इसी संदर्भ में अपने जिले और आपकी अनुमति से अपने मंडल के बारे में निवेदन कर दूं कि अनुकूल जलवायु, उर्वरक भूमि के बावजूद भी यहां के प्रगतिशील एवं परिश्रमी किसान इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास केवल जनमार्गों के अभाव में नहीं कर पा रहे हैं। इस बारे में अभी वर्ल्ड बैंक की जो टीम इजराइल के डाक्टर बेनूर की अध्यक्षता में फैजाबाद आयी थी, उसके जो आब्जरवेशन्स हैं, जो हमारी सरकार के पास हैं, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि उन्हें देखने का कष्ट करें। इससे स्थिति स्पष्ट हो जायगी कि जनमार्गों के अभाव में किस प्रकार से हमारे जिले की प्रगति का मार्ग अवरुद्ध है। हमारा प्रशासन और विभाग सरकार पर किस तरह से हावी है। मैं इसका केवल दो उदाहरण आपकी अनुमति से रखना चाहूंगा।...(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय तिवारी जी, अब समय समाप्त हो गया। एक वाक्य में अब आप समाप्त करें।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, अगर आप कहें कि मैं कुछ न कहूं, तब तो हो सकता है, लेकिन ऐसी विशेषज्ञता मुझे नहीं हासिल है कि मैं एक वाक्य में समाप्त करूं।

श्री अधिष्ठाता—

आप अपनी बात कहें।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा, मुझे दुख है मैं टोका टोकी नहीं करता मेरे साथ अन्याय हो रहा है। मैं अपने इलाके को आपकी कृपा पर छोड़ता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

आप बोलिये।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, आप देखें फैजाबाद के बारे में, अपने जिले के बारे में कि वहां पर वर्ल्ड बैंक की एक टीम आई थी। मैं इशारा करना चाहता हूं कि डाक्टर बेनूर के आबजरवेशंस हैं सरकार के पास दस्तावेज है, मन्त्री जी देख लें कि वहां पर किस तरह से किसानों की प्रगति अवरुद्ध हो गयी है, क्योंकि वहां पर यातायात के साधन नहीं हैं। मान्यवर, किस तरह से दफ्तर शाही का शिकार यह योजनायें हो गयीं हैं। मैंने एक सवाल विधान सभा में उठाया था कि बाम्बे प्लान के तहत हमारी कांस्टटीटुएंसी में, कुछ ब्लाकों में कितनी सड़कें बनानी थीं और फैजाबाद जिले में पिछले ३ सालों में कितनी सड़कें बनी। तो मान्यवर, इसका उत्तर आया कि ब्लाक वाइज आंकड़े उपलब्ध नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब बाम्बे योजना बनी थी तो उसमें कहा गया था कि हर १५ सौ आबादी वाला गांव सड़क से जोड़ दिया जायगा। यह आसान बात नहीं है कि ऐसा विचार हो और ब्लाक वाइज कोई रूपरेखा बनी ही न हो। मान्यवर, वहां की सड़कों के लिये बजट में प्राविधान नहीं किया गया और दूसरे जिलों में और नयी सड़कें ले ली गयीं। तो मान्यवर, जो पिछड़े जिले हैं उनके नक्शे पर निगाह रख कर कार्य किया जाय और अधूरे काम पूरे किये जायं और जो काम विभाग की कृपा दृष्टि न होने से नहीं हुये हैं उनको फिर से पूरा किया जाय ताकि पिछड़े जिलों को बराबर लाया जा सके और इनको प्रगति करने का मौका मिले। इन शब्दों के साथ में मान्यवर, इस विश्वास के साथ कि मन्त्री जी इस पर ध्यान देंगे, इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री देव कुमार (जिला बांदा)--

मान्यवर, मैं सड़कों पर कुछ कहने के पहले मन्त्री जी का ध्यान, ललितकला और सांस्कृतिक कार्यक्रम के अन्तर्गत मेरे जिले में जो अजीबोगरीब विसंगति चल रही है उस ओर उनका व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, मंत्री जी ने घोषणा की कि कुछ नये म्युजियम खोले जायेंगे, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन बहुत अफसोस यह है कि हमारे जिले बांदा में बिजली खेरा एक उजाड़ खंडहर के रूप में था। इसी विभाग में एक डिप्टी मिनिस्टर कुंवर महावीर सिंह थे। हमारे यहां कांग्रेस के नेता थे। उन्होंने एक क्षत्रसाल म्युजियम के नाम से फर्जी म्युजियम बना रखा है। मुझे नहीं पता है कि कितना धन सरकार से उनको अनुदान के रूप में दिया जाता है। लेकिन म्युजियम के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देव कुमार]

नाम पर वहां २-४ प्रस्तर खंड जरूर पड़े हैं। कई साल पहले अखबारों में छपा था कि बिजली खेरा में इंसानों की खोपड़ियां भी खेती करती हैं। मैं महसूस करता हूं कि कई हजार रुपया उनको मिला होगा अनुदान के रूप में। न वहां कोई दफ्तर है, न कोई वहां जाता है। महज कुछ पत्थर पड़े हैं। मन्त्री जी का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करूंगा कि इसकी जांच करें। यदि वहां कोई म्युजियम है तो फिर म्युजियम के नियमों के अनुसार उसका रख रखाव होना चाहिये अन्यथा ग्रांट जो दी जाती है उसको बन्द किया जाना चाहिये।

मान्यवर, बड़े अफसोस की बात है कि बांदा और बुन्देलखण्ड जैसे क्षेत्र में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम की योजना बनाने का कदम नहीं उठाया गया है। बांदा की जनता ने आपको मालूम है कि इतिहास में बहुत उज्ज्वल नक्षत्र के रूप में सेनानी दिये हैं। सन् १८५७ के प्रथम सेनानी नवाब बांदा की १७ वर्ष की बेटी ने अंग्रेजों से युद्ध करते हुये अपनी जान दिया, लक्ष्मी बाई ने २३ वर्ष में लड़ाई में अपनी जान दिया, रजिया बेगम १७ वर्ष में लड़ाई में जूझ गयी लेकिन उनके नाम पर वहां कोई न तो म्युजियम है और न कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है। बांदा नवाब ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की कमेटी बनायी है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मन्त्री जी इस सिलसिले में अपने कोष से उस ऐतिहासिक धरोहर को रखने के लिये हम लोगों को कुछ मदद करें।

मान्यवर, अब मैं अपने जिले की सड़कों और यातायात के साधनों की ओर मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मान्यवर, सारा प्रदेश पिछड़ा है और सारे माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों की तकलीफों की कथायें यहां कहते हैं और मैं बुन्देलखन्ड की बात यहां कहूंगा। मान्यवर, वहां यातायात की बड़ी समस्या है। हमारे वहां बरसात में बहुत जगह मौते होती हैं। यदि स्त्रियों को प्रसव पीड़ा हुई, तो सड़कें ठीक न होने के कारण गांव टापू बन जाते हैं, सवारी कोई न होने के कारण वह गांव से निकल नहीं पाती हैं और फिर अस्पताल तक न पहुंचने से उचित देख भाल न होने से काफी स्त्रियों की मौतें हो जाती हैं। इसलिये मन्त्री जी से निवेदन है कि सर्वे कराकर सड़कों के विस्तार की जरूरत है।

मान्यवर, नेपालगंज से हाई वे मार्ग की बात की गयी है। १९७४ में भूतपूर्व प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जून, १९७४ को जमुना ब्रिज का शिलान्यास किया था। जनता को इससे बड़ी आशायें थीं कि जमुना में पुल बनने से उत्तरी भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने में बहुत काम हो जायगा। हम लोग आज तक प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन कब योजना शुरू होगी, कब पुल बनेगा इसके लिये यदि मन्त्री जी इस स्थिति में हैं कि कुछ कर सकें तो उसकी घोषणा करें कि कब काम शुरू होगा क्योंकि कई जिलों की जनता प्रतीक्षा के साथ इंतजार कर रही है कि इसके बारे में क्या कार्यवाही हो रही है। उसी दिन मान्यवर, उन्होंने केन नदी पर ब्रिज का शिलान्यास किया था जो ब्रिज कारपोरेशन बना रहा है। लेकिन वह पुल अभी तक आधा बना है। इसलिये यदि मन्त्री जी इसमें जल्दी करा दें तो अच्छा होगा। इस सम्बन्ध में मान्यवर, जितने लोगों के मकान सरकार ने लिये हैं उनका मुआवजा नहीं दिया गया है। मन्त्री जी, मैं चाहता हूं कि कुछ पुलों के निर्माण की तरफ आप ध्यान दें तो हम लोगों का कल्याण होगा।

मान्यवर, सड़कों के बारे में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे यहां ओरन-कमासिन एक सड़क है जो अंग्रेजों के समय में बनी थी लेकिन आज वह सड़क खराब है। दूसरी सड़क बबेरू ओरन, बबेरू-मर्का, मर्का-कमासिन, बरेंसी-फतेहगंज आदि इन तमाम सड़कों की बड़ी दुर्गति हो रही है, यह सड़कें बहुत खराब हो गयी हैं।

इसलिये मैं चाहता हूं कि प्राथमिकता के आधार पर इनको बनवाने की मन्त्री जी कृपा करें। एक सड़क कानपुर से मिर्जापुर को जाती है जिसकी चौड़ाई बहुत कम है। २९ जुलाई को एक बस और एक ट्रक में क्रास न होने से एक्सीडेन्ट हो गया जिसके फलस्वरूप २ आदमी मर गये। इसलिये मैं चाहता हूं कि मन्त्री जी इस सड़क को इतना चौड़ा करा दें जिससे डबल क्रासिंग हो सके। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री हरी राम शाक्य (जिला मैनपुरी)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान कला और संस्कृति के अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग संगीत की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस विषय के प्रति अभी तक हमेशा उपेक्षा की भावना रही है जब कि संगीत जैसी कोमल वस्तु जो प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए आवश्यक है और सभी को प्रभावित करती है फिर भी इस की सदैव से उपेक्षा की गयी है और इस समय भी मैं इसके प्रति उपेक्षा अनुभव कर रहा हूं। इस संगीत कला के विकास के लिये जो कि भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अवयव है, के विकास के लिये कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

मान्यवर, अपने उत्तर प्रदेश में जो संगीत विद्यालय हैं उन संगीत विद्यालयों का विकास भली प्रकार नहीं किया जा रहा है। इनका विकास और विस्तार आवश्यक है। (ii) इनमें जो योग्य शिक्षक हैं उनकी योग्यता प्रयोगिक ज्ञान की दृष्टि से कम है और सैद्धान्तिक ज्ञान की योग्यता की दृष्टि से उनकी नियुक्तियां होती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि वे योग्य अध्यापक हैं जो कि प्रेक्टीकल कार्य में निपुर्ण हैं इन अध्यापकों को ही इन विद्यालयों में नियुक्त किया जाय। (iii) इस (कला एवम् संस्कृति) विभाग में कला से रुचि रखने वाले अधिकारीगणों की ही नियुक्ति की जाय क्योंकि ऐसे अधिकारी जो कला और संस्कृति में रुचि नहीं रखते वे इस समस्याओं के निदान के लिए और विकास के लिए बहुत कम ध्यान देते हैं। (iv) मान्यवर, मन्त्री जी का ध्यान मैं इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि इसके विकास पर अभी तक बहुत की कम धन खर्च किया है। मैं चाहता हूं कि इस विकास के लिए अधिक धन खर्च किया जाय। (v) जिला स्तरों पर विभिन्न प्रकार के संगीत वाद्यों के छात्र हैं। उन सभी विद्यार्थियों की उनके अलग अलग वाद्यों की प्रतियोगितएं आयोजित की जायं ताकि प्रदेश के तमाम अंचलों में जो विभिन्न प्रकार के कलाकार हैं वे प्रतियोगिताओं के द्वारा अपनी प्रतिभा को उभाड़ कर आगे आयें और इस संगीत कला का अच्छी तरह से विकास हो सके।

(vi) मान्यवर, मैं एक महत्वपूर्ण सुझाव और आपके सामने रखता हूं। जितने संगीत विद्यालय अभी तक अपने प्रदेश में सेवा कर रहे हैं उनमें भ्रष्टाचार, अनैतिकता, घपलों और छात्रों पर आंतक इन सबका बोल बाला है। इनकी जांच आवश्यक है क्योंकि कांग्रेस के शासन काल में इन को खूब संरक्षण मिला है। मैं आपका ध्यान विशेष रूप से भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत विद्यालय, लखनऊ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सारांश में इसमें जो अनैतिक कार्य हो रहा है, घपले हो रहे हैं, भ्रष्टाचार है उसके बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूं। मान्यवर, इसमें एक

[श्री हरी राम शाक्य]

महिला छात्रावास है। महिला छात्रावास में आये दिन कोई न कोई ऐसी घटना घटित होती रहती है जिससे कि विद्यालय के वातावरण को नैतिक हानि होती है। वर्ष १९७३ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से श्रीमती बीना सिनहा की नियुक्ति होस्टल वार्डन के महिला छात्रावास के पद पर हुई थी। परन्तु प्रधानाचार्य ने होस्टल वार्डन के द्वारा बनाये गये नियमों की अवहेलना करने पर छात्राओं का दुरुपयोग करना आरम्भ कर दिया। इस पर होस्टल वार्डन और प्रधानाचार्य के बीच काफी कहा सुनी हो गई, जिसकी शिकायत श्रीमती सिनहा ने उच्च अधिकारियों से की। परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी बीच एक रात लगभग ११ बजे श्रीमती सिन्हा ने प्रधानाचार्य के निवास (जो कि महिला छात्रावास में ही है) कुछ लड़कियों को अनैतिक एवं शर्मनाक अवस्था में पकड़ा और इसकी शिकायत भी श्रीमती सिन्हा ने उच्च अधिकारियों से की। परन्तु कोई कार्यवाही न होने पर श्रीमती सिन्हा ने त्याग पत्र दे दिया जिसको प्रधानाचार्य ने अपने विशेष प्रभाव से स्वीकृत करवा दिया साथ ही महिला छात्रावास में होस्टल वार्डन का पद भी समाप्त कर दिया। फलस्वरूप प्रधानाचार्य के दुराचार करने का क्षेत्र और भी बढ़ गया। प्रधानाचार्य ने अपने दुष्कर्मों को सरलता से संचालित करने की आशा से श्रीमती पूर्णिमा पाण्डेय की अनौपचारिक नियुक्ति होस्टल वार्डन के रूप में कर दी।

श्री अधिष्ठाता--

यह आप क्या पढ़ रहे हैं ?

श्री हरी राम शाक्य--

मान्यवर, इन अत्याचारों, अनाचारों और भ्रष्टाचारों की ओर संकेत कर रहा हूं। इनकी अभी तक कोई जांच नहीं हो रही है।

श्री अधिष्ठाता--

आपके दो मिनट बाकी है। जो कुछ सुझाव देने हों, जल्दी दीजिए।

श्री हरी राम शाक्य--

मान्यवर, सुझाव दे रहा हूं। कांग्रेस शासन काल में जांच नहीं हुई, जांच चाहता हूं। परन्तु श्रीमती पाण्डेय ने भी प्रधानाचार्य के दुष्कर्मों में किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया तथा श्रीमती पान्डेय ने छात्रावास में प्रधानाचार्य, अध्यापक व प्रधानाचार्य के पुत्रों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी। जिस पर प्रधानाचार्य बहुत क्रोधित हो गये और श्रीमती पान्डेय के विरुद्ध धमकी देने लगे तथा उन्हें भयभीत किया। विदेशों से व अन्य प्रान्तों से संगीत सीखने के लिये आई हुई छात्राओं को तरह-तरह का भय दिखा कर उनसे अनैतिक व अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करवाना प्रधानाचार्य के पूरे परिवार का अधिकार बन गया है। इससे छात्रायें क्षुब्ध हैं। पिछले वर्षों से कई छात्राओं को अपना सम्मान सुरक्षित रखने हेतु छात्रावास छोड़ कर अन्यत्र प्रबन्ध करना पड़ा है तथा कई छात्राएं इसी भय से संगीत की शिक्षा से वंचित रह गई हैं। कुछ छात्राओं के साथ हुये दुर्व्यवहार का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है :

वर्ष १९७५ में सितार पंचम वर्ष की छात्रा कुमारी उर्मिला नन्दलाल जो मारिशस से आई थी तथा कुमारी शारदा पन्त जी नेपाल से संगीत सीखने आई थी को छात्रावास छोड़ कर अपनी मान मर्यादा की रक्षा करनी पड़ी। कुमारी शारदा पन्त जो अब लखनऊ की ही निवासी हैं को इतना परेशान किया गया कि उसको वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी गई। अतः मान्यवर, सुझाव है कि इन सबकी अविलम्ब गोपनीय जांच करके भ्रष्ट अधिकारियों को हटाया जाय तथा संगीत की रक्षा की जाय, भारतीय संस्कृति की आत्मा संगीत की रक्षा की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त ।

श्री सखावत हुसैन (जिला गाजियाबाद)—

मान्यवर, पी० डब्ल्यू० डी० विभाग की अनुदानों का समर्थन करता हूं और मन्त्री महोदय की खिदमत में कुछ चीजें बयान करना चाहता हूं । जहां तक बाम्बे प्लान का ताल्लुक है और सड़कों का जाल बिछाने का मसला है पहले माननीय सदस्यों ने काफी इस सम्बन्ध में अर्ज कर दिया है । मैं मेरठ जिले से आता हूं और यह वह जिला है जिससे तरक्की के एतबार से आगे बढ़ा हुआ बतलाया जाता है लेकिन अगर उसकी बढ़ोत्तरी को सड़क की पैमायश के गतबार से नापने की कोशिश की जाय तो जो जिले पिछड़े हुए माने जाते हैं उनसे भी सड़क के मामले में यह पिछड़ा हुआ मिलेगा । पी० डब्ल्यू० डी० उत्तर प्रदेश की १९७६–७७ की रिपोर्ट की जो पुस्तिका है उसके सफा ६१ से ६५ तक हर जिले में बनी हुई सड़कों की तफशील दी हुई है । लखनऊ जो राजधानी है उसमें १२३.४ प्रतिशत सड़के बन चुकी है जो टार्गेट के ऊपर है । इसी तरह से आजमगढ़ में १२१.४ प्रतिशत सड़कें बन गयी और बाम्बे प्लान के मुताबिक १०० प्रतिशत से आगे बढ़ गया लेकिन यह तरक्की याफ्ता जिला जिसे मेरठ कहते हैं इसमें ७४.१ फीसदी सड़कें बनाई गयीं । आज मैं इस जिले की बाबत कुछ न कहता तो ना इंसाफी करता । फिर इस ७४.१ प्रतिशत में सारा का सारा रुपया सरकार का नहीं है । २ पैसे फी रुपया काश्तकार का तथा २ पैसे फी रुपया सोसाइटी का लगा हुआ है और जितना रुपया भारत सरकार का है उतना ही प्रदेशीय सरकार का लगा है । फिर इस बजट में एक इंच सड़क भी मेरठ जिले में नहीं ली गयी है । गांवों की बेकारी को भी आप दूर करना चाहते हैं तो इस मोहज्जिब सोसाइटी और तरक्की याफ्ता मुल्क के अन्दर और इस सूबे के अन्दर अगर गांव–गांव में आप सड़कें बनायेंगे तभी मुल्क का काश्तकार तरक्की कर सकता है । तभी खेती बाड़ी का काम पनप सकता है, तभी उद्योग चल सकते हैं अगर सड़कों का जाल बिछा दिया जाय । मेरठ जिला जो काश्तकारी की वजह से काफी आगे बढ़ा हुआ है उसके लिये मैं मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । उसे इस तरह से नजर अन्दाज न करें । जो काम आप अगले साल करने जा रहे हैं उसमें कोई भी सड़कों की स्कीम आपने मेरठ के लिए नहीं रखी है । मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मेरठ के लिए सड़कों का इंतजाम होना चाहिये ।

दूसरी बात जो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि सड़कों के बनाने में सियासी दबाव नहीं होना चाहिये उससे अलग रह कर सड़कों का निर्माण करने की आप कोशिश करें । आप जानते हैं कि कहां–कहां आप इन्डस्ट्रीज कायम करने जा रहे हैं और कहां–कहां आप बिजली और दूसरे कारखाने लगाने जा रहे हैं । इससे आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं और मंडियों का निर्माण भी आप करने जा रहे हैं । तो मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि आप पहले इन कार्यों को जिन जगहों पर वहां आप मार्ग आरम्भ करने जा रहे हैं वहां कम से कम पुख्ता सड़कें बनाइये उनका जाल बिछाइये । दूसरे पेज में गांवों तक चाहे पहले कच्ची ही सड़क हो उनको बनाइये और जब पैसा हो जाय तो उनको पक्का करने का काम करें और इस

[श्री सलावत हुसैन]—

तरह से योजनाबद्ध हो कर कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा इससे नाइंसाफी की बात किसी जगह नहीं होगी । जैसा मैंने अभी कहा मेरठ जिले को आज आप नजर अन्दाज कर रहें हैं और इस साल के बजट को देखने के बाद मालूम होती है यहां के लिये आपने जहमत गवारा नहीं की है । कोई नई सड़कें वहां के लिये नहीं दी गई है और यहां तक कि जो अधूरी स्कीमें सड़कों की है उनके लिये भी धन-राशि नहीं दिखाई दे रही है ।

श्री अधिष्ठाता—

आप एक मिनट में समाप्त करें ।

श्री सलावत हुसैन—

मैं एक बात कहकर समाप्त करता हूं कि जहां पर सड़कें नहीं होती हैं वहां पर न खेती पनप सकती है और न उद्योग पनप सकते हैं और जहां उद्योग नहीं होते वह इलाका तरक्की नहीं कर सकता है । मैं सिर्फ यही दो बातें कह कर बैठ जाता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं माननीय सदस्यों को कहूंगा कि जो माननीय सदस्य अभी तक एक बार भी नहीं बोले हैं हम उनको बुलाने का प्रयास कर रहे हैं और जो माननीय सदस्य बोल चुके हैं वह बेकार का प्रयास न करें, यदि समय मिलेगा तो उनको समय दिया जायेगा ।

श्री बसन्त (जिला देवरिया)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज हम सड़कों के विषय पर चर्चा आपके समक्ष सदन में करने जा रहे हैं और टूटे-फूटे शब्दों में हमको कहना है क्योंकि हम देहात के रहने वाले हैं और उसी विचार धारा से कह रहें हैं । हम हाटा क्षेत्र से देवरिया जिले से चुन कर आये हैं । हमारा इलाका बहुत ही पिछड़ा है । वहां सड़कों का, आवागमन का कोई प्रबन्ध ठीक से नहीं है । क्यों नहीं है यह इससे मालूम होता है कि पूरी हाटा तहसील में एक भी बस स्टेशन नहीं है । उसकी तरफ ध्यान दिया जाय । गौरी बाजार से लेकर हाटा और हाटा से पिपराई तक कोई सड़क का ठिकाना नहीं है । इसी तरह देवरिया से ले कर हाटा और कप्तानगंज होते हुये एक भी सड़क नहीं है । साथ ही साथ एक सुझाव सदन के समक्ष और है वह यह है कि सड़कों के न होने के कारण गांवों का शहरों से न जुड़ा होने के कारण गांव की बहुत बड़ी क्षति होती है । गांवों में किसानों का भूसा होता है जो भूसा जानवरों को खिलाया जाता है उसकी शहरों में मांग होती है लेकिन सड़क न होने के कारण वह गावों में सड़ जाता है । क्षति हो जाती है और कहीं-कहीं पुल भी न होने के कारण वह भी मामला वहां बहुत दयनीय हो जाता है । हमारे क्षेत्र में देवड़ार पिपरा वाया टेकुवाटार होते हुए राम कोला तक सड़क अवश्य बननी चाहिए, यह महत्वपूर्ण सड़क है और इसके वजह से ग्रामवासी बहुत परेशान रहते हैं । इस सड़क पर छोटी गण्डक पर पुल भी बनना चाहिए । उत्तरी हिस्से में जो नारायणी का छोर है, उस इलाके में कभी बाढ़ आ जाती है और कभी वहां लोगों को सूखा का सामना करना पड़ता है । हमारे यहां अभी भी सूखा पड़ा हुआ है, जिससे धान, कोदों, सांवा, मड़या, अरहर आदि की सारी फसल नष्ट हो गयी है । हमारा देवरिया जिला गल्ले के उत्पादन का प्रमुख स्थल है । किन्तु आज अन्न सूखने जा रहा है पानी न रहने के कारण । वहां ठीक समय से पानी नहीं मिलता है, पानी कैसे मिले, उधर उत्तरी सीमा का पानी पूर्वी हिस्से में चला जाता है और हमारे जिला देवरिया में समय से पानी न मिलने के कारण हमारा इलाका सारे का सारा सूखा रह जाता है । हमारे यहां बिसवा बाजार में मौन नाला पर

पुल बनना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा जेठन, मझन और देवराची में पांजा बाजार के सामने पुलिया बनवाया जाना बहुत आवश्यक है, हमारी सरकार उसे पूरा ध्यान देकर बनवाने की कृपा करें। इन पर अवश्य कोई छोटी बड़ी पुलिया होनी चाहिए और जो नहर चलती है, उस नहर के समक्ष ठीक से पानी नहीं जाता है, और कहीं काफी पानी बह जाता है। इसके बारे में हम कई दरख्वास्तें दी हैं। इन शब्दों के साथ में, जो बजट है, उसका हृदय से समर्थन करता हूं।

(कुछ सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)।

श्री अधिष्ठाता--

देखिए हमारे सामने बड़ी मजबूरी है। जिनको आज तक बोलने का मौका नहीं मिला है, उन्हीं को बोलने का प्रयास किया जा रहा है और उन सबके नाम यहां हैं। वह हाथ भी न उठावें, हमें उनका ध्यान है। इसके बाद जब बोलने वाले नहीं रहेंगे, तो दो एक मिनट की बात पर देखी जायेगी। जो पूरे सदन म दो महीने से नहीं बोलने आये हैं, वह पहले आज बोलेंगे।

श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)--

हमारे सारे जिले का नाश हो रहा है, उसकी कौन कहेगा ?

श्री अधिष्ठाता--

हरी सिंह जी आप सब जानते हैं, मैंने कह दिया है और समय सत्ता पक्ष ही बोलेगा, विरोधी पक्ष का कोई बोलेगा। मैं कहूंगा कि विरोधी दल के लोग अपनी लिस्ट दे दिया करें तो अच्छा रहे। सत्ता पक्ष के लोग बोल चुके हैं, अब इनको मौका नहीं है।

श्री राम कृष्ण (जिला जौनपुर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी को सुझाव देना चाहता हूं।

श्री हरी सिंह--

जब हम अपने जिले और क्षेत्र की बात कहना चाहते हैं, तो किससे कहें ?

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण--

मैं सुझाव देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग का जो विषय है, वह बहुत महत्वपूर्ण ढंग का है। हमारे प्रदेश में जो मंगलमयी योजना चलाई जा रही है।

श्री अधिष्ठाता--

हमारे पास कोई आने का यहां कष्ट न करे, हम निष्पक्ष ढंग से ही बुलवाने का प्रयास करेंगे।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण--

आप लोग उस विधान सभा के सदस्य हैं, जो शान्तिपूर्ण ढंग से सब बातों का विचार करती है। हमारा प्रदेश भारत का हृदय प्रदेश है। यहां की आबादी कुल आबादी का १/६ हिस्सा है।

[श्री राम कृष्ण]

इस प्रदेश की सीमाएं दूसरे देशों की सीमाओं को स्पर्श करती हैं। ऐसे विशाल प्रदेश के माननीय सदस्य यहां बैठे हैं और वे इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार कर रहे हैं। हमारे प्रदेश में पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में जो सार्वजनिक निर्माण विभाग का कार्य हुआ है वह प्रशंसनीय रहा है। हमारे देश के नेताओं ने काफी प्रयास किया। हमारे देश में बद्रिका आश्रम एक स्थान है जहां पर भक्त पहुंचने में बहुत तराते थे। लेकिन बद्रिका आश्रम तक हमारे यहां के सार्वजनिक निर्माण विभाग ने सड़क पहुंचा दी है, जिससे वहां पहुंचने में बहुत सुविधा हो गयी है। इस प्रकार से तीस साल में बहुत से कार्य हुए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो अभी तक कार्य हुआ है उससे आगे कदम उठाकर अपने प्रदेश में निर्माण विभाग को आगे रखें।

मैं अपने जिले की बात कहता हूं। प्रदेश में सड़कों का बहुत बड़ा कार्य हुआ है। लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र बरसठी में एक इंच पक्की सड़क नहीं बन पायी अभी तक। इस लिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने कोटा में विधान सभा क्षेत्र बरसठी में रामपुर सुरैरी गांधीघाट वाया कठौलिया १७ मील की सड़क और रामपुर से दुबेपुर, जमालपुर से मंगारी से होते हुए ६ मील सड़क है इन सड़कों को जोड़ लें। बरसात में कीचड़ भर जाता है, साइकिल भी नहीं जा पाती, ऐसे स्थान मेरे विधान सभा क्षेत्र बरसठी में हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि एक सड़क और भी आवश्यक है, जमालपुर से बाबतपुर जिसपर कंकड़ पत्थर आज तक नहीं पड़ा। इस सड़क पर ध्यान दें। इसके लिए बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता नहीं है, इसमें जल्दी काम लग सकता है।

मैं जनता पार्टी के मंत्रियों और सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि आपको जनता ने विशाल बहुमत दिया है, यदि आप शान्तिपूर्वक योजनाओं को चलाते तो बहुत पारंगत हो जाते। लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि जनता पार्टी की सरकारें इधर उधर की बातों में लग गयी हैं। देश में विप्लव की बू आ रही है। आप विशाल बहुमत का सदुपयोग करें और गलत कदम न उठाएं, तानाशाही की बात न सोचें। जनता ने जैसा आपको विशाल बहुमत दिया है, उनकी भावनाओं के अनुकूल नहीं चल रहे हैं। आप योजनाओं को चलाएं और प्रदेश को आगे बढ़ाएं। सार्वजनिक निर्माण विभाग सड़कों का सर्वे करवायें। जिन जिलों में और जिन जिलों के क्षेत्रों में मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने अपने क्षेत्रों में सड़कें बनवा दी हैं जिन क्षेत्रों में सड़कें नहीं ली गयी हैं पहले उन क्षेत्रों में सड़कें बनवाए और जिन क्षेत्रों में दो सौ सड़कें बन चुकी हैं, उनको स्थगित कर दें। मैं आशा करता हूं कि आप अपने मंत्रित्वकाल में सच्चाई और ईमानदारी के कदम उठाएंगे। इसके साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग बड़ी उम्मीद और हिम्मत से काम करेगा।

श्री कबूल सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर दिया इस बजट पर बोलने का। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान मेरठ से शामली जो सड़क जाती है उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं, वह हरियाणा से मुजफ्फरनगर को जोड़ती है। उस पर काम बहुत देरी से हो रहा है। उसको जल्दी करवा दें तो अच्छा है। दूसरे एक सड़क मीरापुर से सिकंदरपुर होते हुए ककरौली तक जाती है। वह आज तक नहीं बनी। उससे बहुत बड़ा लाभ तीस गांवों को होगा क्योंकि मीरापुर से किसानों को माल ले जाने लाने में बहुत विलम्ब होता है। श्रीमन्, इससे बहुत नुकसान होता है इसलिए मैं कहूंगा कि इस ओर शीघ्र ध्यान दिया जायेगा। दूसरा सुझाव मेरा यह है कि पलड़ी ग्राम से यहियापुर एक सड़क जाती है। इस पर एक नाला पड़ता है जो बारहों महीने बहता रहता है। उस

पर जो पुल नहीं बना है उसको आप अपनी योजना में जोड़ लें। जिला मुजफ्फरनगर में खतौली के पास नावला और खेड़ी के पास एक नाला है। बरसात में यह नाला बहुत जोरों से चढ़ता है तो उस समय किसान अपने खेतों में नहीं पहुंच पाता है, उनका खेत से सम्पर्क टूट जाता है। इसलिए उसको अपनी योजना में अविलम्ब जोड़ें।

माननीय अधिष्ठाता महोदय दूसरी बात मैं नौकरियों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। हरिजनों के लिए जो आरक्षण है, वह पूरा नहीं है। चाहे क्लास एक की नौकरी हो या क्लास दो की हो और चाहे क्लास तीन की नौकरी हो। तो म आपसे कहना चाहता हूं कि आप इसको पूरा करें। माननीय मंत्री जी जो अभी उत्तर देंगे उसमें इसकी स्पष्ट घोषणा करें कि वह जितना आरक्षण उनके विभाग में है, उसको पूरा करेंगे। यह मैं माननीय मंत्री जी से आशा करता हूं। और माननीय मंत्री जी इसको सुन लें क्योंकि ३० साल से हरिजनों का आरक्षण पूरा नहीं किया गया है। इसलिए मंत्री जी अपने उत्तर में स्पष्ट रूप से बतावें।

मान्यवर, हमारा जिला बहुत ही जरखेज जिला है इसलिए आपसे आग्रह है कि बाम्बे प्लान के अनुसार उसमें सड़कों का निर्माण करावें। मुजफ्फरनगर से कुटेसरा एक सड़क जाती है उस पर एक नदी पड़ती है और उस पर पुल है, टूट रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप उसको अपनी योजना में शामिल करें।

श्री अधिष्ठाता--

एक मिनट में आप समाप्त कीजिए।

श्री कबूल सिंह--

इन शब्दों के साथ माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी ने जो बजट रखा है उसका समर्थन करता हूं। इसी के साथ में एक बात और कह देना चाहता हूं कि इस विभाग के कर्मचारी ठेकेदारों से १२ परसेंट कमीशन लेते हैं। उनका कमीशन बंधा हुआ है। आप चाहें तो इसकी जांच कर लें। मेरा निवेदन है कि मंत्री जी इस पर ध्यान दें और इस भ्रष्टाचार को समाप्त करें। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री जगदीश प्रसाद (जिला गोरखपुर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने जो मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए आपका आभारी हूं। मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। पहली बात यह है कि माननीय मंत्री जी जरा ध्यान देकर सुन लें हमारे जिले गोरखपुर में घुरियापार निर्वाचन क्षेत्र, जो सरजू नदी के किनारे पड़ता है और वह मेरा निर्वाचन क्षेत्र भी है। वहां दो नदियां सरजू तथा कुवाना बहती हैं। दोनों के बीच एक हिस्सा है जिसे दोआब कहते हैं। बेलघाट के इलाके कुवाना नदी और सरजू नदी दोनों कभी-कभी बाढ़ के वक्त मिल जाती हैं जिससे एक लाख की आबादी वाला यह ७० गांव जलमग्न हो जाता है और वहां समुद्र का सा दृश्य उपस्थित हो जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह अपने विभाग द्वारा इस चीज की जांच कराकर दिखवा लेवें।

[श्री जगदीश प्रसाद]

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में केवल दो किलोमीटर पक्की सड़क है। उसके बाद धूल की सड़क ही है। शाहपुर से लेकर कूती बाजार तक जो १२ किलोमीटर सड़क पड़ती है उसको आप प्राथमिकता देने का कष्ट करें। सोपई घाट जो कुवाना नदी के किनारे पड़ता है यहां बाढ़ के कारण नदी के इस ओर से उस पार का आदमी दोआब में आ जा नहीं सकता क्योंकि वहां आने-जाने का कोई रास्ता ही नहीं रह जाता है वहां पुल अत्यन्त आवश्यक है। इन दो बातों की ओर माननीय मंत्री जी विशेष ध्यान देने की कृपा करें।

एक बात की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान और आकर्षित करना चाहूंगा कि जितने रुपये की मांग उन्होंने की है, वह पर्याप्त नहीं है। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जैसा पिछड़ा पन है, खासतौर से पूर्वांचल के जिलों की हालत को देखते हुए यह मांग बहुत कम है, इस बात के लिए मैं उनकी ताईद करता हूं। एक चीज वह अवश्य देखें कि इस विभाग में जितना रुपया मंजूर होता है, अधिष्ठाता महोदय वह पूरा का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता। होता यह है कि अगर एक करोड़ रुपये का कोई काम शुरू होना है तो एक ऐसी परिपाटी सी बन गयी है कि ऐन मौके पर केवल ६०-७० लाख रुपए का काम हो पाता है। पता नहीं किस तरह से उस काम को करने वाले लोगों की जेब में शेष धन चला जाता है या उसका दुरुपयोग हो जाता है। तो आप बजट में इतना रुपया रक्खें कि कम से कम एक तिहाई धन उसमें और बढ़ा दें जिससे कि उस रुपये के अनुसार काम हो सके। इस तरफ आप विशेष तवज्जह दें। ऐसा तरीका निकाला जाय, जिससे जो रुपये का दुरुपयोग होता है, उसकी रोकथाम हो सके। इसको जब तक आप विशेष रूप से नहीं देखेंगे तब तक उसका १/४ भाग यों ही दूसरों की जेबों में जाता रहेगा। आप इसके लिए कोई कारगर तरीका निकालें।

हमारे पूर्व वक्ता ने भी इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया है। अक्सर ऐसा भी होता है कि जो मिनिस्टर होता है जो अधिकारियों को किसी तरह से झगड़ा करके या अन्य तरीके से प्रभावित कर लेता है। उसके इलाके में चाहे मूल सड़कें अच्छी बनी हों, वहीं पर नयी सड़क फिर से बन जाती है और जो नेग्लेक्टेड एरिया है वहां पर उनका ध्यान नहीं जाता। मैं कम से कम अपनी पार्टी की सरकार से यह उम्मीद करता हूं कि जो पुराने तौर-तरीके थे, जिससे प्रभावशाली लोग या मंत्री लोग अपने प्रभाव से अपने क्षेत्र में ज्यादा रुपया इस्तेमाल करवा लेते थे, उसकी रोकथाम हो और पिछड़े पन की वरीयता के अनुसार रुपया खर्च किया जाय।

इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी के बजट प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री कमल प्रसाद सिंह (जिला जौनपुर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय श्याम धर मिश्र जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैंने देखा है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग का जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें पिछड़े क्षेत्रों के लिए, जनता के हित के लिए कोई बात नहीं रखी गयी है। मैं अपने जनपद के बारे में बताना चाहता हूं कि मेरा जनपद, जौनपुर बहुत ही पिछड़ा हुआ जनपद है। मेरा ख्याल है कि वहां पर हर वर्ष बाढ़ आया करती है और वहां से जितनी भी सड़कें बाहर जाती हैं, टूटी फूटी हालत में पड़ी रहती हैं और वहां के रहने वाले लोग बेहद परेशान होते हैं, आने जाने के साधन बिल्कुल ही छिन्नभिन्न हो जाते हैं। अगर वहां के किसान रबी या खरीफ में कुछ अनाज पैदा भी कर लेते हैं तो उसको बाजार में ले जाकर बेच नहीं सकते हैं, मजबूर

हो जाते हैं कि वे अपने माल को उन व्यापारियों को बेचें जो उन गरीबों का खून चूसते हैं और सस्ते दाम पर उनसे सामान खरीद लेते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे जनपद में भी जो सड़कें टूटी–फूटी पड़ी हैं, खराब हालत में पड़ी हुई हैं, उनको बनवाने की कृपा करें।

हमारा क्षेत्र शहरी क्षेत्र है लेकिन उससे लगा हुआ बहुत सा क्षेत्र देहात का १४ किलोमीटर के लगभग जौनपुर से मल्हनी रोड वह जिला परिषद् में रही है लेकिन अब बार–बार प्रस्ताव करने के बाद हमें इस बात की खुशी है कि उस रोड को सार्वजनिक निर्माण विभाग ने ले लिया है। हमारे यहां के जो अधिकारी हैं, उन्होंने बताया है कि यह १४ किलोमीटर की सड़क जो जौनपुर से मल्हनी जाने वाली है उसको सार्वजनिक निर्माण विभाग ने ले लिया है। मैंने स्वयं भी देखा है कि उस सड़क के किनारे पर गिट्टी पड़ी हुई है लेकिन अभी तक उस रोड पर कोई काम आरम्भ नहीं हुआ है। उस सड़क पर लिंक रोड है जो बरैया से नरौलीघाट जाती है। क्रेश प्रोग्राम में उस पर मिट्टी पड़ चुकी है जिस पर जिला परिषद् के द्वारा एक पुल भी बन गया है, मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उसको शीघ्र तैयार करायें जिससे आने जाने में लोगों को वहां पर सुविधा हो सके। इस १४ किलोमीटर की सड़क न बनने के कारण अगर कोई मोटर से या बस से आना–जाना चाहता है तो उसे कई घंटे लग जाते हैं।

हमारे जनपद में जो सार्वजनिक निर्माण विभाग का डाक बंगला बना हुआ है, वह इतना छोटा है कि अगर २–३ वी० आई० पी० एक साथ आ जायं तो वे वहां पर अच्छी तरह से ठहर नहीं सकते हैं। इसलिए या तो उसको बड़ा करवा दें या एक नया डाक बंगला वहां पर बनवा दिया जाय, जिससे किसी भी वी० आई० पी० को वहां रुकने में कोई कष्ट न हो, कठिनाई पैदा न हो सके।

हमारे यहां पर गोमती नदी पर एक पुल बना हुआ है। सिपाह से शाहगंज जाने वाली सड़क पर एक लिंक रोड होनी चाहिये। शाही ब्रिज पर इतना लोड हो जाता है कि जो भारी बसेज हैं, उस पर से नहीं जा सकती हैं। अगर यह सड़क ठीक हो जाय, तो वे बाई पास से चली जायं ताकि जो लोड उस पुल पर पड़ता है, वह कम हो जाय।

हमारे यहां पर मुगरा बादशाहपुर से शाहगंज तक एक रोड बनी हुई है पिलकिछा स्थान पर एक ब्रिज पास हो चुका है। मेरी प्रार्थना है कि उसे अविलम्ब बनाया जाय। पिलकिछा का पुल १९७३ में रखा गया था, वह स्वीकृत भी हुआ। पिलकिछा ब्रिज को जल्दी से बनवाने की कृपा करें। और मेरे क्षेत्र में बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जो बहुत ही अस्तव्यस्त हालत में हैं, उनको बनवाने की कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री शिव लाल मित्तल (जिला बस्ती)—

मान्यवर, अधिष्ठाता महोदय सार्वजनिक निर्माण मंत्री द्वारा रखे गए . . .

(व्यवधान)

(एक सदस्य के खड़े होने पर)

[श्री अधिष्ठाता--]

श्री अधिष्ठाता--

मैं बार-बार कह रहा हूं, जो कभी नहीं बोले हैं, उन्हीं को बोलने का अवसर दिये जाने का विचार है। आपका नाम है, आपको भी बुलवायेंगे।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)--

कोई प्रशिक्षण केन्द्र नहीं है, श्रीमन्।

श्री अधिष्ठाता--

आप स्थान ग्रहण करें।

श्री शिव लाल मित्तल--

मैं मान्यवर, सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं बस्ती जिले के शोहरतगढ़ क्षेत्र से आया हूं। एक सड़क तुलसीपुर-गोंडा को गयी है। इसपर दो पुल बनने बाकी हैं।

श्री अधिष्ठात.-- (शोर)

सदन में शान्ति रखें।

श्री शिव लाल मित्तल--

जिसका नाम इस बजट में नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि नेपाल बोर्डर का इलाका है जहां आपके चरगंहवा नदी में पुल का निर्माण हो रहा है लेकिन चाल धीमी है। बानगंगा पुल भी स्वीकार करके बनवायें। सोतवा का पुल है। जिस पर कार्य बीच में २-३ वर्षों से बन्द रहा है। बरसात खत्म होने के बाद बनना है। उसके बन जाने से ६७ मील की सड़क जो परसा से इटवा बांसी होकर शोहरतगढ़ घूम कर आती है वह दूरी ७ मील का ही रह जायेगी जिसे ठीक कराया जाय। आपका फजहतवा सूपा और सूड्डा पुल भी मंजूर है लेकिन बन नहीं रहे हैं। मोहाना पर दोनों तरफ सड़क बन गया है। चाल धीमी है, ठेकेदार काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, उनके पास सामान नहीं है, उसको पैसे देकर दूसरे से बनवायें और मोहाना पुल का काम शीघ्र कराया जाय, यह मंत्री जी ध्यान दें।

सड़कों के बारे में यह कहना है कि एक सड़क बस्ती से नौगढ़ आयी है, भगवान बुद्ध की जन्मभूमि लुम्बनी कानन है जहां देशी, विदेशी पर्यटक आते हैं, एक सड़क बनी है। दूसरी गोरखपुर से जो उसका होकर नौगढ़, शोहरतगढ़ आयी है, यह ठीक नहीं है। दूसरी डुमरियागंज से इटवा बढ़नी आयी है, यह भी अधूरी है। बाकी, ग्रामीण अंचलों में एक भी सड़क नहीं है इस क्षेत्र में इलेक्शन के समय में नयी जीप एक समय गयी थीं, अब कहते हैं कि ३ हजार किराया होगा, क्योंकि सड़क इतनी खराब है कि २६ हजार की जीप बरबाद हो जायेगी। अब जनता को जनता सरकार से बड़ी आशाएं हैं। विरोध पक्ष ने ३० साल से ग्रामीण क्षेत्र की जनता को रुलाया है, उसके लिए कोई ध्यान नहीं दिया। आज वे सड़कों के विकास का नारा लगाते हैं, हरिजनवाद का नारा देते हैं। मैं आग्रह करूंगा आप लोग भी जागरूक हैं, हम भी निवेदन करते हैं कि आप सर्वे करावें। जो भी सड़कें दी जाती हैं वह एम० एल० ए० के अनुसार आवरण होकर बनती हैं। आप पता लगावें कि वास्तव में पिछड़ा इलाका कहां है और सड़कें अधिक कहां हैं। जहां कम हैं और पिछड़ा इलाका है उसको प्राथमिकता दें, यह आपसे निवेदन है।

शोहरतगढ़ और नौगढ़ दो निर्वाचन क्षेत्र नेपाल बोर्डर पर हैं, ये सबसे पिछड़े इलाके हैं। एक सड़क जलिया से कठेला गयी है, उसे आप शोहरतगढ़ तक कर दें। दूसरी चेतिया से शोहरतगढ़ आने वाली है, यह भी रद्दी है, इसकी योजना

में लें। तीसरी बढ़नी से बरगदवा होती हुई बोहाल तक आयी है बोहलों से परसा, इसको भी बनवाने का कष्ट करें।

श्री अधिष्ठाता––

अब आपके २ मिनट रह गए।

श्री शिव लाल मित्तल––

मान्यवर, पहली बार बोल रहा हूं। मधुबनिया से चिल्हिया बरगदवा से पकड़ी होते हुए सड़क गयी है। यह भी बननी चाहिए। इसके अलावा कटहना से कडलहवा कोई मार्ग नहीं है। इन सड़कों को आप दुरुस्त करावें। यह नेपाल बार्डर का क्षेत्र है। परसा से कोटिया बुजुर्ग पर पुलिस चौकी है लेकिन सड़क नहीं है। इस सड़क को भी बनवायें। क्रैश प्रोग्राम में कुछ सड़कें १९७३ में बनी थीं। अनशन हुआ था। उन सड़कों को थोड़े से खर्च में पी० डब्लू० डी० को दिया जा सकता है। मंत्री जी स्वयं दौरा करके देखें तब पता चलेगा कि मेरा क्षेत्र कितना पिछड़ा है। इन बातों के साथ मैं प्रस्तुत मांग का समर्थन करता हूं। जय भारत।

श्री अधिष्ठाता––

मैं सदस्यों की अकुलाहट को समझ रहा हूं। यथासम्भव सभी को समय मिलेगा पर जरा शान्ति स्थापित कर सुनें। माननीय मोती लाल देहलवी, जरा संक्षेप में कहें। समय बहुत कम है।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)––

मान्यवर, यह सब लोग स्वीकार करते आए हैं कि इस प्रदेश और देश की जनता देहातों में रहती है। गांवों की ३० साल से दुखी और त्रसित जनता ने यह आशा और आकांक्षा की थी कि जब कभी गैरकांग्रेसी सरकार बनेगी तो ठोस नीतियों और समानता के सिद्धान्तों के आधार पर अपनी नीति का निर्धारण करेगी और उसी के अनुसार आचरण करेगी। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी सरकार ने उसका कोई पालन नहीं किया। यह भी मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने भी ठोस नीतियों और समानता के सिद्धान्त के आधार पर अपनी नीति का निर्धारण नहीं किया और इसका मैं आपको प्रमाण देना चाहूंगा कि जो आजमगढ़ जिला है, जिसमें ११ सड़कें बनने जा रही हैं। यह माननीय मुख्य मंत्री जी का भी जिला है और सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी का भी जिला है। आप देख लीजिए, यह निर्माण विभाग की सरकारी किताब है जो हम लोगों को मिली है इसके पृष्ठ ६४ पर है आजमगढ़ जिला, इसकी सड़क सम्बन्धी उपलब्धि है १२१.७ और ऐसे भी जिले हैं जिनकी उपलब्धि ७७.९ तक है। अगर जनसंख्या का ही आधार मान लिया जाय तो मेरा कानपुर जिला है, उसकी सड़क निर्माण उपलब्धि है ९०.८। जौनपुर के एक माननीय कांग्रेसी सदस्य बोल रहे थे। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि जो मंत्री होते हैं वे तमाम निर्माण कार्य अपने जिले में करा लेते हैं। मैं जौनपुर का भी हवाला दे रहा हूं कांग्रेसी मंत्री का।

मान्यवर, जौनपुर का है १०५.९, तो मान्यवर, यह तो वह हालत हुई कि अन्धा बांटे रेवड़ी, मुड़–मुड़ अपने को देय। कोई समानता का सिद्धान्त नहीं है, कोई ठोस नीति नहीं है। डाक्टर लोहिया कहा करते थे कि जब कभी गैरकांग्रेसी सरकार बने

[श्री मोती लाल देहलवी—]

तो उसको तत्काल कोई न कोई सार्वजनिक हित का एक बड़ा काम करना चाहिए। मान्यवर, सौभाग्य से गैरकांग्रेस सरकार बनी, लेकिन मैं यह देख रहा हूं कि जिस तरह से ३० साल तक लगातार कांग्रेस की सरकार केवल लफ्फाजी व धन के आंकड़े दिखा कर चलती रही उसी तरह हमारी सरकार भी चलने की राह में मालूम हो रही है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

देहलवी जी, समय बहुत कम है।

श्री मोती लाल देहलवी—

जिन नौकरशाही के पद चिन्हों पर कांग्रेस सरकार चलती थी, सिर्फ लफ्फाजी के ऊपर, आज हमारी सरकार भी उसी पद चिन्हों पर चल रही मालूम पड़ती है। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि पुरानी लफ्फाजी और रुपयों के आंकड़ों के आधार पर चलना बन्द कर दें और निश्चित सिद्धान्त का निरूपण करें। मान्यवर, गांव उपेक्षित पड़े हैं, इसको सभी लोग जानते हैं। पहले जितने माननीय सदस्य बोले हैं, उनकी सबकी भावना है कि सड़क गांव से जोड़ी जाय। ३० साल की हुकूमत में अगर कांग्रेस के लोगों ने हर साल कम से कम दो ही सड़कों को, दो ही गांवों से सड़कों को जोड़ दिए होते, तो मान्यवर, हर विधान सभा क्षेत्र के कम से कम ६० गांव सड़कों से जुड़ गए होते।

मैं चाहता हूं कि यह हमारी सरकार कोई सार्वजनिक हित का एक बड़ा काम करे और मैं उस बड़े काम में गांवों को सड़कों से जोड़ने वाला मानता हूं। यह वह काम है कि गांव की जनता को इस काम के जरिए से गुदगुदाया और हंसाया जा सकता है। उसमें एक आकर्षण पैदा किया जा सकता है। एक खिंचाव पैदा किया जा सकता है। उसी से यह आशा बंधायी जा सकती है कि जनता पार्टी की सरकार हमारे गांव के लोगों के विकास करने पर ध्यान दे रही है और देगी। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर यह सरकार टिकाऊ और स्थायी होना चाहती है, मजबूत होना चाहती है, तो मान्यवर, यह सरकार पहला काम अफसरों का परिवर्तन करने का करें, बगैर अफसरों के परिवर्तन हुए यह काम सम्भव नहीं है और मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि कम से कम समानता के आधार पर हर विधान सभा क्षेत्र के कम से कम १० गांवों को प्रतिवर्ष सड़कों से जोड़ दें, कम से कम ब्लाक व तहसील में जाने-आने का मार्ग सुलभ कर दें और प्रत्येक साल यह काम और ज्यादा बढ़ा कर निरन्तर करते रहें। अगर इस काम को किया तो यह जो कांग्रेसी और कम्युनिस्ट कांग्रेसी हैं, उनकी आकांक्षाएं सड़क के इंजन के नीचे मिट जायेंगी, दब जायेंगी। इस सरकार को कोई हिलाने वाला नहीं होगा।

*श्री श्याम नारायण तिवारी (जिला गोरखपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से अर्ज करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि पिछड़े क्षेत्रों पर जोर दिया जायगा उन्होंने यह भी कहा कि जो सड़कें मिसप्लेस हैं, जो जगहें उनमें खाली हैं उनको पूरा किया जायगा। और जो आवश्यक पुल टूटे हुए हैं उनको बनाया जायगा। यह अच्छी बात है। लेकिन मुझे शंका है कि यह बातें पूरी होंगी।

चूंकि समय कम है इसलिए समालोचना न करके मैं कुछ सुझाव पेश करना पसन्द करूंगा। हमारे गोरखपुर जिले में फरेन्दा तहसील में ऐसी जगहें हैं जहां बरसात में पानी भर जाता है। अगर आप श्रीमन्, बरसात में वहां यात्रा करें तो हाथी के अलावा किसी दूसरी सवारी से यात्रा नहीं कर सकते हैं। मान्यवर, वहां सड़कों का अभाव है। जो मुख्य मार्ग है जो नेपाल से गोरखपुर को मिलाता है उस पर बृजमनगंज एक कस्बा है। वहां पर ८०० गज ऐसी भूमि है जो टूटी-फूटी है। यहां सरकारी बसें

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चलती हैं। सड़क यहां पर इसलिए नहीं बन पाती है कि कुछ बड़े लोगों की जमीन पड़ती है जो अधिकारियों से मिलकर साजिश करके इस सड़क को नहीं बनने देते हैं। मैंने इस सम्बन्ध में कई बार अनुरोध किया है। तो मैं इस तरफ मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, थानी-नैनसर मार्ग पर पुल है वह पुराना होने के कारण टूट गया है। यह सड़क भी बहुत खराब है, रास्ता बन्द है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस पुल को बनाने का काम पहले लिया जाय। मान्यवर, मेंहदावल-थानी मार्ग को बनाया जाय। महादेवा-समरथीरा मार्ग जो है इसकी बहुत आवश्यकता है इसको भी पूरा कराने की कृपा की जाय। मैं एक निवेदन करूंगा कि फरेन्दा-बृजमनगंज से होते हुए जो जिला परिषद् की सड़क है उसके लिए बराबर संस्तुति जिला परिषद् की ओर से हुई कि इस सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग अपने हाथ में लेकर इस सड़क का काम पूरा करे। मंत्री जी ने कहा है कि चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं और जो ३ वर्षों से काम कर रहे हैं उनको स्थायी किया जायगा। मैं कहना चाहता हूं कि रानीपुर से पुरन्दरपुर सड़क पर काम करने वाले इन कर्मचारियों को स्थायी किया जाय। इसी तरह से करमैनी-बृजमनगंज सडक पर बहुत से कर्मचारी काम करते हैं। यह ८ वर्षों से काम कर रहे हैं और अस्थायी हैं। अगर मंत्री जी का कहना सही है तो इनको स्थायी किया जायगा तो इन लोगो का भला होगा। मैं मंत्री जी के इस कदम को स्वागत योग्य कदम कहने के लिए तैयार हूं। मैं अन्त में अनुरोध करूंगा कि इस क्षेत्र में जो तराई का क्षेत्र कहा जाता है वहां सड़कों को पूरा किया जाय। सोनावदी-भुजखरिया होते हुए सड़क बनाई जाय और महाव पर पुल बनाया जाय। इसी तरह से पिपरामैनी-बरास्थान मार्ग पूरा कराया जाय जिससे यहां पर यातायात की सुविधा लोगों को मिल सके।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त कीजिए।

श्री पूरन चन्द्र (जिला अल्मोड़ा)--

मान्यवर, मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। श्रीमन् भारतवर्ष एक गांवों का देश है। देश की ८० प्रतिशत जनता गांवों में रहती है।

श्री अधिष्ठाता--

मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि भूमिका बांधने का समय नहीं है। अपने सुझावों को देकर समय का सदुपयोग करें।

श्री पूरन चन्द्र--

यदि देश को उन्नति करना है तो गांवों से गांवों को मिलाने के लिए वहां सड़कों का होना अति आवश्यक है। श्रीमन्, मैं अपने पर्वतीय अंचल के बारे कुछ कहना चाहता हूं। पर्वतीय अंचल में जो भी आज तक सड़कें बनी हैं वह वास्तव में जनहित में नहीं बनी हैं। बल्कि वह व्यक्तिगत हित को देखते हुए भी बनी हैं। हमारे बागेश्वर सुरक्षित क्षेत्र में जो चाइना से मिला है वहां ४ सड़कें केवल हैं।

[श्री पूरन चन्द्र—]

इस प्रकार उस क्षेत्र को सड़कों से वंचित रखा गया है और वहां की जनत की उपेक्षा की गयी है उसकी इसलिए बागेश्वर क्षेत्र की जनता सरकार से अपेक्षा करेगी कि कम से कम वहां इस वर्ष जो जनता सरकार ने जनता को आश्वासन दिया है, उनकी मांगे पूरी हों, उस संदर्भ में निवेदन करना चाहूंगा कि बागेश्वर सुरक्षित क्षेत्र में कम से कम १० मोटर मार्ग बनने आवश्यक हैं। जो इस प्रकार हैं—

१—डंगोली–कुलाऊं–ग्वालरम मोटर मार्ग।
२—कपकोट–गासो फुलबाड़ी करमी मोटर मार्ग।
३—गरुड़–द्यो–बड़ाई चौखुटिया मोटर मार्ग।
४—कांडा–सानी बड़ियाव द्योतोली मोटर मार्ग।
५—दफोट–बागेश्वर–मोटर मार्ग।
६—कनाधार–विगलो मोटर मार्ग।
७—कटपुड़िया–छीन–बुहावा–असौरीठागाड़ मोटर मार्ग।
८—बागेश्वर–गिरेछी मोटर मार्ग।
९—बज्यूला–मबई अमस्यारी–हटोनगरी कुलाऊं मोटर मार्ग।
१०—धरमघर–सनेसी–लागा मोटर मार्ग।

उनमें चाहे ६ किलोमीटर की सड़कें हों या ४ किलोमीटर की लेकिन १० मोटर मार्ग बनने चाहिए। हमारे क्षेत्र में अभी तक ४ मोटर मार्ग हैं। लेकिन कम से कम १० मोटर मार्गों का निर्माण मंत्री जी कराने की कृपा करें। ताकि सबको संतुष्टि हो, साथ ही श्रीमन्, बजूला मोटर मार्ग जो है उसका काम पूरा नहीं हुआ है इसलिए उसको पूरा किया जाना चाहिए। इसी प्रकार मान्यवर, पिंडारी मार्ग का काम भी पूरा किया जाय। मान्यवर, मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि जिस प्रकार केन्द्र में डी० जी० बी० आर० सड़कों को बनाता है उसी प्रकार हमारे प्रदेश में पी० डब्लू० डी० नाम न होकर वास्तव में निर्माणवाहिनी नाम रखा जाय ताकि हमारे यहां मजदूरवाहिनी बन सके। जो मार्ग तथा भवन निर्माण कार्य करें।

धन्यवाद।

श्री हरगोविन्द सिंह (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा हर्ष और गौरव है कि मुझे आपने बोलने का समय दिया। मैं ठीक देहाती क्षेत्र से चुनकर आया हूं और अपने क्षेत्र की मूक जनता की भाषा इस सदन के सामने रखूंगा। इस सदन की कुछ परम्परायें हैं जिन्हें सीखने में शायद हमें सदियों लगें। आज पहले मुझे पता चला कि अध्यक्ष महोदय को नाम बोलने के लिए दिया जा सकता है और मैंने दिया लेकिन मुझे समय नहीं मिला। फिर पता चला कि १० बजे नाम अध्यक्ष को दे दिए जायं तो बोलने का समय मिलता है। परसों ठीक दस बजे मैंने अपना नाम अध्यक्ष जी को दे दिया। फिर भी मुझे समय नहीं मिला फिर पता चला कि संसदीय कार्य मंत्री, श्री दिघे जी की स्वीकृति ले ली जाय तो समय मिल जाता है। लेकिन कल मालूम नहीं मेरा नाम एक पर था लेकिन फिर भी मुझे मौका नहीं मिला। आज मुझे मौका मिला है जिसके लिए मुझे हर्ष है।

यहां की जो बातें हैं वह हम गांव से आये हुए लोग नहीं जान पाते हैं। सदन में बताया गया कि मित्तल साहब हैं वह जानकारी इसके बारे में देंगे कि यहां के विधान क्या हैं। लेकिन कुछ पुराने नेता ऐसे हैं जो इसमें तौहीन समझते हैं कि दूसरों से यह चीजें सीखें। मैं कह सकता हूं कि बहुत से सदस्य ऐसे

है जो यहां के तरीके नहीं जान पाते हैं। हम लोग देहाती क्षेत्र से आते हैं। मशीनी चीज में कुछ कहने के लिए जब हम यहां आते हैं तो जो कहना चाहते हैं वह भूल जाते हैं ग्राम्य विकास क्षेत्र का जो बजट आया जब प्रस्ताव रखा गया तो भी बोलने वालों में था। सदन में एक-एक सदस्य की गिनती मैंने किया तो मालूम हुआ कि सदस्यों की संख्या ४० से ज्यादा नहीं होगी। अधिष्ठाता महोदय, इस प्रदेश की जनता ८५ प्रतिशत देहात में बसती है। मैंने देखा मैंने हिसाब लगाया कि ३४५-३४६ विधायक होने चाहिये थे अनुपात के अनुसार लेकिन यहां केवल ३५ भी नहीं बैठते हैं। इसे देखते हुए बड़ा दुःख हुआ कि ३४५-३४६ में से केवल ३५ ही बैठे थे।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य यह कमेन्ट बाद में करें। आप अपने क्षेत्र की सड़कें बनवा लें

श्री हर गोविन्द सिंह--

अधिष्ठाता महोदय, मैं यह समझता हूं कि जो सड़कों की मांग है वह अगर मांगू तो मिलने वाली नहीं है। मैंने पुस्तकालय में जो भी सदन की कार्यवाही पढ़ी है उनमें मंत्री बजट पेश करते हैं विपक्ष के नेता उसमें कटौती का प्रस्ताव रखते हैं और कहते हैं कि इसको घटाकर एक रुपया कर दी जाय लेकिन श्याम धर मिश्र जी बाद में सुझाव भी देते है। वे सुझाव देते हैं कि इस राशि को यदि पांच गुना भी कर दी जाय तो भी थोड़ी है। परम्परायें हैं। हम विधायक हैं। इस परम्पराओं में कुछ परिवर्तन आना चाहिए। एक विचित्रता हमारे सदन में चल रही है। लोग कहते हैं कि विपक्ष का आदमी ऐसे बोलता है जैसे इन्होंने कभी सत्ता पक्ष देखा ही न हो। ऐसी-ऐसी तीव्र आलोचनाएं करते हैं जैसे दुधमुही जनता पार्टी की सरकार इन सारी बातों के लिए जिम्मेदार है यह नहीं सोचते कि यह (विपक्षी) स्वयं जिम्मेदार हैं। दूसरी तरफ हमारे पक्ष के जो आदमी हैं, सत्ता पक्ष के जो आदमी है लोग कहते हैं वे ऐसी बातें करते हैं मानो विपक्ष में बैठे हों। हमारे साथी जो विपक्ष में बैठे हैं उनके एक मान्य नेता ने कहा था कि यह जो पांच खम्भा सरकार है यह पांच पार्टियों की, पंच खम्भा सरकार है यह चौखम्भा राष्ट्र का निर्माण कर सकेगी या नहीं, मुझे बड़ा सन्देह है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज तक जो लोग नेहरू परिवार के दबाव से, रोब से जो अपना मुंह नहीं खोल सकते थे आज जनता पार्टी के सदस्य किसी एक परिवार के दबाव से, रोब से प्रभावित नहीं हैं और वे मंत्रियों से भी अधिकारपूर्वक बात करते हैं यह बड़ी प्रसन्नता की बात है।

एक बात और है महोदय, यहां पर बड़े सवाल होते हैं कि फलां जगह भ्रष्टाचार है, उस क्षेत्र में भ्रष्टाचार है और मंत्री जी से इसकी बात कही जाती है तो वे ऐसे ढंग से सुनते हैं जैसे वे सारे भ्रष्टाचार को दूर कर देंगे। सब लोग कहते हैं कि उनके क्षेत्र में फलां कमी है लेकिन मैं समझता हूं कि इसको दूर करने का एक रास्ता है। यह ५८ जिले का सूबा है। एक मन्त्री जी हैं, एक मुख्य मन्त्री जी, एक पी० डब्लू० डी० मन्त्री जी हर जिले में जाकर देख भी नहीं सकते, वहां की सुन नहीं सकते, इसलिए मेरा सुझाव है कि इस प्रदेश का बटवारा होना चाहिए और बटवारे में इसके कम से कम चार भा

[श्री हर गोबिन्द सिंह—]

होने चाहिए, जिससे मन्त्रिगण यहां की बात सुन सकें और प्रस्ताव की बात कर सकें। भ्रष्टाचार को करीब से देख सकें।

महोदय, उत्तर प्रदेश की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की ८१ प्रतिशत आबादी गांव में बसती है। १९७१ में यहां की जन संख्या ८ करोड़ ८३ लाख ४१ हजार थी और सन् १९७६ में जो सम्भावित लगाई गई वह ९ करोड़ ६५ लाख लगाई गई है। निश्चित रूप से अब कहीं ज्यादा होगी। क्षेत्रफल के लिहाज से हमारा प्रदेश चौथे नम्बर पर आता है। इससे पहले क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र आते हैं, लेकिन आबादी के लिहाज से यह सारे सूबों में सब से बड़ा है। इसमें देश की १/६ जनता बसती है। सड़कों की लम्बाई जब मैंने देखी आबादी के विचार से यह आठवें नम्बर पर देश है....।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त....।

श्री हर गोविन्द सिंह—

महोदय, मैं आज तक नहीं बोला हूं। थोड़ा सा समय दीजिए ब्याज नहीं तो मूल ही सही सड़कों की लम्बाई श्याम धर जी ने ६० हजार बताई थी। मने तमाम किताबें टटोली, आंकड़े देखे, लाइब्रेरी गया, पता चला कि ३१ मार्च, सन् ७६ तक सड़कों की लम्बाई ३९२८९ किलो मीटर मिली। आजादी के समय यहां सड़कों की लम्बाई १५ हजार किलो मीटर थी। ३९ में से १५ हजार घटा दो जाय तो २४ हजार बचती है यानी ३० साल में तीन हजार किलो मीटर हर साल बनी। कुछ उन्नति आपातकाल में करी होगी एक हजार और बढ़ी होंगी तो इस प्रकार ४०, ४२ हजार किलो मीटर सड़कें इस प्रदेश में बनीं। अतः श्यामधर जी के आंकड़े गलत हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

अधिष्ठाता महोदय, उधर से कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस सरकार की वजह से जहां तक सड़कों का निर्माण का सम्बन्ध है, उस समय के बजट और आज के बजट में जमीन और आसमान का अन्तर है। अगर इसी तरह से प्रगति के रास्ते पर हम चलते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब हम सारे देश का स्वरूप ही बदल देंगे। मेरे जिले में मनकापुर से लेकर बभनान सड़क पर १४ बसें चलती हैं। यह तीर्थ स्थान भी है और स्वामी नारायण छपिया का जन्म स्थान है। इसी तरह से स्वर्णाकर भी तीर्थ स्थान है। हर साल लाखों तीर्थ यात्री इन दोनों तीर्थ स्थलों पर आते हैं। मनकापुर से बल्लीपुर तक ४ मील सड़क नहीं बनी है और बल्लीपुर से मिसकुनवा तक ७ किलो मीटर बनी हुई है और मिसकुनवा से बभनान तक १४ किलोमीटर बाकी पड़ी हुई है हालांकी खारंजा लगा हुआ है और रोड़ी पड़ी हुई है। इसको मन्त्री महोदय पूरा करा दें शीघ्र से शीघ्र। इसके साथ ही फैजाबाद से डुमरियागंज तक सड़क है जो नेपाल को मिलाती है। यह सड़क बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, सूबे के लिये और जिले के लिये भी। इसका शीघ्र से शीघ्र निर्माण कराया जाय। कुशमीरघाट से सिगारघाट तक खरंजा लगा हुआ है। इसी तरह से उस्मानघाट से मसकनुवा तक खरेन्जा लगा हुआ है। इसके लिए ४ लाख ११ हजार रुपया सन् ७६ में केन्द्रीय सरकार ने में दिया था। इस सड़क को भी शीघ्र से शीघ्र बनाया जाय। इसके अलावा वजीरगंज से झिलाही से बरीपुर तक सड़क बनानी है जो

तीन मील तक बनी हुई है। इसके बनाने से यातायात के साधन सुलभ हो सकेंगे। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रामबक्स (जिला फर्रुखाबाद)—

मान्यवर, मैं आपका बड़ा अनुगृहीत हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मान्यवर, जनपद फर्रुखाबाद के उमर्दा क्षेत्र से मैं चुन कर आया हूं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हमारा क्षेत्र जिला फर्रुखाबाद का काला पानी है हमारे क्षेत्र में एक भी सड़क कांग्रेस के शासन में नहीं बन पाई है, जिससे उस क्षेत्र का विकास नहीं हो सका। इसलिए मैं उस क्षेत्र की सड़कों के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में सौरिखी से नादी मऊ तक सड़कों का निर्माण किया जाय, इनके बीच में जो टुकड़ा बाकी रह गया है, उसको बनाया जाय। यह सड़क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दूसरा मार्ग हमारे क्षेत्र में तिरवा खैरनगर है, इसमें केवल १० किलो मीटर सड़क बननी है, मुझे अफसोस है कि वह अभी तक नहीं बन पाई है १९४२ से वह सड़क बननी शुरू हुई थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। जनता पार्टी की सरकार ने आश्वासन दिया है कि हम क्षेत्रीय विषमता को दूर करेंगे। जैसा कि यह पुस्तिका वितरित की गई है 'सार्वजनिक निर्माण विभाग की उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण' इसकी तालिका १६ पृष्ठ ६२ में आप देखेंगे कि फर्रुखाबाद जो है बम्बई प्लान के अन्तर्गत आता है, उसमें जो उपलब्धि है, वह ६१.९ है। इसकी अपेक्षा इटावा की उपलब्धि ७८.५ है, मैनपुरी की उपलब्धि ८३.३ है, एटा की उपलब्धि ७२.१ है। इसलिए हमारा मन्त्री जी से अनुरोध है कि इस क्षेत्र की विषमता को दूर करने के लिये हमारे जनपद में ज्यादा सड़कों को स्वीकृति प्रदान करें और उनको शीघ्र बनवायें। मेरे क्षेत्र में इससे दूसरे नम्बर की महत्वपूर्ण सड़कें हैं, जिनके बनाने के लिये भी मैं अनुरोध करूंगा वह हैं खडिनी, हसेस, हरेसन राजपुर मार्ग। इनमें से सौरिख से तिरवा सड़क सैंक्सन के लिये पड़ी हुई है। हमारे जनपद से यह प्रस्ताव होकर आया है, लेकिन आपके यहां से सैंक्सन नहीं मिल पा रही है। मेरा अनुरोध है कि इन सड़कों को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने की कृपा करें।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जैसा मैंने कहा कि हमारा क्षेत्र सड़कों में बहुत पिछड़ा हुआ है। सड़कों के अभाव में लड़कों की तो कोई बात नहीं लड़कियों की शादी होना मुश्किल हो गया है। उस क्षेत्र की लड़की से कोई शादी करने के लिए आने को तैयार नहीं होते हैं, वह दूर दराज का इलाका है लोग कहते हैं कि भाई इस क्षेत्र की लड़की से शादी करने के लिये १२ से १५ कि० मी० या २० कि० मी० पैदल चलना पड़ेगा। वहां पर गांवों तक कोई सड़कों का इंतजाम नहीं है बारात को एक दिन पैदल चलना पड़ता है, इसलिये लोग लड़कियों से शादी करने के लिय आने को तैयार नहीं होते हैं। यह एक वहां के लिये अभिशाप है, इसे मिटाने के लिए आवश्यक है कि सड़कों का इंतजाम किया जाय। जैसा कि मैंने कहा यह क्षेत्र फर्रुखाबाद जनपद का काला पानी है, उसकी ओर आप विशेष ध्यान दें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया कि मैं अपनी बात को कह सकूं।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट (जिला इटावा)—

मान्यवर, आपने बोलने का वक्त दिया धन्यवाद, मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, यों तो सदन का समय ज्यादा नहीं लूंगा और सदन का समय बरबाद नहीं करना चाहूंगा। सदन के पास समय बहुत कम है, केवल प्रस्ताव के तौर पर ही बोलूंगा और कुछ आवश्यक मांगों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाऊंगा।

श्रीमन्, हमारे इटावा जिले में बाबरपुर नेशनल हाईवेयर है, इससे दक्षिण का क्षेत्र जमुना नदी पर पड़ता है। यह बीहड़ इलाका है और इसकी अनेक समस्यायें हैं। यह चंबल का इलाका है, जिसकी जानकारी माननीय सदस्यों को हैं कि वह डाकुओं का इलाका है, इसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस क्षेत्र के विकास के लिये बाबरपुर से सिकरोड़ी मार्ग बनना बहुत आवश्यक है...। इस क्षेत्र के लोगों ने ८–९ किलो मीटर पर श्रमदान भी किया है और श्रमदान द्वारा मिट्टी का काम पूरा किया है। उसके काम की सराहना होनी चाहिये और उनके उत्साहवर्धन के लिये सरकार बाबरपुर से सिकरोड़ी मार्ग को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र ही पूरा करने की कृपा करें।

दूसरी सड़क बाबरपुर से फफूंद वाली है। यह सड़क होनी चाहिये और करीब १५ किलो मीटर की सड़क है, जिसमें ५–७ मील तक यह पेन्टेड है, बाकी में पत्थर पड़े हुये हैं, जिससे रोडवेज द्वारा ग्रामीण लोग सीधा सम्बन्ध नहीं रख पाते हैं। उस मार्ग पर चलने से रोडवेज की बसें डैमेज हो जाती हैं। प्राइवेट लारी भी जाने में गुरेज करती है। तो यह जो मार्ग पहले से बना हुआ है, उसके अवशेष मार्ग को पूरा कर दिया जाय, जिससे हजारों लोगों को सुविधा हो सके। एक सड़क भीखपुर से जुआ मार्ग है, जुआ से जुहीखा तक पूर्ण किया जाये, यह सिर्फ १३ किलो मीटर की पट्टी है, इसे पूरा कराया जाये। अटसू–अछल्दा मार्ग भी वहां की महत्व की सड़क है। इसका कुछ भाग बना है और कुछ शेष है, अवशेष भाग माननीय सदस्य, विधूना, श्री अवसान सिंह जी के क्षेत्र में पड़ता है। हमने दोनों ने इस सड़क के बारे में कहा है। ५ किलो मीटर की सड़क है जो पार्लियामेन्ट्री कांस्टीटुएंसी के अन्दर आई थी। ५ किलो मीटर सड़क का सैंक्शन किया गया था और केवल ८० हजार रुपया इस हेतु सैंक्शन किया गया है। आपसे निवेदन है कि आप उसकी पूरी लागत की स्वीकृति और अवशेष १३ मील का भी काम स्वीकार करें। इसके अलावा महेव–अछल्दा मार्ग तथा निवाड़ी कलां से अटसू वाया साफर सड़क को भी बनवाया जाये। इनको पूरा कर दिया जाय, यह इटावा जिले की सड़कों की प्राथमिकता सूची में क्रम १ और २ और तीन पर हैं। मैहौली से दादपुर मार्ग भी बड़ा आवश्यक है, इस पर भी सड़क बनवाई जाये। उसी तरह से मुरादगंज से फफूंद मार्ग है, जो आवश्यक है, इस रोड का कुछ भाग बना है और जो शेष भाग कच्चा पड़ा हुआ है, उसको भी पूरा कर दिया जाय। अनन्तराम से रहमापुर तक भी सड़क होना आवश्यक है, उस पर ध्यान दिया जाये।

हमारे क्षेत्र के दो–तीन पुल बहुत महत्वपूर्ण हैं। अटसू–अछल्दा मार्ग पर रूकआ–वधुआ घाट परसेंगर नदी का पुल बहुत आवश्यक है, उसे शीघ्र बनवाया जाना चाहिये। मुरादगंज से फफूंद मार्ग पर ऊंचा पर सेंगर नदी पर पुल होना चाहिये। भीखेपुर–जहीखा मार्ग पर जुहीखा घाट पर जमुना नदी पर पुल बनाया जाना चाहिये। एक पुल और है श्रीमन्, जो भी बनना आवश्यक है, वह है मुरादगंज–बीझलपुर मार्ग पर बीझलपुर घाट पर जमुना नदी पर पुल। ये जो हमने पुल गिनाये हैं, यदि यह पूरे करा दिये जायं, तो मैं समझता हूं कि हमारे उपेक्षित क्षेत्र का बहुत विकास हो सकेगा। मैं मथुरा जिले में भी गया हूं,

यह आपके मान्यवर, क्षेत्र में पड़ता है। वहां मैं गया हूं और वहां के लोग भी मेरे पास आये हैं और मैंने जो वहां की हालत देखी है तो मैं इसे अपना फर्ज समझता हूं कि अपने क्षेत्र और जिले के अलावा भी लोगों की बात करूं, क्योंकि निश्चित रूप से वहां के लोगों को बहुत कष्ट है सड़कों और पुलों के अभाव में। श्रीमन्, आप जिन १९ मार्गों के बारे में सरकार को पत्र भेज चुके हैं, उनमें से दो-तीन सड़कों का मैं भी जोरदार रूप से जिक्र करना चाहता हूं कि सरकार उनको तुरन्त बनवाने की कृपा करें, क्योंकि मथुरा एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। शेरगढ़-नौहझील मार्ग पर जमुना नदी पर पुल होना वहां बहुत आवश्यक है, उसे बनवाया जाये। मोट-वृन्दावन मार्ग पर भी जमुना नदी पर पुल बनवाय जाये। ये पुल दोनों इसलिए भी आवश्यक हैं कि इनके होने से शुगर मिल, छाता का सीधा सम्बन्ध मोट क्षेत्र से जुड़ जायेगा।

इस क्षेत्र में सड़कों की भी बहुत आवश्यकता है। कराहरी गांव से अकबरपुर गांव पर ३ किलोमीटर सड़क मुख्य सड़क में मिला दी जावे और इस सड़क को जो अकबरपुर से ग्राम खायरा तक बन गई है, खैर, जिला अलीगढ़ तक बनवा कर पूरी कर दी जावे। इसी तरह से दूसरी सड़कें भी बहुत आवश्यक हैं, जिन १९ की तरफ क्षत्रीय विधायक के रूप में आपने सरकार का ध्यान दिलाया है, उनको बनवाय जाये।

अन्त में मैं इस सदन का ज्यादा वक्त न लेते हुये एक ही निवेदन और करना चाहता हूं कि पी० डब्लू० डी० विभाग में जो छोटे-छोटे तमाम कर्मचारी हैं, उन पर ध्यान दिया जाये। सन् ७४ में ये स्केल रिवाइज हुये थे, लेकिन वर्क-एजेन्ट आदि उसमें छूट गये हैं। उनका स्केल बहुत ही कम है और उनका स्केल मेट, बेलदार और रेगुलर में काम करने वाले स्वीपर्स के बराबर है। इसके अतिरिक्त वर्क एजेन्ट तथा मेट को साईकिल एलाउन्स भी दिया जाना चाहिए। मेरी संस्तुति है और बहुत उचित बात होगी, उनका स्केल बढ़ाया जाये। आपके विभाग में जो आरक्षण है, चाहे वह बैकवर्ड क्लास का हो या हरिजनों का उसको पूरा किया जाए। क्योंकि बहुत असंतोष है। इन शब्दों के साथ आपके माध्यम से निवेदन करूंगा समर्थन तो करना ही है, लेकिन इन समस्याओं का निदान न हुआ तो इन शब्दों में ही—

न पूछो क्या गुजरती है दिले खुद्दर पर अक्सर,
जब किसी नामेहरवां को मेहरवां कहना ही पड़ता है।
हमारे सामने जिसने बहारे अंजुमन लूटी,
उसी को अब फरोशे अंजुमन कहना ही पड़ता है।
यह दुनिया है, यहां हर काम होता है करीने से,
यहां पत्थर को भी लाले गिरां कहना ही पड़ता है।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, सबसे पहले मैं मन्त्री जी की इस बात की सराहना करता हूं कि जो उन्होंने सदन के सामने यह बात कही कि योजनाओं का आधार राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं बनाया जाना चाहिये। पिछले शासन में इस तरह की बातें हुईं। उनसे

[श्री राम आसरे वर्मा---]

सबक लेकर मन्त्री जी ने सदन के सामने जो घोषणा की है, वह स्वागत योग्य है। हमारा प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। लगभग १० करोड़ की आबादी है। पूरे प्रदेश के विकास का सम्बन्ध सार्वजनिक निर्माण विभाग से है। सड़कें बनाना, पुरानी सड़कों की मरम्मत करना, भवनों का निर्माण इस तरह हर विभाग का सम्बन्ध सार्वजनिक निर्माण विभाग से जुड़ जाता है।

हम सदन में नयी सड़कों की मांग करते हैं, की जानी चाहिये। लेकिन साथ ही साथ जब पुरानी सड़कों की तरफ ध्यान डालते हैं, तो जीर्ण अवस्था में पाते हैं। मैं आपके सामने कड़की से बहादुराबाद जाने वाली सड़क की तरफ संकेत करना चाहता हूं। यह सड़क हरिद्वार जाने वाली सड़क से मिलती है। इसकी हालत इतनी खराब है कि कोई गर्भवती औरत सफर करना चाहे तो मुश्किल हो जाएगा। मान्यवर, इसी सड़क से बुलन्दशहर, दिल्ली से मुजफ्फरनगर से चंडीगढ़, अम्बाला से हरिद्वार जाने वाले लोग गुजरते हैं। इस सड़क की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। इसी तरीके की स्थिति है हमारे हरदोई से कानपुर जाने वाली सड़क की, उसकी जीर्ण अवस्था है। लेकिन पुरानी सड़कों की तरफ ध्यान कम दिया जाता है, हो सकता है कि माननीय सदस्य उस तरफ संकेत कम करते हों।

जहां तक अधिकारियों और कर्मचारियों की बात है अब तक बहुत सा पैसा अधिकारियों के भत्ते आदि पर खर्च किया जाता रहा है, कर्मचारियों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, यद्यपि माननीय मंत्री जी ने आज घोषणा की है कि पिछले तीन सालों से जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, विभाग के अन्दर, उनको स्थायी घोषित किया जायेगा। लेकिन उनकी सेवा नियमावली आदि के बारे में स्पष्ट घोषणा मन्त्री जी को सदन के सामने करनी चाहिये थी।।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग ऐसे विभाग हैं, जिनमें भ्रष्टाचार एक नियम जैसा बन गया है। किसी भी काम के लिए पैसा दिया जाता है, उसमें किसी अधिकारी का पांच प्रतिशत तय है तो किसी का दस प्रतिशत। कोई भी उसकी तरफ उंगली नहीं उठा रहा है। इस भ्रष्टाचार की जो शृंखला बनी हुई है यदि उसको तोड़ने का काम कर दिया जाय, तो मैं समझता हूं कि जो बार-बार सदन के सामने कहा जाता है कि पैसे के अभाव में विकास की गति धीमी रही, यह कहने की नौबत न आये। मैं हरदोई जिले की समस्याओं की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, यह बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, सड़कों और पुलों के मामले में यह बहुत ही पिछड़ा हुआ है। एक सड़क मेहदी घाट गौसगंज सन्डीला है, इसके बीच में एक नई नदी पड़ती है, जिस पर पुल नहीं है, जिससे यातायात में बड़ी कठिनाई पड़ती है। मुझे मालूम हुआ है कि इस पुल की स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन इस पर अभी कार्य नहीं किया जा रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो स्वीकृति मिली है, उसके बनवाने की ओर माननीय मन्त्री जी ध्यान दें।

बिलग्राम तहसील बहुत ही पिछड़ी हुई तहसील है। इसके विकास की ओर कभी ध्यान नहीं दिया गया है। वहां एक क्षेत्र की जनता तो विकास के नाम पर कुछ नहीं जानती नहीं बिलग्राम रजबहा हथौड़ा होता हुआ जाता है, अगर उसकी पटरी को पक्का कर दिया जाय तो यातायात की समस्या हल हो जायेगी। हरदोई से कन्नौज की सड़क को बनवाने पर विचार करें। इस सड़क से कई जिलों का सम्पर्क होगा गंगा नदी पर पुल की आवश्यकता है, सर्वे वगैरह हो चुका है पता नहीं है कि स्वीकृति मिली है अथवा नहीं। गंगा पर पुल बनाया जाना चाहिए। इससे जनता की ही मांग पूरी नहीं होगी बल्कि वहां पर जो व्यापार आदि में वृद्धि होगी, उससे शासन की आय में भी वृद्धि होगी।

संख्या २४--सार्वजनिक निर्माण कार्य, अनुदान संख्या २९--कला एवं संस्कृति, अनुदान संख्या ३४--आवास भवन, अनुदान संख्या ६३--संचार साधन, अनुदान संख्या ६४--कार्यात्मक भवन, अनुदान संख्या ६५--सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान, अनुदान संख्या ७०--सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या ७१--कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या ७३--आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ८६--संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य का समय समाप्त ।

श्री राम आसरे वर्मा--

इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री गंगा सहाय यादव (जिला मैनपुरी)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने जो आज सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का मुझे अवसर प्रदान किया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । सबसे पहले मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । सड़कों के बारे में एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता है और जो क्षेत्र आगे हैं उन्हीं को और आगे बढ़ाया जा रहा है । मेरा जनपद मैनपुरी है, यह बहुत ही पिछड़ा हुआ है । इस बजट में इस क्षेत्र के लिए कोई भी नयी सड़क नहीं ली गयी है केवल पुरानी सड़कों के मरम्मत का ही प्राविधान किया गया है । रायबरेली जिले को जो इतना पिछड़ा नहीं है डाकू ग्रस्त क्षेत्र बना कर वहां के विकास के लिए लाखों रुपया रखा गया है, लेकिन यह वास्तविक डाकू ग्रस्त क्षेत्र जो पिछड़ा हुआ है उसके लिये कोई सड़क नहीं रखी गयी है ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो क्षेत्र पिछड़े क्षेत्र हैं उनके ओर भी आप ध्यान देने की कृपा करें । ऐसा न हो कि अग्रणी क्षेत्र और अग्रणी बन जायें, पिछड़े क्षेत्र पिछड़े ही रह जायें ।

मेरे क्षेत्र में मान्यवर, एक सड़क है सिरसागंज-आमौर रपड़ी । इसकी लम्बाई लगभग १५ किलोमीटर है । यह ब्रिटिश काल से लगभग ५० साल पुरानी है और पिछले ३० सालों से आज तक उस पर कोई निर्माण कार्य नहीं हो सका है । इसके किनारे के पेड़ तक सूख गये हैं । इसे जल्द बनवाया जाये । हर साल बजट में इसके लिए रुपया रखा जाता है मगर थोड़ा बहुत काम शुरू होकर अधूरा रह जाता है और सड़क तैयार नहीं हो पाती ।

उबटी रजवाह के बायें किनारे की सड़क जो शिकोहाबाद-परखर सड़क के पांचवे किलोमीटर से आरंभ होकर उखरेण-आरोवर सड़क पर नंगला थंगर थाने पर मिलती है जिसका फासला १६ किलोमीटर है । यह सड़क ५०-६० गांवों से होकर जाती है । अगर यह बन जाये तो इससे १½-२ लाख ग्रामीण जनता लाभ उठा सकेगी ।

मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र मैनपुरी जिले के शिकोहाबाद में कोई भी सड़क नहीं है । अगर निम्नलिखित मार्गों पर सरकार सड़क बनवा दे, तो क्षेत्रीय जनता का बड़ा लाभ होगा :--

नसीरपुर-उराबर मार्ग, नसीरपुर-हरिहा मार्ग, डाहिनी-अब्बासपुर मार्ग, मक्खनपुर-नसीरपुर मार्ग, शिकोहाबाद-लभौआ हातमैत मार्ग, मुजफ्फरपुर, दिनहुली गोखा व माधोगंज डान्डयागईरजीरा मार्ग ।

आपरेशन एरिया के अन्तर्गत सन् १९७४ में माननीय नारायण दत्त तिवारी ने २ करोड़ रुपये का प्राविधान इस डाकू ग्रस्त क्षेत्र के लिए रखा था । मगर

[श्री गंगा सहाय यादव]

कोई सड़क अब तक नहीं बनी । आप इसकी ओर अवश्य ध्यान दें, तभी यहां का पिछड़ापन दूर हो सकेगा ।

माननीय राम दत्त जोशी ने भ्रष्टाचार के बारे में अपने वक्तव्य में जो कहा कि यहां सार्वजनिक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार बहुत अधिक है । मैं उनकी बात से सहमत हूं । उन्होंने यह कहा कि अन्य विभागों के काम पी० डब्ल्यू० डी० से कराये जायें ठीक नहीं है, होना भी नहीं चाहिए । नहर विभाग, वन विभाग, जिला परिषद् आदि में जहांजो क्वालीफाइड इन्जिनियर व अन्य अधिकारी काम करते ह उनके लिए आवश्यक नहीं है कि पी० डब्ल्यू० डी० विभाग से निर्माण कार्य करायें ।

किफायतशारी के बारे में माननीय सदस्यों ने बहुत कहा है, मैं माननीय मंत्री जी से यही कहूंगा कि जहां मुनासिब हो वहां किफायत शारी जरूर बरती जाय ।

मैं एक निवेदन और करूंगा कि शिकोहाबाद बटेश्वर रोड पर यमुना नदी पर एक पुल का निर्माण अविलम्ब किया जाय ताकि यातायात में सुविधा हो सके ।

एक बात मान्यवर और कहूंगा मैनपुरी में कोई बाई पास नहीं है हर जगह बाई पास होते हैं, अतः यहां इसका निर्माण कराया जाय ।

अन्त में एक निवेदन और करना चाहूंगा कि पी० डब्ल्यू० डी० विभाग में सड़कों के निर्माण के समय जितना रुपया खर्च होता है उसका दस से पन्द्रह प्रतिशत भाग कमीशन के रूप में ठेकेदार बड़े-बड़े अधिकारियों को दे देता है, नतीजा यह होता है कि पूरे पैसे का इस्तेमाल नहीं हो पाता है और निर्माण कार्य उचित ढंग से नहीं हो पाता है ।

मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इन अनियमितताओं पर सख्ती के साथ रोक लगायें और धन के अपव्यय को रोकें ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्यों से मेरी प्रार्थना है कि जो बोलने के लिए बडे आतुर हैं और उनको समय नहीं मिल सका है तो वे लिखकर अपने सुझाव माननीय मंत्री जी को दे दें, उन पर उसी प्रकार से कार्यवाही की जायगी ।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश" (जिला कानपुर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सदन का बहुत थोड़ा समय लेना चाहता हूं ।

(कुछ सदस्यो के खड़े होने पर ।)

श्री अधिष्ठाता--

बारी-बारी से सब को समय मिलेगा । अब मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य बोलने में एक सेकेन्ड भी इधर से उधर न जायं ।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश"--

पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी ने कुछ कदम उठाये हैं । जहां तक जनता पार्टी के घोषणा-पत्र के अनुसार विभाग में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए एक समिति का निर्माण किया जाय जो इस बात को देखे कि इस कुप्रथा को समाप्त करने हेतु क्या कार्य-प्रणाली अपनाई जाय ?

जहां तक करप्शन की बात है इसमें ऊपर से नीचे तक करप्शन है । इसको रेग्युलेराइज करने के लिए करेप्शन ऐक्ट जैसी बात करें । चूंकि इसको बिल्कुल समाप्त करना यदि असंभव है तब १० प्रतिशत या १५ प्रतिशत की छूट प्रदान कर दी जाय लेकिन उसके बाद अगर कोई लेगा तो बेइमानी होगी । तब कुछ सुधार हो सकेगा ।

संख्या २४--सार्वजनिक निर्माण कार्य, अनुदान संख्या २९--कला एवं संस्कृति, अनुदान संख्या ३४--आवास भवन, अनुदान संख्या ६३--संचार साधन, अनुदान संख्या ६४--कार्यात्मक भवन, अनुदान संख्या ६५--सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान, अनुदान संख्या ७०--सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या ७१--कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या ७३--आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ८६--संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय

जहां तक वर्कचार्ज्ड एम्पलाइज को रैग्युलैराइज करने का प्रश्न है वर्ष १९६८ में माननीय ऊदल जी थे। उस समय में यू० पी० पी० डब्लू० डी० एम्पलाइज का अध्यक्ष था। उस समय मैंने कहा था कि अगर इनको रैग्युलैराइज नहीं किया जायगा तो मैं आमरण अनशन कर दूंगा लेकिन फिर विधान सभा भंग होने से मैं चला गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ को तो रेग्युलैराइज कर दिया गया है लेकिन जो शेष कर्मचारी हैं उनको रैग्युलैराइज करायें। उनके लिए यह नहीं होना चाहिये कि वे अस्थायी हैं। कर्मचारी जब तक अस्थायी रहते हैं उनमें कार्य करने की भावना नहीं होती है। प्रोबेशन पीरियड एक साल, २ साल या ३ साल का होता है। ३ साल से अधिक जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको आप रैग्युलैराइज अवश्य कर दें। मैंने कई बार विभिन्न पत्र लिखे हैं।

एक बात मुझे और यह कहनी है कि आपके विभाग में अलग-अलग डिवीजन्स खुली हुई हैं। डिवीजन्स का नाम लेने में तो समय नष्ट होगा। अलग-अलग डिवीजन्स एक जिले में करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। एक जिले में एक ही डिवीजन होना चाहिये और उसके तत्वावधान में सारा काम हो ताकि प्रशासकीय आय व्यय का सही-सही पता चल सके कि चोरियां किस प्रकार से होती हैं और इधर से उधर करने की प्रवृत्ति भी कम हो जाय। निर्माण, सड़क निर्माण चाहे वह नोटीफाइड एरिया का काम हो म्युनिसिपैलिटीज का हो, चाहे वह किसी जिला परिषद् का काम हो या किसी अन्य विभाग का हो वह सब सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा होना चाहिए। यह न हो कि इधर से उधर खिसकता रहे।

गैंग मैनों की और बेलदारों की संख्या ३० साल से जो वर्क लोड होता था उसके आधार पर मानी जाती थी कि २२ फुट चौड़ी या २० फुट चौड़ी सड़क के लिए ८ बेलदार होंगे और एक मेट होगा। यह आधार अंग्रेजों की हुकूमत से चला आ रहा है। आज हमारी सड़कें बहुत २४ व ३६ फुट चौड़ी हो रही हैं ट्रैफिक १०० गुने बढ़ गया है वर्क लोड ज्यादा होता चला आ रहा है। इसलिए, मेरी प्रार्थना है कि गैंगमैन और बेलदारों की संख्या बढ़ाई जाय।

एक बात मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग के जो निरीक्षण भवन बने हुए हैं। उनके बारे में मुझे निवेदन करना है। अगर आप चाहें कि आपको इनसे पैसा मिल सके तो आप इनको जनता और अफसरों से पैसा लेकर दे दिया करें। इससे कुछ आमदनी भी हो सकेगी और विभाग की कोई हानि भी नहीं होगी।

इसके साथ-साथ में न्यूनतम वेतन की बात भी कहता हूं कि आप इन ४१ कटेगरी को समाप्त करके अकुशल और अर्ध कुशल, कुशल सुपरवाइजरी, इस प्रकार की २-३-४ कैटेगरीज में विभाजित कर दें और २०० या ३०० या इससे अधिक मिनिमम वेतन निश्चित कर दें और अगर आप उच्चतम व न्यूनतम बढ़ा सके तो और ज्यादा अच्छा।

अन्त में मैं सेवा नियमावली की बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं। आपके यहां पर ४-४ यूनियन हैं, कुछ जिला स्तर पर और कुछ अन्य। उन यूनियन के साथ बातचीत का आधार बनाकर विभाग की सारी समस्याओं का निदान किया जा सकता है।

श्री अधिष्ठाता---

अब आपका समय समाप्त ।

श्री हामिद रजा खां (जिला बरेली)---

अधिष्ठाता महोदय, जो बजट पर कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । यह रस्मी सी बात है लेकिन मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री के भाषण से और उनकी पालसी से मुतास्सिर हुआ और मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस पी० डब्लू० डिपार्टमेंट को तबदील करने का फैसला किया है और हमको इस सिलसिले में एक नया भरोसा दिया है ।

जहां तक इस विभाग का सवाल है, आम जनता से इसका वास्ता है और इससे पूरे प्रदेश की तरक्की का रिश्ता जुड़ा हुआ है । गांव की तरक्की तभी हो सकती है जबकि वहां के लिए सड़कें मिलें । अब तक यह होता रहा कि जो प्रभावशाली लोग थे उन्होंने अपने क्षेत्रों का नरसिंग किया और उनके क्षेत्रों में सड़कें बनीं । मैं जिस क्षेत्र की नुमाइन्दगी करता हूं वह बहुत ही कमजोर क्षेत्र है । वहां २५-३० साल में सिर्फ ढाई किलोमीटर सड़क बनी है । रामगंगा की खादर में, जिला बरेली में चौवन भोजीपुरा में अगर कोई बीमार हो जाय तो बरसात में आने जाने का कोई साधन नहीं है न स्कूल जाने का कोई साधन है । बड़ी परेशानी है । इसके अलावा कोई शख्स जहां रहता हूं, वहां से ८ मील के फासले पर जाना चाहे तो उसको ४० मील का चक्कर करने के बाद पहुंचना पड़ता है । बीच में से शाही से चौरा और भोजीपुरा से रिठौरा की सड़क बन जाय तो बहुत आसानी हो सकता है । रामगंगा के क्षेत्र का जिक्र किया गया । फतेहगंज पश्चिम के करीब से रामगंगा का खादर है । उसमें लोगों को बड़ी परेशानी है । मीरापुर की सड़क मिला दी जाय । जो पिछले दस साल से परतापुर बलिया रोड है वह पक्की है, लेकिन पुल जो उस पर बन रहा है वह कभी बनता है कभी रुक जाता है । उस वजह से उस सड़क से नीचे उतर कर जाना पड़ता है और बरसात में बड़ी तकलीफ हो जाती है ।

इसके अलावा बरेली जिला और रामपुर जिले के बार्डर पर और शीशगढ़ से बिलासपुर की सड़क मिला दी जाय तो उससे बहुत कुछ फायदा हो सकता है, वह नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से मिल जायगी और खुशहाली भी आयेगी ।

एक सवाल और है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग सड़कें बनाता है इसमें शक नहीं, मगर जिला परिषद्, गन्ना विभाग भी बनाता है । तो एक ही विभाग के पास यह काम रहना चाहिए और उसी की रहनुमाई में और सुपरवीजन में इसको होना चाहिए ।

लिंक रोड्स के बारे में कहा गया । जो रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेन्ट है वह सिर्फ नक्शे बनाये बैठा है, हमने तो देखा नहीं कि कहीं २ किलोमीटर या ढाई किलोमीटर की सड़कें कहीं बनायी गयी हों । वह बेकार सा है ।

श्री अधिष्ठाता---

एक मिनट में समाप्त करें ।

श्री हामिद रजा खां---

मेरे उस क्षेत्र में सड़कों की इतनी कमी है, सिर्फ ढाई किलोमीटर बनी है, मुझे उम्मीद है कि फराखदिली के साथ मंत्री महोदय मेरे इस क्षेत्र की तरफ से तवज्जह करेंगे ।

(कुछ सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर ।)

श्री अधिष्ठाता---

इस तरह से मत करिये, सदन को चलने दीजिये ।

संख्या २४--सार्वजनिक निर्माण कार्य, अनुदान संख्या २९--कला एवं संस्कृति, अनुदान संख्या ३४--आवास भवन, अनुदान संख्या ६३--संचार साधन, अनुदान संख्या ६४--कार्यात्मक भवन, अनुदान संख्या ६५--सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान, अनुदान संख्या ७०--सार्वजनिक निर्माणकार्यों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या ७१--कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या ७३--आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ८६--संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय

एक सदस्य--

इधर ध्यान दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता--

जरूर ध्यान देंगे । बारी-बारी से सबको अवसर दिया जायगा । (श्री मुकीमुर्रहमान से) आप बोलिये ।

*श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)--

धन्यवाद । आपने मुझे बोलने का मौका दिया । अधिष्ठाता महोदय, मैं जिस इलाके से आता हूं लेबर फोर्स के वहां की समस्याओं पर रोशनी डालना जरूरी है... ।

श्री अधिष्ठाता--

आप इधर उधर की बातों में समय बरबाद न करें ।

श्री मुकीमुर्रहमान--

जल्दी-जल्दी सुझाव दूंगा । अभी जैसा कि मंत्री जी न अपने भाषण में कहा कि ३५ हजार कार्य-प्रभारी लोगों को रेगुलर करने जा रहे हैं, इसी के लिहाज से से मैं कहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस बात का खासतौर से ध्यान रखें कि अधिकारी और कर्मचारी के बीच में एक ऐसी पोजीशन बना कर रख दी है जैसे माननीय नेता सदन और विरोधी दल के नेता । इस चीज को हमें बहुत जल्दी खत्म करना होगा वरना आज का जो कार्य प्रभारी कर्मचारी है उसके और इंजीनियरर्स के अन्दर कोई खास अन्तर नहीं रह गया है । दूसरे, हमारे जोशी जी ने जो कहा कि इंजीनियर्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिये गये हैं यह गलत है । सन् १९३७ से १९४७ तक इंजीनियर्स को ९ रुपये ९० पैसे की हैंड रेसीट पास करने की पावर थी । वही पावर आज भी है । यानी पावर कहीं नहीं बढ़ी । एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर पहले जब मुरादाबाद उतरता था तो उसको रिसीव करने के लिए डी० एम० जाता था कैम्प कराने के लिए । आज डी० एम० चीफ इंजीनियर को भी दफ्तर में बुला कर बात करता है, उसके पास जाना पसन्द नहीं करता । इंजीनियर बी० एस० सी० करने के बाद डिग्री करता है । वह कोई कूड़ा नहीं है कि आप उस पर इल्जाम लगाते रहें कि सीमेन्ट कितनी बेंची, बोरियां कितनी बेंची । मैं मानता हूं कि इस डिपार्टमेंट में करप्शन है । तो कोई भी ऐसा डिपार्टमेन्ट नहीं है जिसमें करेप्शन न हो । इनका काम निर्माण करना होता है । तीस साल बाद भी अगर आडिट किया जाय तो बता देंगे कि इसके अन्दर किस क्वालिटी का मसाला लगा है, कैसी ईंट लगी है । तीसरे, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है वहां सैम्पिल रखा जाता है और उसके लिहाज से मुआयना किया जाता है । मैं बताना यह चाहता था कि इंजीनियर की पावर घटते-घटते इतनी रह गयी है जैसे यहां एक क्लर्क की है । आज ए० ई० और एस० ई० को उठा कर ऐसे ग्रेड में रख दिया जो कोई ग्रेड ही नहीं है । इंजीनियर और आई० ए० एस० के बीच ऐसी दीवार पैदा कर दी है कि जो प्रस्ताव पास होता है अगर वह २० परसेंट भी उनके हित में होता है तो कोई सचिव यह नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मुकीमुर्रहमान--]

चाहता कि वह प्रस्ताव वहां जाय । दूसरे ऐड हाक एप्वाइंमेंट की बात है । कमीशन से आदमी आयेंगे नहीं और अगर ये ओवरएज हो जायेंगे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा ? यह गवर्वमेन्ट की जिम्मेदारी है कि अगर आदमी ओवरएज हो रहा है तो उसको ले ।

श्री अधिष्ठाता--

अब एक मिनट रह गया आपका ।

श्री मुकीमुर्रहमान--

बस दोही मिनट लूंगा।

श्री अधिष्ठाता--

दो नहीं, एक मिनट ।

श्री मुकीमुर्रहमान--

तीसरे, जो ब्रिज कारपोरेशन में कर्मचारियों को रखा जाता है उनको रेगुलर कर दिया जाय और हर जगह टिन शेड बनवा कर उनके रहने की व्यवस्था कर दी जाय । इसके अलावा हमारे इस डिपार्टमेन्ट में कई अलग-अलग कारपोरेशन्स है । एक है जो निर्माण का काम करता है, दूसरे जो रोड्स बनाने का काम करता है, तीसरे ब्रिज कारपोरेशन है ।

(इस समय ४ बज कर ४ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

माननीय मंत्री जी को देखना चाहिये कि जब प्रोमोशन का वक्त आये तो खास तौर से इस बात का ध्यान दिया जाय कि हमारे डिपार्टमेन्ट के इंजीनियर्स किस-किस जगह पर कितने-कितने अर्से तक पोस्टेड रहे ताकि तजुरबा सब को हो जाय । खासतौर से ब्रिज कारपोरेशन में उन्हीं लोगों को भेजा जाता है जो नये आते है । कहते हैं कि वह नातजुरबेकार हैं और ८ साल की सर्विस के बाद उनको तजुरबेकार समझा जाता है । मैं समझता हूं कि ८ साल में उनको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो जाना चाहिये । इसलिए कोई वजह नहीं है कि उनको ब्रिज कारपोरेशन में रखा जाय । अगर उनके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का आरोप है तो विजिलेन्स को आदेश होना चाहिये कि एक साल के अन्दर उस केस को खत्म करे ।

श्री अध्यक्ष--

अब आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री मुकीमुर्रहमान--

विजिलेन्स इंस्पेक्टर बराबर जाता है और आडिट करता है । उसकी रिपोर्ट सबमिट नहीं होती । मेरा कहना है कि इन आरोपों के लिए किसी भी एक्जीक्यूटिव इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर को उसके प्रोमोशन से नहीं रोका जा सकता। इसी के साथ में अपनी बात खत्म करता हूं और माननीय मंत्री जी द्वारा पेश किये गये बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री ओम प्रकाश (जिला बस्ती)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही आभारी हूं कि आज मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुदान पर बोलने का अवसर दिया ।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

माननीय अध्यक्ष महोदय, दो आदमी तो उधर से बोल चुके हैं ।

श्री अध्यक्ष--

नहीं मैंने देख लिया । आप बैठ जाइयेगा ।

श्री ओम प्रकाश—

मैंने अपने बस्ती जिले के बारे में माननीय मन्त्री जी को और माननीय अध्यक्ष जी को पत्र लिखा कि हमारा जिला इतना पिछड़ा हुआ है, जो २८ राष्ट्रीय मार्ग, बस्ती से हरैया के बीच में उत्तर की तरफ २० मील तक कोई सड़क नहीं है, ४ महीने बरसात में कोई साइकिल से भी चलने का रास्ता नहीं रहता। इतनी बड़ी एरिया में ३० साल के अन्दर कोई सड़क नहीं बनी। टनिच रेलवे स्टेशन से दुबौलिया बाजार वाया कप्तानगंज थाना राम जानकी मार्ग तक मिलता है। जब सुचेता जी मुख्य मन्त्री थीं, उन्होंने ग्रामीण जन–शक्ति योजना के अन्तर्गत १२–१४ लाख रुपया खर्च कराया, कोई उसका उपयोग ठीक से नहीं हो पाया। जन–शक्ति योजना के अन्तर्गत इतना पैसा खर्च होने के बाद भी वह सड़क वैसी ही पड़ी है। मैंने मन्त्री जी को और अध्यक्ष जी को लिखा था कि अगर यह सड़क नहीं ली गयी, तो मैं दो अक्तूबर से आमरण अनशन मन्त्री जी के बंगले पर करूंगा। मन्त्री जी ने वैसे आश्वासन दिया है, मैं समझता हूं कि वह सड़क इतनी जरूरी है कि २० मील लम्बी–चौड़ी एरिया में जहां पर ५०० गांव पिछड़ा हुआ है, वह बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। इस मार्ग को इस बजट में अवश्य लेने की कृपा करें। दूसरी सड़क पैकौलिया थाना गौर बाजार होते हुए सोनहा थाना तक, दो–तीन थानों को जोड़ती है, इसको भी लेने की कृपा करें। मूड़ घाट ऐसा घाट है जहां पर ४ हजार आदमी प्रति दिन उतरता है। एक आदमी के उतरने की मल्लाही दो रुपया तक लिया जाता है। मूड़घाट पुल जो है, बस्ती कचेहरी के पास इसका निर्माण कराया जाय और मूड़घाट से लेकर बभनान तक सड़क पक्की सड़क कराई जाय, जो राष्ट्रीय मार्ग से कम महत्वपूर्ण नहीं है। वहां से यात्री आते जाते हैं। बभनान से गौर तक तो सड़क बनी है लेकिन गौर गोविन्दनगर तक सड़क बननी जरूरी है टिनिच और गोविन्दनगर के बीच में कुआनों नदी पर जो पुल है उसको रेलवे तोड़ने वाला है, उसके लिए मांग की जाय कि वह रेलवे विभाग उसको न तोड़े बल्कि उसको पी० डब्लू० डी० लेकर उस सड़क को गोविन्दनगर से मिला दे। चिलमा बाजार से बेइली बाजार तक बैलाछ ताल से निकाल कर बस्ती कलवारी मार्ग मे मिला दी जाय। टिनिच दुबौलिया मार्ग पर दो रवई तथा मनवर नदी पर पुल भी बनाना आवश्यक है। सूबे में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर ३० वर्ष के अन्दर २० मील लम्बी–चौड़ी एरिया में कोई सड़क न बनी हो।

(श्री फजलुल बारी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मुझको भी समय देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

मैं देख रहा हूं, आप बैठ जायं।

श्री कृष्णा राय--

अध्यक्ष महोदय . . .

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं यह तरीका गलत है ।

श्री राम शिरोमणि दुबे (जिला जौनपुर)--

आपने उनको समय दे दिया, मुझको समय नहीं मिला ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं । इस तरह से बहस करना गलत है ।

श्री राम शिरोमणि दुबे--

अगर कोई अपना हक मांगे तो आप डांट कर बैठाल देना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं । इस प्रकार मैं अनुमति नहीं दूंगा ।

(श्री कृष्णा राय के खड़े रहने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं ।

*श्री फजलुलबारी (जिला गोंडा)--

मान्यवर, मन्त्री जी ने जो बजट पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं । यह जो किताब मिली है उसमें शुरू में लिखा है कि किसी इलाके की तरक्की के लिये सड़कों का होना बहुत जरूरी है । यह बात हकीकत है कि जिन इलाकों के करीब में सड़कें हैं वहां के इलाके तरक्की कर जाते हैं । उत्तर प्रदेश में आज ३० साल के अर्से में यह होता आया है कि जितने बजट बने हैं वह हमेशा सियासी अंदाज में बने हैं । कुछ बड़े लोगों के दबाव में, बड़े-बड़े नेताओं के इलाके में, मिनिस्टिर्स के इलाके में हमेशा ज्यादा पैसा लगाकर सड़कें वगैरह बनी हैं । लेकिन जहां पर कोई मन्त्री नहीं हुआ या कोई अहमियत वाला आदमी न हुआ वहां के इलाके में कोई भी इस तरह से निर्माण कार्य नहीं हो सका । इसलिये वहां की जनता तरक्की नहीं कर सकी । मैं देख रहा था कि इसके पहले उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जौनपुर जिले के हुआ करते थे । तो वहां पर बाम्बे प्लान के तहत मार्च १९७७ तक जो योजना पूरी हो रही है तो उसमें १०५ परसेंट के ऊपर सड़कें हो गयीं हैं । जो मौजूदा मन्त्री हैं वह आजमगढ़ के हैं । वहां देखने में आ रहा है कि यह आंकड़ा १०० परसेंट के ऊपर पहुंच चुका है । मैं एक बात अर्ज करना चाहूंगा कि इसी उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे इलाके हैं जो बे हिसाब पिछड़े हैं । वह इलाके हैं घाघरा नदी और हिमालिया पहाड़ के बीच तराई का इलाका । इसमें तीन जिला ऐसे हैं, गोंडा, बस्ती और बहराइच जो पिछड़े हैं । मैं इन तीनों जिलों की तरफ खास तौर से ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह भी उत्तर प्रदेश के हिस्से हैं, यह अगर पिछड़े रह जायंगे तो पूरे प्रदेश की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तरक्की किसी काम की नहीं होगी । चाहिये तो यह था कि जब मन्त्री जी बजट बनाते तो उन सारे इलाकों पर ध्यान देते जो इलाके अभी तरक्की नहीं कर पाये हैं । क्योंकि वहां सड़कें नहीं हैं तो कारखाने नहीं लग पा रहे हैं । सड़कें नहीं हैं तो खेतों की तरक्की नहीं हो रही है । यह ऐसे इलाके हैं जहां पर छोटी-छोटी होल्डिंग्स हैं । लोग ज्यादातर खेती करते हैं । सड़कें न होने की वजह से वहां लोग ऐसे सामान नहीं पैदा कर पा रहे हैं जिनको बाजारों में बेचकर कुछ पैसा इकट्ठा करके वह २ वक्त के खाने का इंतजाम कर सकें । आज वहां पर सूखा है, लोग परेशान हैं । मैं चाहूंगा कि गोंडा जिले की तरफ ध्यान दिया जाय, वहां पर सूखा पड़ा है, लोगों के लिये खेती के अलावा कोई दूसरा जरिया नहीं है । उनको अपनी जिंदगी गुजारने के लिये खेती का सहारा था लेकिन वहां सूखा पड़ा है । तो ऐसी सड़कें जहां पर मिट्टी डालने का काम है, उसको पूरी तौर पर शुरू कर दें । मैं अपने क्षेत्र की बात कहता हूं वहां पर सड़कें बनाने के लिये प्रोग्राम होते रहे । इलेक्शन के जमाने में प्रचार किया गया कि सरकुलर रोड बन जायगी । लेकिन जब यहां पर कागजात तलाश किये गये तो पता चला कि वह फर्जी बातें थीं । बहरहाल यह रोड महत्वपूर्ण है इसलिये सर्कुलर रोड बनायी जानी चाहिये ।

मान्यवर, दूसरा सुझाव झंझरी से लेकर तरबगंज जो सड़क जाती है उस पर कुछ काम हो गया है । इसलिये निवेदन है कि इस सड़क को पूरा कर दिया जाय । यह पूरा इलाका ऐसा है जहां दूध का काम ज्यादा होता है । यदि यह सड़क बन जायेगी तो जो जानवर पालते हैं वह अपना दूध शहर में पहुंचा सकेंगे और जो दूध घी की दिक्कत होती है वह दूर हो सकेगी । इसलिये मान्यवर, बजट में खास-खास जिलों को आवंटन न करके जिस जिले की ज्यादा जरूरत है उसके पिछड़ेपन को दूर किया जाय, हमारा गोण्डा जिला पिछड़ा जिला है, वरना यही होगा कि पिछड़ा इलाका और पीछे हो जायेगा । इसलिये मान्यवर, इस बात को ध्यान में रखकर हमें दें ।

*श्री राम शिरोमणि दुबे (जिला जौनपुर)--

अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आज खेती जो है वह व्यवसायिक हो गयी है और जनता पार्टी की सरकार खेती की तरक्की की बात बहुत करती है । तो खेती की तरक्की तब होगी जब किसान का सामान को बाजार में पहुंचने के लिये सुविधा होगी । बाजार में तब सामान पहुंच सकता है जब गांव मुख्य सड़कों से जोड़ दिये जायं । एक योजना ऐसी है भी । लेकिन जिन क्षेत्रों में अभी मुख्य सड़कें नहीं हैं वहां सड़कें होनी जरूरी हैं । मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जौनपुर ने कौनसा अपराध किया है कि वहां के लिये कोई चीज बजट में है ही नहीं । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जौनपुर जनपद में मछली शहर तहसील जो सबसे पिछड़ी है

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राम शिरोमणि—]

वहां कुछ मुख्य मार्ग हैं जो बाजार से मिलते हैं उनको यदि जोड़ दिया जाय तो वहां के किसान उठ सकेंगे । इसलिये मैं मान्यवर, आपके माध्यम से मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा । हमारे क्षेत्र में क्रैश-प्रोग्राम के अन्तर्गत कुछ सड़कें ली गयी हैं, उन पर मिट्टी का काम भी हो गया है । वह सड़कें हैं जैसे बेलवार से मुगरा बादशाह पुर, महराजगंज से उसरा बाजार होते हुये पट्टी सड़क का नाम है लोहिंदा रोड, बेलवर से सुजान गंज, बरई पार सिकरारा और मछली शहर से बरईपार । यह सड़कें क्रैश प्रोग्राम में ली गयी हैं । यदि इनको पी० डब्लू० डी० विभाग बना दें तो इससे किसानों को काफी लाभ हो जायेगा । इसके अलावा मान्यवर, एक सड़क मछली शहर से जघई जाती है जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़क है उसको यदि पी० डब्लू० डी० ले ले तो ज्यादा अच्छा होगा । कुअंरपुर से बिकासराय होते हुये मधुपुर, पवारा से मड़वा होते हुये रायपुर इन सड़कों को भी बनवाया जाय । इन पर खर्च भी कम होगा । मान्यवर, एक सड़क मछली शहर से लेकर मड़ियाहूं तक है जिस पर २१ लाख रुपये सैंक्शन किया था लेकिन अभी तक ४५ हजार रुपये दिया गया था जिसमें मिट्टी का काम भी शायद नहीं हो पायेगा । इसीलिये उपेक्षा की दृष्टि जो जौनपुर जनपद में है उसकी ओर मैं मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जौनपुर जनपद ने आजादी की लड़ाई से लेकर, १८५७ से लेकर जनता पार्टी की सरकार तक बहुत बड़ी-बड़ी कुर्बानी किया है फिर जौनपुर जनपद की इतनी उपेक्षा क्यों है ? उत्तर प्रदेश में हमारा डिवीजन सबसे पिछड़ा है । हमारे एक विधायक रो रहे थे कि पी० डब्लू० डी० के मिनिस्टर जौनपुर के हुआ करते थे । तो मैं कहना चाहता हूं कि एक बार श्री लक्ष्मी शंकर यादव, पी० डब्लू० डी० के मिनिस्टर हुये हैं और उस समय कुछ थोड़ा बहुत काम जरूर जनपद में हुआ । वह भी नगण्य के बराबर । जहां कुछ नहीं था वो एक सड़कें जरूर बनवा दी मैं इससे इनकार नहीं कर सकता । लेकिन उसकी वजह से कोई उपेक्षा की गयी हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए, समता के आधार पर होना चाहिए । कोई भी सरकार हो उसे यह देखना चाहिए कि कौन सा हिस्सा इस प्रान्त का बहुत पिछड़ा हुआ है और उसे सब से पहली प्राथमिकता देनी चाहिए । मैं खास तौर से मन्त्री महोदय का ध्यान इस तरफ खींच रहा हूं क्योंकि जौनपुर एक पिछड़ी हुई तहसील है । हर दृष्टि से पिछड़ी हुई है । मड़ियाहूं भी बहुत पिछड़ी हुई तहसील है । सिंचाई की दृष्टि से, खेती की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से, सड़कों की दृष्टि से, हर दृष्टि से ये तहसीलें पिछड़ी हुई हैं और इन्हें उपेक्षा की दृष्टि से जनता सरकार भी देखे तो ठीक नहीं है ।

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारे मन्त्री महोदय इस तरफ ध्यान दे कर इन सड़कों को बनाने की कोशिश करेंगे ।

(श्री भगवती प्रसाद सिंह के खड़े होने पर)

एक सदस्य—

मान्यवर, सदन का समय आधा घन्टा बढ़ा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये । आप रोज बोलते हैं... ।

*श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, इस निर्माण की बजट की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर देखें, योजनायें बराबर तीस साल से चल रही हैं । मैं सरकार और पूरे सदन और यहां बैठे हुये निर्माण विभाग के अधिकारी, सब का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, एक तरफ तो विश्व के भी ऐसे मुल्क हैं जहां के लोग चन्द्र लोक चले जा रहे हैं, नक्षत्र में चले जा रहे हैं और तीस साल बराबर योजनायें बनाने के बाद भी हम सदन में रो रहे हैं । वह देहात की कहावत है, "राड़ रोयें सेर सेर, अहवाती रोयें दो दो सेर" । इस विभाग में जितना पैसा सरकार खर्च करती है उसका १/२ भाग भ्रष्टाचार में चला जाता है । मैं इस्तीफा दे दूं सदन से यदि माननीय मन्त्री जी इस निर्माण विभाग के उच्च अधिकारियों की जब से वे सर्विस में लगे हैं उनकी पूरी जायदाद की इन्क्वायरी करें और भ्रष्टाचार न पायें ।

मान्यवर, मैं आपको अपने जिले की ओर ले जाना चाहता हूं । मान्यवर, ३१ मार्च, १९७७ को दो लाख ग्यारह हजार रुपये स्टेट बैंक, फैजाबाद से निर्माण विभाग के अधिकारियों ने निकाल कर उसी तारीख को दो हजार तीन सौ पंचानवे रुपये अन्य जगहों पर बांटे जब हमारे श्याम धर मिश्र जी की सरकार थी । मान्यवर, यह आप देखें कि एक दिन में कितने अंगूठे लगायें और किस तरह से पैसे का व्यय हुआ । जहां ये अधिकारी इस तरह का पैसे का अपव्यय करते हैं उसी जगह यदि मानव का अपव्यय करते तो सब से बड़ा हित होता । अभी फैजाबाद में हमारे खाद्य पूर्ति मन्त्री के नौकर की हत्या हुई । कहेंगे भगवान ने कर दी । ऐसी बात नहीं है । निर्माण विभाग के अधिकारियों की उदासीनता से एक मासूम गरीब नौकर की जान गयी । सड़कों पर कंकड़ डाल दिया जाता है लेकिन उन पर एक भी दुर्मुट नहीं चलता । इस सबका कारण क्या है ? योजना यहां के मन्त्री नहीं बनाते । जिन गांव वालों को योजना से फायदा होता है वह भी उस योजना को नहीं बनाते । योजना तो यह मगर मच्छ बनाते हैं जो लाखों रुपया कमाते हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

व्यवस्था का प्रश्न है । 'मगर-मच्छ' शब्द का जो प्रयोग किया गया यह असंसदीय है ।

श्री अध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था नहीं है ।

श्री भगवती प्रसाद सिंह--

चीन में हांगहो नदी की व्यवस्था कैसे हुई ? वहां के लोगों के सहयोग से कम पैसे में उसे पूरा किया गया । किसी मुल्क से चीन ने उसके लिए पैसा नहीं लिया और उस सैलाबी इलाके की रक्षा उसने की । मेरे क्षेत्र में एक बालिश्त भी सड़क नहीं है मन्त्री महोदय को मैंने पचीसियों बार लिखा लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया गया ।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त ।

सदन के समय में वृद्धि का प्रस्ताव

(श्री मोहम्मद मसूद खां सार्वजनिक निर्माण मंत्री)--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आध घंटा बढ़ा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि सदन का समय आध घंटा बढ़ा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

१९७७-७८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या २४--सार्वजनिक निर्माण कार्य, अनुदान-संख्या २९-कला एवं संस्कृति, अनुदान संख्या ३४--आवास भवन, अनुदान संख्या ६३--संचार साधन, अनुदान संख्या ६४--कार्यात्मक भवन, अनुदान संख्या ६५--सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान, अनुदान संख्या-७०--सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या ७१--कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या ७३-आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ८६--संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय (क्रमागत)

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)--

अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जो अनुदान पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं । बस्ती जिला उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और पिछड़ा हुआ जिला है । जो पुस्तिका विभाग से मिली है उसके आधार पर समय की कमी से मैं कुछ नहीं कहना चाहता । लेकिन दुख यह है कि बस्ती की भी उपेक्षा की गयी है । जौनपुर, आजमगढ़, मुजफ्फरनगर तथा मेरठ आदि जिलों में बहुत सड़कें बनी हुई हैं, लेकिन पिछड़े हुए जिलों की बड़ी उपेक्षा की गयी है । हमारे यहां अयोध्या में एक पुल बनाया गया और उस पुल के कारण हमारे यहां पचासों गांव कट गये क्योंकि धारा बदली गयी । सार्वजनिक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी है कि वह उस धारा को ठीक करे ।

मान्यवर, रुधौली से मेहदावल रोड है यह सड़क अच्छी हालत में है लेकिन बीच में कोई पुल नहीं है जिससे उस सड़क का उपयोग नहीं हो पाता है। विक्रमाजीत से टूटीबोटी सड़क है इसमें सड़क अभी नहीं बनी है लेकिन पुल बन गया है इससे मान्यवर, यातायात की सुविधा नहीं हो पा रही है। मान्यवर, इस विभाग में बड़े अच्छे–अच्छे अधिकारी है, टेक्निकल लोग हैं जो पदोन्नति करके ऊंचे पदों पर गये हैं वह सारी चीजों को जानते हैं परसेंटेज भी जानते हैं और निर्माण कार्य को भी जानते हैं। आपके यहां एक चीफ इंजीनियर और ५ एडीशनल चीफ इंजीनियर हैं लेकिन वह सड़को को देखने का दौरा नहीं करते हैं और पुलों को नहीं देखते हैं। इस कार्य को करने में वह असमर्थ रहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह विभाग पैसे वाला है मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि वह इस पर अंकुश लगायें अगर अंकुश नहीं लगायेंगे तो पैसा पानी की तरह बह जायेगा और काम नहीं होगा। सड़कें बनती है लेकिन वह जल्दी खराब हो जाती हैं गिट्टी डालने के बजाय उसमें मिट्टी डाली जाती है। मैं चाहूंगा कि इस सदन की एक कमेटी बने अधिकारियों के भरोसे काम नहीं होने वाला है। उस कमेटी में दोनों पक्ष के मेम्बर हों वह इस बात की जांच करें। मैं आपका ध्यान सिकन्दरपुर, मसकिन और परसरमपुर सड़कों की ओर दिलाना चाहूंगा इनके पूरे होने से और पुलों के न बनने से इनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। मैं मंत्री जी का ध्यान विशेषरूप से मनकापुर बभनान सड़क की ओर दिलाऊंगा जिस पर श्रीमती सुचेता कृपलानी के जमाने में काफी रुपया खर्च किया गया लेकिन वह अभी भी अधूरी पड़ी हुई है। उसमें लोग पैसा खा गये हैं। उन सड़कों का निर्माण कराया जाय।

मैं आपके माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूं कि आज मेरी मुलाकात केन्द्रीय सिंचाई राज्य मंत्री जी से हुई उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार मुझसे सड़कों के लिए धन चाहती है तो मैं जितना चाहे धन देने के लिए तैयार हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप केन्द्रीय सरकार से पहल करें जिससे कि हमारे इलाके में सड़कों का निर्माण कराया जाय।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इटावा से बिसकोहर सड़क, जो गोंडा की बस्ती से जोड़ती है उसे बनवाया जाय और सहियापुर से सिंगारघाट के लिए सड़क की व्यवस्था की जाय। इन सड़कों को अवश्य बनाया जाय। इस इलाके में सूखा पड़ा है।

श्री अध्यक्ष––

पाण्डेय जी आप एक मिनट में समाप्त करें।

श्री सुखपाल पाण्डेय––

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिन इलाकों में सूखा पड़ा है वहां राजस्व विभाग से पैसा लेकर पी० डब्लू० डी० को पैसा सड़क बनाने के लिए दिया जाय। क्योंकि यह तो थोड़ी सड़क बना भी देंगे सूखे के पैसे से सड़कों का निर्माण हो जायेगा नहीं तो पैसा वैसे ही खतम हो जायेगा और खा जायेंगे

[सुखपाल पाण्डेय--]

अगर यह विभाग पैसा खायेगा भी तो कुछ सड़क भी बनायेगा । मैं एक और निवेदन कर खतम करता हूं । मंत्री जी जब दौरे में जाते हैं तो वह आजमगढ़ तक ही न जाया करे वह बस्ती जिले पर भी दृष्टि रखें और समय निकाल कर वहां का भी दौरा करें और देखें कि वहां की क्या स्थिति है ।

श्री अध्यक्ष--

आप समाप्त कीजिये ।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

जब वह अपने क्षेत्र में दौरे पर जायं तो बस्ती भी देखने के लिए आये । इन शब्दों के साथ में बजट का समर्थन करता हूं ।

---

श्री हर प्रताप सिंह (जिला इलाहाबाद)--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इलाहाबाद की ओर दिलाना चाहता हूं । मान्यवर, हमारे इलाहाबाद की हंडिया तहसील में जी० टी० रोड पर एक पुलिया है, जिसकी वजह से ६ मील तक पानी इकट्ठा होता है । इस पर मैंने मंत्री जी से भी कहा था कि उस पुलिया को बड़ा कर दिया जाए और वहां पर एक इंटर कालेज है, जिसका नाम महर्षिकृष्ण इण्टर कालेज है वह डूब जाता है । लेकिन आज तक वह नहीं हो पाया, पता नहीं बजट नहीं था या और कोई वजह थी । यह पुलिया बहुत छोटी है हमारा क्षेत्र प्रतापगढ़, जौनपुर और वाराणसी से मिला हुआ है और तीनों तरफ से घिरा हुआ है, वहां पर जो भी रहा हर दम वह उपेक्षित होता रहा । रास्तों की बड़ी कमी है, जिससे वहां के किसान कुछ काम करना चाहते हैं तो नहीं कर पाते ह । बाजार कोई सामान ले जाना चाहते हैं तो जा नहीं पाते हैं, बरसात के चार महीनों में उनका घर से निकलना मुश्किल रहता है । मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि सरकार इस पर ख्याल करे । हमारे यहां जौनपुर रोडवेज है, बुढ़िया के इनारा से इमलिया, कुनार होकर बहरिया ब्लाक तक रोड जाती है, वह पूरा इलाका बहुत लम्बा-चौड़ा है । वह एक रास्ता है १० मील का उसको लिया जाए । बरसात में इस पर चलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहता है, इस रास्ते पर दो-एक लड़के हर साल डूब जाते हैं, इतना नाला वह बढ़ता है । हमारे यहां भूपतपुर और पूरेमियां सड़कें जो थीं, उन पर पहले जब मुजफ्फरहसन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, बसें चलती थीं, लेकिन आज उन रोडों पर एक एक फुट के गड्ढे हैं सायकिल चलाना मुश्किल है । मैंने इस पर कई दफा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन उस पर कुछ नहीं हो सका । फूलपुर जो संसदीय क्षेत्र है, जी० टी० रोड से मिला हुआ है और जो कुछ बन भी गया था, उसकी सारी मिट्टी बही जा रही है, लेकिन वह नहीं बन पायी, यह लिंक रोड है । जिसके बारे में मंत्री जी ने कहा है कि वह लिंक रोड्स को जोड़ने की कोशिश करेंगे । फूलपुर से हनुमानगंज का जो लिंक रोड है । उस पर मिट्टी पड़ी है, लेकिन बरसात में उस पर ४-५ फुट पानी चढ़ जाता है । फूलपुर मार्ग पर बड़ी दुर्दशा है, इस पर मैंने प्रश्न दिया था । मंत्री जी ने कहा है कि वहां हमने रुपया दे रखा है और रोड बनेगी, लेकिन उसकी हालत फूलपुर जो टाउन एरिया है, वहां बहुत ही खराब है । वहां के अस्पताल की दुर्दशा देखी जाए । वहां पर तीन-तीन कालेज, थाना व तहसील हैं और ये होते हुए भी अस्पताल की

बड़ी छीछालेदर है । उसमें न चहारदीवारी है, न मकान है, और जो कुछ है वह हर जगह गिरा जा रहा है । इन शब्दों के साथ में इस बजट का समर्थन करता हूं ।

(श्री शफीकुर्रहमान बर्क का नाम पुकारे जाने पर)

श्री हरीसिंह--

क्या सब पूर्वी जिले के लोग ही बोलेंगे, पश्चिम वालों को कोई मौका नहीं मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष--

आप लोग शान्ति बनाए रखिए ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, जहां तक इस बजट का ताल्लुक है, मैं उसकी ताईद में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । माननीय मंत्री जी ने पी० डब्लू० डी० के सिलसिले में कुछ नये प्रोग्राम और कुछ नयी स्कीमे चलाने के सिलसिले में जो रोशनी दिखाई है मुझे खुशी है और मैं उनको मुबारकबाद देता हूं, और इस बात की उम्मीद करता हूं, कि वह इस सिलसिले में इस प्रोग्राम को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे ।

जहां तक सड़कों और पुलों और बिल्डिंग्स का ताल्लुक है, देश के लिए एक बहुत जरूरी हिस्सा है । बगैर इसके हमारे समाज का प्रोग्राम मुकम्मल नहीं हो सकता । सड़कों के बगैर न कोई शहर, न कोई देहात तरक्की कर सकता है, न ट्रांजेक्शन का काम हो सकता है । आज बदकिस्मती से हमारे देहातों के अन्दर लिंक रोडों की बहुत कमी है । सड़कों की हालत भी अच्छी नहीं है । इसके सुधार के लिए जरूरत इस बात की है कि हमारी सरकार इस तरफ पूरा ध्यान दे । जहां तक पी० डब्लू० डी० मुहकमे का ताल्लुक है इसके मुताल्लिक जो अफसरान हैं, मैं सफाई से अर्ज करना चाहूंगा कि करप्शन बहुत ज्यादा है और बजट का ज्यादा हिस्सा उन लोगों की जेब में चला जाता है जिनके हाथ में निर्माण का काम है जब कि हमदर्दी यह होना चाहिए कि देश की उन्नति और तरक्की के लिए वह पूरी ईमानदारी से इसमें काम करें जिससे हमारी सड़कें उम्दा से उम्दा बन सकें और टूटी-फूटी सड़कों की मरम्मत हो सके । लेकिन अफसोस यह है कि आज भी जब कि जनता सरकार बरसरे इक्तदार है करप्शन के अन्दर कोई कमी नहीं है । करप्शन पूरे शबाब पर है । मैं चाहूंगा हमारी सरकार इस तरफ पूरी तवज्जह फरमाए । माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री से भी गुजारिश करूंगा कि सड़कों की देखभाल के लिए, पुलों के बनवाने के सिलसिले में और जो भवन वगैरह बनते हैं कोई इस किस्म का कमीशन मुकर्रर करें जो इन सारे चीजों की देखभाल कर सकें । चूंकि जितना मैटीरियल और पैसा सरकार इन कामों को करने के लिए देती है उसमें ज्यादा हिस्सा खाया जाता है । ज्यादातर मेटीरियल, वह ब्लेक कर लिया जाता है । इस तरीके से जितना बजट हम यहां पर मंजूर कर रहे हैं, मैं जिम्मेदारी से इस बात की अर्ज कर रहा हूं, कि वह सारा पैसा अगर ईमानदारी

[श्री शफीकुर्रहमान बर्क --]

से लगा दिया जाय तो जितना हमारा एस्टीमेट है, जितना हमारा टार्गेट है, सब पूरा हो सकता है । तीस साल तक कांग्रेस के शासन के दौर में जो कुछ हुआ, उस पर तब्सरा करने की जरूरत नहीं है । हमने जो वायदे किये है, उनको कहां तक निभा पाते हैं, अगर हमने उन वादों को नहीं निभाया और सड़कों को नहीं बनवाया, तो इस सब की जिम्मेदारी हम सब पर होगी ।

अब मैं अपने जिले मुरादाबाद की तरफ तवज्जह दिलाना चाहता हूं । हमारा जिला सड़कों के ऐतबार से बहुत पिछड़ा है । देहातों में लिंक रोड बहुत कम हैं । सम्भल जोया रोड २८ किलोमीटर १९७० से अंडर कांस्ट्रक्शन है । आज तक नहीं बन पायी है । बदकिस्मती यह है कि वह नान प्लान में है । इसलिए मैं चाहूंगा कि उस सड़क को बनवाया जाये । अगर यह सड़क बन जायेगी तो २८ मील का टुकड़ा ग्रीन बेल्ट हो जायेगा । उस पर सारी चीज मौजूद है, स्कूल है, पुलिस स्टेशन मौजूद है और गन्ने का बहुत बड़ा सेन्टर है । अगर उसको बनवा दिया जाये तो मेरे ही क्षेत्र का नहीं बल्कि पूरे जिले का कल्याण हो जावेगा । सम्भल से जोया वाया मुरादाबाद जाने में ४०-५० किलोमीटर का फर्क पड़ता है । मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं । अप्रैल, १९७० में यह सड़क मंजूर हुई ९.३ किलोमीटर सड़क बनी है । और १८.७ किलोमीटर बनना बाकी है । १९७७ में ३१.४८ लाख रुपया इसके लिए मन्जूर किया गया । इसको प्लान में लेकर बनवाया जाये ।

श्री अध्यक्ष--

बर्क साहब अब समाप्त करें । अब इसको समाप्त किया जाता है ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, आप देख रहे हैं कि इस अनुदान पर कितनी दिलचस्पी लोगों की है । आपकी इतनी व्यवस्था की कड़ाई के बाद भी और एक-एक मिनट, दो-दो मिनट समय देने पर भी लोगों की कितनी दिलचस्पी है ।

श्री अध्यक्ष--

यह तो आपने समय कम रखा है । कम से कम ३ दिन होना चाहिए ।

श्री श्यामधर मिश्र--

मान्यवर, मैं यही कह रहा हूं । यह सचमुच बड़ा महत्वपूर्ण विषय है । माननीय सदस्यों ने जितनी सड़कों का जिक्र किया है और जो लोग नहीं बतला सके हैं, मैंने किसी सड़क को नहीं बतलाया है कि कुछ होने वाला नहीं है । आज जितनी भी सड़कें बतलायी गयी है अगर उनको जोड़ दिया जाये तो उसके लिए ३-४ करोड़ रुपया चाहिए । जितना लिखा हुआ है उसके लिए ही कम है । मैंने तो कटौती का प्रस्ताव रखा है । मैंने इसलिए रखा है कि इनको रुपया और मिले । मेरी चले तो एक प्रस्ताव पास कर दूं कि ५० करोड़ रुपया इनको मिले, तभी काम चलेगा । तो कम से कम १० वर्षों में कुछ हद तक समस्या हल हो जायेगी ।

श्रीमन्, अब मैं ठेकेदारी प्रथा के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । इसमें कोई शक नहीं है कि जो राजकीय निर्माण निगम की स्थापना की गयी है उसमें इतने दोष हैं उनको कैसे दूर किया जाये ? भ्रष्टाचार है । जो इन्जीनियर लोग हैं

बिना नाम बताये मैं कह सकता हूं कि नीचे से लेकर ऊपर तक उनका कमीशन बंधा हुआ है उसको कैसे काटा जाये ? मैं नहीं जानता कि १५-२० फीसदी रुपया किस तरह से बरबाद होता है ? आप चाहे ठेकेदारों के जरिये से या राजकीय निर्माण निगम के जरिये से सड़कों के बनाने की व्यवस्था करायें लेकिन उसमें इस तरह की बरबादी नहीं होनी चाहिए । प्रत्येक तहसील में आप ऐसी व्यवस्था कर दें कि वहां जिस प्रकार से जिलें में हेड क्वार्टर पर अभियन्ताओं की व्यवस्था होती है, उसी तरह से प्रत्येक तहसील पर आप एक सहायक अभियन्ता की नियुक्ति कर दे और उसे वहीं रहना चाहिए ।

एक बात टैक्सेस के बारे में कहना चाहता हूं । उस पर बड़ी चर्चा की गयी । मेरे ख्याल से मोटर वेहिकिल्स एक्ट में अगर जोड़ा जाय तो ३०-४० करोड़ रुपये साल में तरह-तरह के रोडवेज टैक्सेस और अन्य टैक्सेस के जरिये से जो रुपया आता है, मेरा सुझाव है कि उस रुपये को सड़क निधि में रखा जाय, वह रेवन्यू में चला न जाय ।

इसी तरह से मान्यवर, शुगर केन का जो रुपया सेस के रूप में मिलता है, कम से कम उसका ५० फीसदी सड़क निधि में रखा जाय क्योंकि ज्यादातर सड़के शुगर केन के आवागमन से सम्बन्धित मार्गों पर ही बनती है । इस तरह से आप कम से कम ५० करोड़ रुपये का प्राविधान अतिरिक्त धन के रूप में कर सकते हैं । मैं हवा में बातें नहीं करता । हां, आप मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री को राजी कर लें । यह आपकी आपस की बात है ।

मैं ज्यादा समय न लेकर एक बात और कहूंगा फिर बैठ जाऊंगा रूरल मैन पावर स्कीम की आपको याद होगी । यह आपके ही कार्यकाल की बातें हैं । जब आप उस समय मंत्री थे और श्रीमती सुचेता कृपलानी के मुख्य मंत्री कार्यकाल में करीब २२ करोड़ रुपये करीब २३ जिलों में सड़कें बनाने के लिए खर्च किये गये । उनकी आज बड़ी दुर्दशा है ।

कहा जाता है कि वह सड़कें जिला परिषद् की हैं । इसलिये पी०डब्लू०डी० नहीं बनायेगा । रिपेयर करेगा । जिला परिषद् की सड़कें है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं हैं । जिला परिषद् प्रस्ताव करता है कि पी० डब्लू० डी० ले लें । पी० डब्लू० डी० इसे स्वीकार नहीं करता क्यों अपने गले में हड्डी बनने दें । पैसा तो है नहीं । इसलिए मेरा निवेदन है कि पी० डब्लू० डी० विभाग में जिस दिन जिला परिषदों से यह प्रस्ताव आये, तत्काल इसकी स्वीकृति दे और यह जो सरकार ने १८ करोड़ रुपया रखा है उसमें से कम से कम रुरल मैन पावर स्कीम में २-३ करोड़ रुपया और उसकी मैन्टीनेन्स के लिए भी रखे । वरना यह जो २०-२२ करोड़ रुपया है, वह पानी में चला जायेगा । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री मोहम्मद मसूद खां (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—

मान्यवर, सांस्कृतिक मसलों के सम्बन्ध में दो माननीय सदस्यों ने कुछ बातें कहीं । चूंकि उन पर कोई कटौती का प्रस्ताव नहीं आया है इसलिए मैं इसके बारे में पहले कहना चाहता हूं ।

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं नहीं किया ।

[श्री मोहम्मद मसूद खां--]

माननीय सदस्य, बांदा ने कुछ मशविरे दिये थे, मैं उनसे चाहूंगा कि इसके बारे में अगर उन्हें कोई शिकायत है, लिखकर दे दें। अब तक जो रिकार्ड्स हैं उनसे यह मालूम होता है कि इसके लिए कोई यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी आया है। इस पर भी उनको कोई शिकायत है और कोई अन्य जानकारी यदि उनके पास हो तो वह दे दे उस पर जांच कराने के बाद मुनासिब कदम उठाये जायेंगे। क्षेत्रीय म्यूजियम के बारे में जो कहा है उसके बारे में वह परिपत्र भिजवा दे, जो मुमकिन हो सकेगा वह किया जायेगा। और माननीय सदस्य ने यह भातखंडे महाविद्यालय की और महिला छात्रावास के सिलसिले में एक बात कही, मुझसे सुबह भी बात कही थी। एक शिकायत पहले भी मिली थी और एक ने मुझे टेलीफोन भी किया था। मैंने उसे होम सेक्रेटरी को भेज कर जांच कराने की मांग की थी तो उन लोगों ने, जिनके उस पर दस्तखत बने थे, इस बात से इन्कार कर दिया कि उन्होंने वह शिकायत नहीं की है। उसके बावजूद भी चूंकि एक फैक्ट थी, हो सकता है कि वह सही हो, शर्म की वजह से उन्होंने इन्कार कर दिया हो मैंने विजिलेन्स विभाग से अनुरोध किया है कि वे इसकी इन्क्वायरी करके मुझे रिपोर्ट भेज दें। मैं माननीय सदस्यों को यकीन दिलाता हूं कि इस बारे में जो भी उचित कदम होगा, वह उठाया जायगा। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि इस अनुदान को स्वीकार किया जाय, वैसे इस पर कटौती का कोई प्रस्ताव पेश नहीं हुआ है।

पी० डब्लू० डी० के बारे में माननीय सदस्यों ने काफी अच्छे-अच्छे और मुनासिब सुझाव दिए। हमारे मोतरिम तथा मिश्रा जी ने तो वाकई नस पकड़ी है कि यह गड़बड़ी कहां से शुरू हुई है। यह सही है कि पिछली बकाया से यह सरकार सड़कों के सिलसिले में दबी हुई है। मैंने शुरू में अपना भाषण देते हुए अर्ज किया था और कुछ आंकड़े भी दिए थे। चौथी पंच वर्षीय योजना में ८५ करोड़ रुपये का काम करना बकाया था, जो आज बढ़ते-बढ़ते और हो गया होगा। उसके बाद पांचवीं पंच वर्षीय योजना के शुरु के ३ साल के दरमियान ४६.४० करोड़ रुपया खर्च करना चाहिए था। बल्कि इससे ज्यादा ही होना चाहिए था लेकिन उससे भी ज्यादा सेंकशन कर दिया गया और ६.४६ करोड़ रुपया एक साल में अलग से सेंकशन कर दिया गया और खर्चा सिर्फ ६ लाख हुआ। दूसरे साल ५.३८ करोड़ रुपया सेंकशन किया गया लेकिन २० लाख रुपये का ही प्रयोग किया गया। खुश किस्मती या बद किस्मती से इलेक्शन के जमाने में ५१ करोड़ रुपया सेंकशन कर दिया गया लेकिन ५ लाख रुपया खर्च हुआ। यह बोझ बढ़ता गया। इस वक्त अगर इस तरह से होता है तो एक योजना बनाई जाय कि जो पिछली बकाया है उसे समाप्त किया जा सके। सड़कें बनी, बीच में पुल नहीं बना बीच-बीच में सड़कें गायब। जो रुपया उपलब्ध है उसको सामने रखते हुए एक स्कीम बनानी है और उसमें हमें प्रेफरेन्स देना है कि जो बहुत जरूरी हैं उनको पहले लिया जाय। इस सिलसिले में एक बात कहना चाहता हूं कि जो मेरे ऊपर बीती है। मैं पिछले ३ सालों से एम० एल० ए० था। मेरा एक क्षेत्र है वहां भी कुछ नहीं हुआ था भले ही जिले में हुआ हो या न हुआ हो। मैं जब पी० डब्लू० डी० का मिनिस्टर हुआ और पहली बार अपने उस क्षेत्र में गया तो वहां के लोग मुझे मिले और कहा कि जो आप कहा करते थे वह तो आप जानते हैं, हमारे कहने की जरूरत क्या है। तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि कल तक तो मैं तुम्हारा वकील था लेकिन आज मैं मुनसिफ हो गया हूं। उत्तर प्रदेश का हर हिस्सा, हर जिला मेरे लिए समान है। हो सकता है कि किसी के मन में गलतफहमी हो लेकिन मेरे सामने यह नजरिया

भी है कि किसी एक क्षेत्र को बढ़ाना उचित नहीं है। बकाया यह कि जो जरूरी चीजें हैं, उन सब को लेना है। अगर ईमानदारी से पूछा जाय तो हर जिले में हर क्षेत्र में अगर पूरा धन लगाया जाय तो पूरा नहीं हो सकता है। अभी कुछ दिन पूर्व मैंने सीतापुर में देखा कि अगर वहां का मैजिस्ट्रेट अगर अपने ही हल्के में जाना चाहे तो हरदोई के इलाके को पार करके जाना होगा। उसे अपने ही हल्के में जाने के लिए एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाना पड़ेगा। तो ये सारी प्रौब्लम्स हैं, उनको हल करने की कोशिश की जा रही है। हमने गवर्नमेंट आफ इंडिया को और वर्ल्ड बैंक को प्रोजेक्ट भेज हैं ताकि हमें वहां से कुछ लोन मिल सके। हम कोशिश कर रहे हैं और हमें आशा है कि हमें कामयाबी मिलेगी। जब हमें कामयाबी मिलेगी तो जरूर उनमें हम इजाफा करेंगे और काम भी तेजी से होगा जो आपकी शिकायतें हैं सब तो हल नहीं हो सकतीं। बात यह है कि ३० साल की पिछड़ी हुई चीजों को पूरा करना है और आगे चलना है। यह एक साल एक वक्त में हो नहीं सकता। कोई चिराग नहीं है कि रगड़ दिया जाय और काम हो जाय मिश्र जी को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि इस महकमे में शुरू से गड़बड़ी चली आ रही है। जो इरेगुलारिटी है उसको हम रेगुलर कर रहे हैं चाहे वर्क चार्ज हो सड़क हो, पुल हो, जहां भी इरेगुलारिटी है उसको रेगुलर करना है।

करप्शन के सिलसिले में बात कही जाती है। मुझे उस पर ज्यादा नहीं कहना है। इनकी शिकायत है, मैं भी उसी समाज से आया हूं, मैं खूब जानता हूं और बराबर शिकायतें आ रही हैं। अजीब-अजीब तरह की शिकायतें हैं, अगर बयान करने लग जायं तो काफी वक्त लगेगा। अगर कुछ लोग समझते हों कि यह करप्शन ३ महीने में दूर हो जाय, तो यह तीन महीने में दूर हो जाता अगर इसकी जुलाई से ही शुरुआत होती। हमको एक ३० साला 'देव' मिला है। जिसका हमें मुकाबला करना है और ३ महीने के अन्दर मुकाबला नहीं कर सकते। लड़ते जरूर हैं, बराबर लड़ते हैं। सिर्फ एक ही यकीन है कि चाहे जो हो जाय, इसके खिलाफ तय कर लिया गया है कि कितना ही बड़ा देव हो उसको मारने की कोशिश की जायेगी। इसमें आपके ताव्वुन की जरूरत है और हिम्मत दिलाने की जरूरत है। मैंने आंकड़ा दिया था। उस तरफ हम अब चलेंगे, करप्शन दूर करने के सिलसिले में जो चीजें हैं उनको हम चलायेंगे। हमने कठोर कार्यवाहियां की हैं। बहुत से लोग खफा हुए हैं और बातें हुई हैं, लेकिन हम करप्शन दूर करेंगे।

उसके लिए दो टाइप की योजनाएं बनायी हैं। एक तो जो भरा हुआ है खमीर में उसको दूर करना है और आइंदा जो काम होने वाला है, फिलवक्त मौका नहीं दूंगा कि साल भर के बाद शिकायत करें कि फलां सड़क पर कंकड़ कम लगा है, उस पुल पर सिमेन्ट कम लगा है। हम योजना बना रहे हैं, बैठे नहीं रहेंगे। कोई अधिकारी बैठा नहीं रहेगा। अगर कोई चीज बन रही है तो अधिकारी के नोटिस में होना चाहिए। हमारी लेबोरेटरी है, कैसी ही चीज हो हमको फौरन चेक करना चाहिए। बाद में दरख्वास्त आवे तो कम से कम कोई बहुत बड़ा लम्बा प्रोसीजर तो न शो करना पड़े। तो यह योजना बनी है कि आइंदा करप्शन

[श्री मोहम्मद मसूद खां—]

होने के जो जरिये हैं, जिन-जिन चीजों की शिकायत आती है वह मिनिमाइज हो जायं, कम हो जायं, हमको उस किस्म की शिकायतें न मिलें। लेकिन उसके बावजूद अर्ज करना चाहता हूं कि सब कुछ एक साथ नहीं हो सकता। यह बहुत बड़ा देव है और समाज में हर तरीके से लगा हुआ है। हमें आपके हर मुमकिन ताव्वुन की जरूरत है। अगर सब हजरात ने ताव्वुन न दिया तो एक के बस की बात नहीं है हमारी आपसे गुजरिश है कि आप ताव्वुन दें और करप्शन वाला देव भी खत्म होगा, इसके सिलसिले में जो चीजें हो रही हैं वह इससे पहले भी कह चुका हूं कि हमने एक स्कीम बनायी है।

ठेकेदारी के सिलसिले में बताया गया, इसमें कोई शुबहा नहीं कि उसकी तरफ एक कदम है कि इसको कम किया जाय, यकलख्त खत्म करने की कोई स्कीम नहीं है। यही है कि इसको कैसे मिनिमाइज किया जाय। दूसरी जो स्कीम शुरू की जाय, यह भी उसमें देखना है जैसा कि एक सदस्य ने कहा है, उसमें भी वैसी चीज तो नहीं घुस कर आ रही है। तो यहां से खत्म करना और इसकी जगह पर जो रिप्लेस हो रहा है उसकी तरफ भी निगाह और ध्यान है कि उसमें करप्शन न आने पाये कि कहीं यहां जो गलती है वहां भी हो गयी तो सिर्फ यही रहेगा कि कुर्सी बदल गयी, जगह बदल गई और कुछ नहीं होगा।

एक खास बात कुछ माननीय सदस्यों ने कही है कि इसके बारे में बताया जाय कि जो नौकरियां मिल रही हैं उनमें हरिजन कितने हैं और दूसरे कितने लोग हैं। इसमें कोई शुबहा नहीं कि यह ऐसा मुहकमा है जिसमें मुस्तकिल करीब में कोई नया अप्वाइंटमेंट नजर नहीं आता इस वास्ते कि डेपुटेशन पर अगर यहां के लोग न जायं तो जो मौजूद हैं वही काफी हैं। कुछ नीचे वाले कर्मचारी अगर आते हैं तो इसके बारे में कह चुका हूं कि उसमें गवर्नमेन्ट के आर्डर्स हैं कि उसमें सख्ती से नियमों का पालन हो।

ऐसी शिकायतें मिली हैं कि हरिजन नहीं लिये गये, बैकवर्ड नहीं लिये गये। यह भी शिकायतें मिली हैं कि बाज लोग इस वजह से नहीं लिये गये कि वह मुसलमान हैं। जाहिर है पुरानी सरकार ने यह किया है। तो वह इसकी सजा पा रही है। हमारी सरकार की यह नीति नहीं है।

एक अर्ज आपसे और करना है। जाहिर बात है कि जो उपलब्ध धन है उसी के अन्दर ज्यादा से ज्यादा काम करना है। जैसी आप सब लोगों की भावना है हमारे भी जज्बात वैसे ही हैं कि जल्द से जल्द लिंक रोड वगैरह बन जायं। लेकिन अगर धन न हो तो सिर्फ ख्वाहिश ही रह जायगी। तो जो उपलब्ध साधन हैं उनके लिहाज से काम होगा। अगर किसी तरह से श्रमदान टाइप का कुछ काम हो तो बहुत अच्छा हो। लोगों के कोआपरेशन से सड़कों और पुलियों की समस्या हल हो जायगी। बाज जगह यह दरख्वास्तें आ रही हैं कि हम श्रमदान से इतना काम कर देना चाहते हैं। तो श्रमदान से बहुत मदद मिलेगी। जो सीमित साधन हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे प्रदेश की तरक्की होगी और जो ताव्वुन श्रमदान से हो सकता है वह भी दिलायें ताकि जो कठिनाइयां पैदा हो रही हैं वह दूर हो सकें। इसमें कोई शुबहा नहीं कि जब दूसरे प्रदेशों का नक्शा सामने रखा जाता है तो हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश उतना नहीं बढ़ा है। लेकिन तमाम लोगों के ताव्वुन से और सरकारी साधनों से हम तेजी से आगे बढ़ सकेंगे और जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। मैं ज्यादा वक्त न लेकर माननीय मिश्रा जी से यह गुजारिश करूंगा

कि हम और आप, दोनों जो दिक्कते हैं वह जानते हैं। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लें ताकि जितना है उतना तो आसानी से चलता रहे। मैं अपने सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने सुझाव दिये हैं और जिन लोगों को मौका नहीं मिला उन्होंने लिखकर दिया है। मैं उन पर गौर करूंगा और जो भी मुमकिन हो सकेगा, वह करूंगा।

श्री श्यामधर मिश्र––

मैंने तो पहले ही कहा कि १ रुपया और १० रुपये का सवाल नहीं है। कम से कम आप (श्री अध्यक्ष) तो इनको समझा दीजिये। हमने तो समालोचना के लिये किया था, लेकिन मैं यह कर सकता हूं कि अगर माननीय मंत्री जी यह प्रस्ताव लायें कि इस विभाग को ५० करोड़ रुपया इस साल और दिया जाय तो मैं वापस लेता हूं वरना नहीं।

श्री अध्यक्ष––

आप लोग शान्त रहिये, मतदान शुरू होता है।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २४––सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २४––सार्वजनिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४१, ३३, ५०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृति की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २९––सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २९––कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४२, ८७,९०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३४--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३४--आवास भवन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४०, ९६, ५०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६३--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ६३-संचार साधन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १०,९४,१८,४०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६४--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ६४--कार्यात्मक भवन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,०१,४५,९०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृति की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६५--सम्पूर्ण के अधीन मांग को राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २४--सार्वजनिक निर्माण कार्य, अनुदान संख्या २९--कला एवं संस्कृति, अनुदान संख्या ३४--आवास भवन, अनुनान संख्या ६३--संचार साधन, अनुदान संख्या ६४--कार्यात्मक भवन, अनुदान संख्या ६५--सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान, अनुदान संख्या ७०--सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या ७१--कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या ७३ आवास भवनों पर पूंजीगत, परिव्यय तथा अनुदान संख्या ८६--संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ६५--सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ६,३३,९७,३०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ७०--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ७०--सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिय आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४,७२,८१,५०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ७१--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ७१--कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परियय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ६०,९३,६०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ७३--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ७३--आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,५५,९०,२०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ८६--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ८६--संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १४,५८,२३,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

नियम ५१ के अनुसार जो सूचनायें मुझे प्राप्त हुई हैं, उसमें मैंने श्री गनेशी लाल चौधरी और उसी के साथ शामिल कर दिया है श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त श्री सोहनवीर सिंह तोमर, श्री श्यामधर मिश्र, श्री देव कुमार को, वह सूचना यह है कि मेरठ जिला जेल में दिनांक १२-१०-७७ को रात में जेल अधिकारियों तथा कैदियों में संघर्ष से लगभग ४० कैदियों का घायल होना, इसको मने स्वीकार किया है। माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर वक्तव्य कब दे सकेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)--

मान्यवर, १८ तारीख को दिलवा दें ।

जो सूचना मिली है उसके अनुसार जिलाधीश वहां पहुंच गये हैं और उसकी जांच कर रहे हैं । उसकी रिपोर्ट आ जाय । इसीलिये १८ तारीख के लिये हम कह रहे हैं ।

एक सदस्य--

मान्यवर, वहां तनाव है ।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मान्यवर, वहां बहुत अधिक तनाव नहीं है। शान्ति है । बड़े नेता लोग गये हैं । उनको अनुमति दी गयी है ।

श्री अध्यक्ष--

आपको सूचना देनी चाहिये थी। १६ को छुट्टी है। अच्छा आप १८ को वक्तव्य दे दें।

श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)--

मान्यवर, सरकार के पास सूचना जानने के लिये यंत्र हैं इसलिये कल शाम तक दे दें।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी कह रहे हैं कि सूचना नहीं मंगा पा रहे हैं तो उसका अर्थ क्या होगा ?

लखनऊ में अवध सहकारी बैंक के खजान्ची श्री अविनाश कुमार से डकैतों द्वारा रुपए छीने जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

(श्री राम नरेश यादव) मुख्य मन्त्री--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक २६-९-७७ को श्री अविनाश कुमार, खजान्ची, अवध सहकारी बैंक, अमीनाबाद ने थाना कैसरबाग पर इस आशय की लिखित रिपोर्ट दी कि वादी अपने चपरासी सहित दिन को २ बजे अपने बैग में एक लाख दस हजार रुपया रखकर अवध सहकारी बैंक से रिक्शा द्वारा कोआपरेटिव बैंक, हजरतगंज में जमा करने जा रहा था और लगभग सवा दो बजे बाल्मीकि रोड चौराहे पर दो साइकिलों पर सवार चार व्यक्ति उनके सामने से आये जिनमें से एक व्यक्ति ने तमंचा दिखाकर रिक्शा रोक लिया तथा शेष तीन व्यक्तियों ने वादी तथा चपरासी को घेर कर रुपए वाला बैग छीन लिया एवं साइकिलों पर सवार होकर आवास विकास कार्यालय की तरफ भागे। उनके पीछे वादी तथा चपरासी भी चिल्लाते हुए भागे तो एक व्यक्ति ने मुड़कर उन लोगों पर फायर किया जो किसी को नहीं लगा। पीछा करते हुए जब वे लोग पुलिस आफिस बारादरी के निकट पहुंचे तो एक सब-इन्सपेक्टर पुलिस जो मोटर साइकिल पर थे उन्होंने भी बदमाशों का पीछा किया और दो बदमाशों को म्यूजियम के पास घेरकर पकड़ना चाहा। एक बदमाश पकड़ लिया गया किन्तु दूसरा भाग गया। शेष दो बदमाशों को वादी ने एक अन्य व्यक्ति की मोटर साइकिल से पीछा करके टेलीफोन एक्सचेंज के पास घेरा जिनमें से एक बदमाश को जिसके पास रुपए का झोला था, गवाहों की मदद से पकड़ लिया गया तथा दूसरा फायर करके व एक बढ़िया तथा दो अन्य व्यक्तियों को घायल करके भाग निकला। इतने में सब-इन्सपेक्टर भी वहां पहुंच गए। पूंछताछ से पकड़े गए अभियुक्तों के नाम लुकमान तथा आरिफ एवं उनके भागे हुए साथियों के नाम सुरेश व गुड्डू ज्ञात हुए। उपरोक्त सूचना के आधार पर थाना कैसरबाग में धारा ३९४/३९७/४११ भारतीय दंड विधान का मुकदमा दर्ज किया गया जिसकी विवेचना की जा रही है।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

अध्यक्ष महोदय, यह लखनऊ महानगरी है। यहां हमारे मुख्य मंत्री जी रहते हैं। यह घटना बड़ी अभूतपूर्व है। एक लाख दस हजार रुपए का लाना और साइकिलों पर लोगों का आना, तो किस तरह से इस महानगरी में आदमी निडर

[श्री गनेशीलाल चौधरी]

होकर डकैती डाल रहे हैं इस पर गौर करें। मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस तरह की डकैती बैंक में डालने का कोई गिरोह तो नहीं आपरेट कर रहा है ?

श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर, जो रिपोर्ट लिखाई गई है उसमें चार व्यक्तियों के बारे में चर्चा थी। दो व्यक्ति मौके पर पकड़ लिए गए और दो आदमी भाग गए। उनके बारे में पता लग गया है। उनके खिलाफ ८२ और ८३ की कार्यवाही कर रहे हैं और इसमें सारे अधिकारी लगे हुए हैं। ज्योंही वह पकड़े जायेंगे गिरफ्तार हो जायेंगे।

श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)--

मान्यवर, चार लोगों में से जो दो पकड़े गए हैं और दो नहीं जिनके बारे में कार्यवाही पकड़ने की की गई है उन लोगों के निवास स्थान चाहे लखनऊ में हों या दूसरी जगह, क्या उनका पेशा डाका डाल करके सामान लूटने का है ?

श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर, जो दो व्यक्ति भाग गए थे ये दोनों लखनऊ के हैं और इनकी गिरफ्तारी के लिए ८२-८३ में कार्यवाही की जा रही है।

श्री हरि केवल प्रसाद--

इसके पूर्व भी कोई अपराध में इनका पता चला है या यह पहली घटना है ?

श्री राम नरेश यादव--

पहले पुलिस इसके बारे में पता लगायेगी कि प्रिवियस कनविक्ट थे, किसका हाथ रहा, सारी बातें आयेंगी।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे जो मुद्दई है और जो मुल्जिम हैं जिन्होंने लूटपाट की है इनकी साकिनियत कौन से मुहल्ले की है ?

श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर, जो एफ० आई० आर० में दर्ज हैं उन्होंने अपना अवध सहकारी बैंक, गौतम बुद्ध मार्ग का पता दिया है। जो चार और बताए जाते हैं उनका भी पता सारा लखनऊ का ही है।

श्री रियासत हुसैन--

लखनऊ तो बहुत बड़ा शहर है, किस मुहल्ले के हैं ?

श्री राम नरेश यादव--

बाद में पता लगा। उसमें एक तो गुड्डू, निवासी साबुल्ला नगर, थाना बंथारा, लखनऊ और दूसरा सुरेश निवासी बीरमपुर, थाना गोसाईगंज, लखनऊ, ये भाग गए और उनके विरुद्ध कार्यवाही हो रही है। जो पकड़े गए हैं वे हैं लुकमन पुत्र सुल्तान, निवासी कंचनपुर मटियारी, थाना चिनहट और अरिफ पुत्र फैयाज, निवासी अमीनाबाद।

श्री शंकर सिंह (जिला जालौन)--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो लोग पकड़े गए हैं उनके पास कौन-कौन से हथियार बरामद हुए हैं ?

श्री राम नरेश यादव--

जो पकड़े गए हैं उनके पास रिवाल्वर बरामद हुई है ।

श्री देव कुमार (जिला बांदा)--

मान्यवर, जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य है उससे ऐसा कुछ आभास होता है कि मुद्दई और इन अभियुक्तों के बीच कोई मिली भगत मालूम होती है । जैसा रियासत हुसैन साहब ने भी साकिनियत के बारे में सवाल किया । मेरा मतलब यह है कि क्या मुद्दई और अभियुक्तों के बीच कोई सामन्जस है ? इसमें क्या माननीय मुख्य मंत्री जी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो आप टिप्पणी कर रहे हैं ।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह जो घटना हुई है उसमें जो अभियुक्त पकड़े गए हैं उनमें कोई बैंक से भी सम्बन्धित है ? क्या इसकी जानकारी है ?

श्री राम नरेश यादव--

अब तक इस तरह की कोई बात जानकारी में नहीं है ।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यह सब-इन्सपेक्टर जो थे इनको कुछ इनाम दिया गया, क्योंकि उन्होंने काम बहुत अच्छा किया, कहीं को जा रहे थे लेकिन उन्होंने अभियुक्तों का पीछा किया, उनको पकड़ा । क्या इनाम दिया गया ।

श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर, अभी कोई पुरस्कार नहीं दिया गया है । बहुत साहस का काम किया है । इसमें सरकार सोचेगी ।

श्री विश्वनाथ पांण्डेय (जिला बस्ती)--

१ लाख १० हजार रुपए चपरासी के साथ बिना आर्म गार्ड को लेकर ले जाया जा रहा था । यह क्या असावधानी नहीं थी उस अधिकारी की ? अगर असावधानी है तो क्या उस असावधानी के लिए भी कोई कार्यवाही अधिकारी के विरुद्ध होगी ?

श्री राम नरेश यादव--

जिस तरह रिपोर्ट हुई है उसके आधार पर जांच हो रही है । यह मामला उनके विभाग से सम्बन्धित है कहां गया, किस तरह बैंक भेजा, किस प्रकार भेजना चाहिए था ?

श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)--

मान्यवर, यह घटना लखनऊ जैसे शहर में हुई जो एक राजधानी है। क्या मुख्य मन्त्री जी बतलायेंगे कि इस घटना का कारण केवल सुस्त प्रशासन है या और कोई कारण है ?

श्री अध्यक्ष--

यह कोई प्रश्न नहीं है।

श्री बदन सिंह (जिला आगरा)--

यह रिवाल्वर जो मिला है वह लाइसेन्सशुदा था या बगैर लाइसेन्स का था ?

श्री राम नरेश यादव--

यह मामला तफतीश के तहत है। बाद में इसका पता चलेगा।

श्री अध्यक्ष--

समय समाप्त हुआ।

**पुलिस अधीक्षक, सीतापुर के स्थानान्तरण के विषय में दिनांक ७ अक्तूबर, १९७७ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या १ के सम्बन्ध में नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा**

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

७-१०-७७ को मेरा एक प्रश्न था सीतापुर के पुलिस अधीक्षक, श्री छोटे लाल का स्थानान्तरण सितम्बर महीने में कर दिया गया जब कि मुख्य मंत्री जी ने हमलोगों से कहा था कि ३१ अगस्त के बाद कोई स्थानान्तरण नहीं होंगे। जब प्रश्न के समय पूरक प्रश्न पूछे गए तो मुख्य मंत्री जी ने यह बताया कि स्थानान्तरण शिकायतों पर हुआ है। हमारे जिले में जनता पार्टी के ८ विधायक तथा दो एम० पीज० हैं। दसों में से किसी को भी छोटे लाल जी से शिकायत नहीं थी। हां, शिकायत दो आदमियों को हो सकती है। सीतापुर में जो डालडा फैक्टरी है उसके मालिक और मजदूरों में झगड़ा हुआ उसमें ३०७ का मुकदमा हुआ। डालडा फैक्टरी के मालिक ने श्रम मंत्री जी से सिफारिश कराई और क्यों सिफारिश कराई ? [***] डालडा फैक्टरी के मालिक यह चाहते थे कि इस मामले में कोई कार्यवाही न की जाय। दूसरी शिकायत...

श्री अध्यक्ष--

गनेशी लाल जी आपने जो भाषण दिया है आपके भाषण का वह भाग कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा जिसमें किसी माननीय सदस्य के विरुद्ध आक्षेप हो तो उसका नाम लेने के पहले अध्यक्ष को, साथ ही सम्बन्धित सदस्य को लिखित सूचना उसके बारे में देना चाहिए था। गणेश दत्त बाजपेई पर आप आरोप लगा रहे हैं। इसलिए मैं इसकी अनुमति नहीं देता। अगर आपको यह आरोप लगाना था तो मेरी जानकारी में पहले लाते और माननीय सदस्य को भी लिखकर भेजते। इसलिए इसको छोड़कर आगे बढ़ें।

श्री गनेशी लाल चौधरी--

यह कहा जाता है...

श्री अध्यक्ष--

हीयर से पर भी आप नियमों के अनुसार नहीं कह सकते।

---

नोट--[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री गनेशी लाल चौधरी--

दूसरी शिकायत मुख्य मंत्री जी की यह हो सकती है कि आजमगढ़ के एक सिपाही पर ३०७ का मुकदमा चल रहा था। वह वहां ट्रेनिंग स्कूल में भरती था और एस० पी० महोदय ने उसे निकाल दिया था। छोटे लाल जी एक कुशल प्रशासक हैं और हरिजन हैं और मार्च में उनकी सीतापुर में पोस्टिंग हुई थी और सितम्बर में ट्रान्सफर करा दिया गया जबकि उनके लड़कों की भरती स्कूलों में हो चुकी थी और इसके पहले जब सीतापुर में छोटे लाल थे तो तीन दिन पी०ए०सी० में भर्ती हुए और फिर उनका ट्रांसफर हो गया। इस तरह से हरिजन एस० पी० को बार-बार ट्रांसफर किया जाता है और परेशान किया जाता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि उस हरिजन आफिसर को जब वहां के स्थानीय विधायक और एम० पी० चाहते हैं तो वहां भेज दिया जाय यह मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं।

मुख्य मंत्री (श्री रामनरेश यादव)--

मान्यवर, पहली बात तो मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर माननीय सदस्य के मन में, माननीय गनेशी लाल जी के मन में यह भाव है कि हरिजन होने के नाते उनका स्थानान्तरण किया गया है तो यह बात उन्हें अपने मन से निकाल देनी चाहिए। क्योंकि शासन की नीति और शासन की मंशा कभी भी किसी तरह से नहीं है और विशेषरूप से जनता पार्टी की किसी जाति विशेष के होने के नाते और इस विशेष वर्ग के होने के नाते कभी भी यह मंशा नहीं है। जनता पार्टी ने तो उस वर्ग के लिए बहुत कुछ करने की सोची है उस वर्ग को संरक्षण देने के बारे में भी सोची है और उस पर अमल भी कर रही है जो संरक्षण पिछले ३० सालों में कांग्रेस की हुकूमत में नहीं दिया गया। उनका ट्रांसफर ऐसा नहीं है कि इस आधार पर हुआ है। उनके स्थान पर अनुसूचित जनजाति के एस० पी० को किया गया है। इसलिए अगर इस दृष्टि से यह बात कही जाती है कि हरिजन होने के नाते स्थानान्तरण हुआ मैं चाहता हूं कि गनेशी लाल जी इस भावना को मन से निकाल देंगे और माननीय सदस्य के प्रति हमारे मन में भी स्थान है।

दूसरी बात जो कही उसमें अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दे दी है। वास्तव में स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर किया जाता है और उनका स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर किया जाना आवश्यक था। उनके बारे में जनहित में मैं भी यह बताना आवश्यक नहीं समझता हूं कि किस प्रकार की शिकायत थी। उसके बारे में जांच चल रही है। इसलिए सारी परिस्थितियों को देखते हुए जो डी० आई० जी० थे उन्होंने भी जाकर जांच की थी और सी० आई० डी० के जिम्मे भी काम बहुत पहले ही सुपुर्द कर दिया गया था। इन सारी चीजों को देखने के बाद ऐसा नहीं है कि किसी ईर्ष्यावश या द्वेषवश किसी के असर पर या किसी माननीय सदस्य की भावना के आधार पर उनका ट्रांसफर नहीं किया गया है उनके हित को देखते हुए ही उनका ट्रांसफर किया गया है और ऐसी कोई बात नहीं है कि जिस ३१-८-७७ के आदेश की चर्चा की गई उसमें भी स्पष्ट है कि केवल प्रशासनिक दृष्टि से स्थानांतरित किया गया है। अन्य किसी आधार पर स्थानांतरण नहीं किया जायेगा इसलिए इस आधार पर कि कोई डालडा कम्पनी का सवाल है ऐसा नहीं है। उनका तो मुकदमा रजिस्टर है जिसकी जांच हो रही है, मुकदमा चलायेंगे। वह अलग प्रश्न है। लेकिन उससे इस मामले को जोड़ना उचित नहीं है और यह

[श्री रामनरेश यादव]

कहना कि उस वजह से स्थानांतरण हुआ है यह भी नहीं है। एक कानिस्टेबिल की भी चर्चा हुई। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उस कानिस्टेबल को वहां से हटाना या न हटाना या किसी तरह से उससे जोड़ना या किसी तरह का उससे सम्बन्ध होना स्थानान्तरण से सम्बन्धित नहीं है और न ही वह इस बीच में आता है सारी जो परिस्थितियां थीं, उनको देखते हुए प्रशासनिक दृष्टिकोण से उनका स्थानान्तरण किया गया और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य मेरे इस विचार से सहमत होंगे।

श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

मार्च में जब श्री छोटे लाल जी का ट्रांसफर हुआ तो क्या उस समय लोक सभा के मेम्बर, विधान सभा के किसी मेम्बर या इस सदन के किसी माननीय सदस्य ने उनको शिकायती-पत्र दिया था या शिकायत की थी? दूसरे कौन सी वहां पर ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई थी, जिससे वहां का प्रशासनिक काम ठप्प हो गया था या प्रशासनिक कामों में बाधा पड़ रही थी?

श्री राम नरेश यादव—

यह आवश्यक नहीं है कि वहां के संसद सदस्य और विधायक ही शिकायत करें, तभी कोई बात हो। जहां तक शिकायत का अधिकार है, हर एक को अधिकार है देने का। इसलिए मैं पहले ही बता चुका हूं कि वह जांच सी० आई० डी० के सुपुर्द कर दी गई है, जो भी शिकायतें आयीं थीं उनके आधार पर। इसलिए यह उचित समझा गया कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से उनका ट्रांसफर कर दिया जाए।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने निश्चित् तौर से पढ़ लिया होगा कि इस सभा में क्या प्रश्न और उत्तर हुआ था। उस दिन जिन मंत्री जी ने उत्तर दिया था, उन्होंने गोपनीयता पर बड़ा जोर दिया था और आज भी मुख्य मंत्री जी ने गोपनीयता पर बड़ा जोर दिया है और उन्होंने कहा है कि सी० आई० डी० जांच कर रही है। किन्तु उस दिन और आज भी यह पता नहीं चल रहा है कि क्या अभियोग है, किसने अभियोग लगाया है, कब तक जांच हो सकेगी और क्या नतीजे होंगे? जब इस सदन में इस तरह का विवाद हो रहा है और तमाम संदेहास्पद बातें उठ रही हैं, तो मैं समझता हूं कि प्रेस-गैलरियों को खाली करा दिया जाए और सीक्रेट सेशन १० मिनट का इस समय हो या आगे मान लिया जाए और उसमें पूरे हाउस को माननीय मुख्य मंत्री जी क्यों न बतावें इसके सारे फैक्ट्स के बारे में। क्योंकि नियम में ऐसा है, इस तरह सीक्रेट बात हमें वह बता सकते हैं। तो वह क्यों न बतावें?

श्री अध्यक्ष—

अभी यह प्रश्न सामने नहीं है कि कोई गोपनीय सेशन हो। इस समय मैं नियम ४९ के अन्तर्गत बहस ले रहा हूं।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित एस० पी० संभापुर, जिनका शिकायतन ट्रांसफर हुआ, उनका ऐसे ही ट्रांसफर आगरा और एटा से भी हुआ था?

श्री रामनरेश यादव--

यह ३-५-७४ से १८-८-७६ तक आगरा रहे थे, उसके बाद पी० ए० सी०, सीतापुर में आ गए थे, वहां से एटा आए और ७-९-७६ से ३०-१-७७ तक थे। उसके बाद फिर वह सीतापुर ट्रांसफर होकर चले आए।

श्री अध्यक्ष--

उनका प्रश्न यह है कि यह जो ट्रांसफर हुआ आगरा से, वह क्या किसी शिकायत पर था या वह भी प्रशासनिक दृष्टिकोण से ही उनका ट्रांसफर हुआ था ?

श्री राम नरेश यादव--

वह भी प्रशासनिक दृष्टिकोण से ही उनका ट्रांसफर हुआ था।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट (जिला इटावा)--

प्रशासनिक दृष्टिकोण से इस अधिकारी का ट्रांसफर किया गया और ये शब्द इतने विस्तृत हैं कि कुछ कहने को नहीं, तो मैं उनसे यह जानना चाहता हूं, आप कहते हैं कि जांच चल रही है, तो यह तो निश्चित् बात है कि जांच में कोई भी बात उनके खिलाफ नहीं मिली, नहीं तो सिर्फ स्थानान्तरण ही नहीं होता, जो एस० पी०, मैनपुरी के लिए किया गया वह न करके...।

श्री अध्यक्ष--

देखिए आपको तर्क की इजाजत नहीं है, आप सिर्फ सीधा प्रश्न करें।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

श्रीमन्, मैं प्रश्न ही कर रहा हूं कि क्या इस अधिकारी के खिलाफ जांच में कोई बात अभी तक सिद्ध हुई है एक ? दो, यह कि यदि नहीं, तो फिर बिना पूरी जांच की रिपोर्ट आये ही इतनी जल्दी तबादला क्यों किया गया ?

श्री अध्यक्ष--

तर्क की इजाजत नहीं दी जा सकती है।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

अब तक इस अधिकारी के खिलाफ जांच में कोई चीज आपके समक्ष आयी है ?

श्री राम नरेश यादव--

अभी जांच जारी ही है।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

तो हटाने की क्या आवश्यकता है ?

श्री अध्यक्ष--

आप तर्क वितर्क करते हैं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस प्रकार अनेक वर्षों से हजारों अफसरान पर टेक्निकल आडिट सेल, एंटी करप्शन, सी० बी० आई० विजिलेन्स की जांच ही नहीं चल रही है, बल्कि रिपोर्ट शासन को आ गयी है, उस पर कार्यवाही नहीं की जा रही है तो किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर क्यों कार्यवाही की जा रही है, यह दोहरा मापदण्ड क्यों अपना रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी इजाजत नहीं देता। यह इससे नहीं निकलता।

श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)--

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि जनता पार्टी के संसद सदस्य, श्री राही ने कोई प्रार्थना-पत्र या शिकायत सीतापुर जिले की शान्ति व्यवस्था के बारे में माननीय मुख्य मंत्री को दिया था? नम्बर दो, इसकी क्या डी० आई० जी० स्पेशल सेल ने कोई जांच जुलाई मास में की थी और उसकी रिपोर्ट माननीय मुख्य मंत्री के पास आ चुकी है?

श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर, राही जी ने अपनी सुरक्षा के सम्बन्ध में एक प्रार्थना-पत्र दिया था जिसके बारे में विशेष व्यवस्था कर दी गयी और इस बात की हिदायत कर दी गयी थी कि किसी भी तरह से उनकी जान माल का खतरा नहीं होना चाहिए। बल्कि उनके अंग रक्षक को भी आदेश कर दिया, वह अंग रक्षक बना रहे।

एक सदस्य--

दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष--

जो दूसरा प्रश्न है रिपोर्ट के बारे में, कोई रिपोर्ट आपके पास आई है?

श्री राम नरेश यादव--

इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं है।

श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)--

क्या श्री छोटे लाल, एस० पी० के समय में शान्ति व्यवस्था जिले में अच्छी रही थी और श्री राम लाल राही, एस० पी० ने उनके ट्रान्सफर के बाद प्रार्थना-पत्र दिया है कि अब शान्ति-व्यवस्था खराब होने के कारण जान का खतरा हो गया है?

श्री राम नरेश यादव--

एक प्रार्थना-पत्र ३-६-७७ को दिया था, अंगरक्षक की नियुक्ति के बारे में दिया था, मैंने बढ़ा दिया है कि अंगरक्षक बना रहे।

श्री अध्यक्ष--

आपने कहा कि इनके कार्यकाल में वहां की शान्ति व्यवस्था अच्छी रही यह प्रश्न है उनका?

श्री राम नरेश यादव--

कभी-कभी इस तरह की स्थिति आती है, ट्रांसफर करना आवश्यक हो जाता है, इसलिए वह ट्रांसफर किया गया।

श्री रियासत हुसैन--

आखिर जब शिकायतों के बारे में ट्रांसफर किया है तो शिकायतें किसकी हैं, और मुख्य-मुख्य चार्जेज क्या हैं?

श्री राम नरेश यादव--

वह शिकायतें कई प्रकार की थीं। मैं उसको जनहित में और प्रशासनिक दृष्टिकोण से, चूंकि उसका असर प्रशासन पर भी पड़ सकता है, इसलिए बताना आवश्यक नहीं समझता हूं।

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)--

जैसा कि गनेशी लाल जी ने कहा, क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि उस सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस की शिकायत करते हुए श्रम मंत्री द्वारा कोई पत्र माननीय मुख्य मंत्री को लिखा गया था ?

श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर, वह किस तरह का पत्र है, कैसा है, कब मिला, क्या स्थिति थी वह गोपनीय पत्र हो सकता है, जो जनहित में बताना आवश्यक नहीं है।

(एक सदस्य के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिए।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि श्री छोटे लाल के विरुद्ध कितनी शिकायतें थीं, जांच का आदेश कब हुआ और जांच कब पूरी हो जायेगी ?

श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर, मैं प्रश्न समझ नहीं पाया।

श्री अध्यक्ष--

कितनी शिकायतें उनके विरुद्ध प्राप्त हुईं और कब उसकी जांच पूरी हो जावेगी ?

श्री राम नरेश यादव--

कई प्रकार की शिकायतें हैं और यह हम जल्दी कोशिश करेंगे कि वह रिपोर्ट आ जावे।

श्री राजपति मिश्र (जिला प्रतापगढ़)--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब किसी कर्मचारी के खिलाफ जांच की जाती है तो उसे निलम्बित कर दिया जाता है तो इन एस० पी० को क्यों नहीं निलम्बित किया गया ?

श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर, यह गजटेड अफसर हैं इसलिए जब तक वह आरोप सिद्ध न हो जाये तब तक प्रशासनिक दृष्टि से निलम्बित करना उचित नहीं है।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

जिस आदमी ने आरोप लगाया है वह कौन है और कहां का रहने वाला है ?

श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर, इस समय सी० आई० डी० से जांच चल रही है और उन लोगों का नाम बताने से हो सकता है कि उन पर बाहरी दबाव पड़े ।

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)--

माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन एस० पी० महोदय को सस्पेन्ड नहीं किया लेकिन और इसी तरह के अधिकारियों को सस्पेन्ड किया गया है ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो बहुत ही आम है ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मैं जानना चाहता हूं कि यह जो एस० पी० महोदय हैं उनके खिलाफ कब-कब शिकायतें माननीय मुख्य मंत्री जी को मिली हैं ?

श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर, समय-समय पर शिकायतें मिलती रही हैं और भिन्न-भिन्न लोगों ने किया है ।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

मैंने एक सिपाही का जिक्र किया था क्या उसने भी शिकायती पत्र भेजा है ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय गनेशी लाल जी नियम ४९ के अन्तर्गत पहले जो व्यक्ति प्रश्न करता है उसको मौका दिया जाता है बाद में मंत्री जी को उसके बाद स्पष्टीकरण का मौका दिया जाता है । आप अपनी बात कहें ।

श्री गनेशी लाल चौधरी--

माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो जवाब दिया उससे प्रतीत होता है कि जो श्रम मंत्री हैं उन्होंने पत्र लिखा और उस सिपाही ने एस० पी० के खिलाफ लिखा इस पर एस० पी० का ट्रान्सफर किया गया । तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो कुशल प्रशासन चलाने वाले हैं उनके खिलाफ इस तरह की शिकायतें न सुना करें और क्या उनको फिर सीतापुर भेजेंगे ?

श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)--

एक एस० पी० के ट्रान्सफर के बारे में घंटों-घंटों प्रश्न हुए एस० पी० ट्रान्सफर हो गया । कौन-सा गजब हो गया ?

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिए । माननीय सदस्य कृपया शान्ति बनाए रक्खें ।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मेरी बात सुन लीजिए। यदि आप पहले सुन लेते तो आपको मदद मिलती। आज जो प्रश्न हुए, वे प्रश्न अभी उसी दिन हुए थे जिनका जवाब माननीय मुख्य मंत्री जी की उपस्थिति में माननीय मंत्री जी ने दिया था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि या तो आप आज्ञा दे दें उन प्रश्नों को पूछने की, नहीं तो आप सीक्रेट सेशन की आज्ञा दे दें जहां यह बातें पूछी जा सकें। यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मुख्य मंत्री जी आप कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री राम नरेश यादव--

एक बात मैं कह देना चाहता हूं कि यह ट्रान्सफर किसी माननीय मंत्री या व्यक्ति विशेष के कहने से नहीं हुआ है, जो कुछ हुआ है वह प्रशासनिक आधार पर हुआ है। मैं निवेदन करूंगा कि एक-एक ट्रान्सफर के मामले को लेकर आप, अपना, सदन का समय बरबाद न करें। इसके लिए आज चूंकि अध्यक्ष महोदय ने इस पर चर्चा के लिए स्वीकृति दे दी थी, इसलिए चर्चा हुई। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि ट्रान्सफर के एक-एक मामले को लेकर इतनी चर्चा का विषय न बनाएं। शासन के हित में तथा जनता के हित में तथा आप सब लोगों के हित में भी और सदन के गौरव में भी उचित होगा। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें अब इस पर कोई व्यवस्था नहीं होगी।

## सूखे, बाढ़ एवं कटाव के विषय पर होने वाली चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष--

आज सूखे, बाढ़ एवं कटाव की स्थिति पर वाद-विवाद था इसको कल भी मुझे स्थगित करना पड़ा और आज पुनः माननीय सिंचाई मंत्री से मैंने अनुरोध किया था चूंकि राजस्व मंत्री जी शैया ग्रस्त हैं, इसलिए वे उनके स्थान पर वक्तव्य दें। आज उनका पत्र मिला जिसमें उन्होंने कहा है कि आज उन्हें टेहरी में एक जरूरी काम से जाना पड़ रहा है। इसलिए उन्होंने अनुरोध किया है कि इस विवाद को सत्रह तारीख के लिए मुल्तवी कर दिया जाय। मैं मुख्य मंत्री जी से अपेक्षा करूंगा (कुछ सदस्यों के खड़े होने पर) आप लोग अपने स्थान पर बैठिए जब मैं बोल रहा हूं तो आप खड़े क्यों होते हैं ? आप एक पढ़े-लिखे युवक हैं आपसे अपेक्षा की जाती है कि थोड़ा आप अध्ययन करेंगे। रवीन्द्र सिंह जी, मैं देखता हूं कि आप भी भ्रमित हो जाते हैं।

(एक सदस्य के मुख्य मंत्री जी से बात करने पर)

[श्री अध्यक्ष--]

मैं अपेक्षा करता हूं और माननीय सदस्यों को चेतावनी देना चाहता हूं कि जब अध्यक्ष सम्बोधित करते हों तो बीच में नहीं आना चाहिए । कुछ नियमों, शिष्टता और सौजन्यता का व्यवहार होना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से यह अपेक्षा करता हूं कि चूंकि मंत्रिमंडल की संयुक्त जिम्मेदारी होती है, इसलिए यदि १७ तारीख को राजस्व मंत्री जी सदन में न आ सकें तो वे तयार होकर आयें ताकि सूखे, बाढ़ व कटाव वाले विषय पर विवाद हो सके ।

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ६ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
१३ अक्तूबर, १९७७

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिए नियम २६(४) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२२ पर)

परिशिष्ट–१

प्रशासक नगर महापालिका कानपुर के आदेश संख्या ७७४/सी०–२०(८)–२–प, दिनांक २७–६–७७ की प्रतिलिपि ।

शिशु शिक्षा सदन चुन्नीगंज तथा शिशु विद्यालय काकादेव में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावकों का एक प्रतिनिधि मंडल विद्यालय में बढ़ाई गई फीस के सम्बन्ध में मुझसे मिला । इस प्रतिनिधि मंडल में सर्वश्री अशोक जैन, हरी शंकर अवस्थी, बी० सी० सिंह, एस० ए० भंडारी, राम सरन भदौरिया आदि शामिल थे । प्रतिनिधि मंडल ने सर्व प्रथम उक्त दोनों विद्यालयों में बढ़ी हुई फीस को कम करने के लिए मुझसे कहा । पूर्ण विचार करने के बाद मैंने बढ़ी हुई फीस को संशोधित कर दिया, जिसे उक्त प्रतिनिधि मंडल ने स्वीकार कर लिया । तदनुसार संशोधित फीस लिए जाने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं । उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त विद्यालय के जिन छात्रों ने अभी तक फीस जमा नहीं की है उन्हें फीस जमा करने के लिए ३० सितम्बर, १९७७ तक का समय दिया जाता है । ३० सितम्बर, १९७७ तक की फीस जमा करने वाले छात्रों से कोई विलम्ब दंड नहीं लिया जायगा ।

उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया है उक्त दोनों विद्यालयों के सुचारु रूप से कार्य संचालन में सुझाव देने के लिए एक परामर्शदात्री समिति बनाई जाय, इस समिति के संयोजक श्री रमारत्न शुक्ल, उपनगर अधिकारी होंगे तथा दोनों विद्यालय की प्राचार्या तथा दोनों विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के पांच–पांच अभिभावक होंगे । इस समिति की बैठक तीन मास में एक बार अवश्य होंगी । तथा पहली बैठक अक्तूबर, १९७७ मास में की जाय । परामर्शदात्री समिति की बैठक के बाद आए सुझावों को प्रशासक के सम्मुख अन्तिम निर्णय के लिए प्रेषित किए जाएं ।

परिशिष्ट–२

प्रशासक, नगर महापालिका, कानपुर के आदेश ७६५/फीस–२–प, दिनांक २०–९–७७ की प्रतिलिपि ।

शिशु शिक्षा सदन चुन्नीगंज, शिशु विद्यालय काकादेव में फीस के सम्बन्ध में प्रशासक पूर्व प्रसारित आदेश संख्या ७४७/सो–१–२–प, दिनांक ३१–८–७७ को निरस्त किया जाता है तथा अब उक्त दोनों विद्यालयों में निम्नलिखित फीस दिनांक १–९–७७ से ली जायेगी ।

| | रु० | |
|---|---|---|
| १––शिक्षण शुल्क | 12·00 | |
| २––महंगाई | १·00 | |
| ३––प्रवेश शुल्क | ५·00 | |
| ४––पुनः प्रवेश शुल्क | २·00 | |
| ५––विलम्ब दंड | ०·०६ | |
| ६––टी० सी० | १·00 | |
| ७––वाचनालय शुल्क | ०·५० | |
| ८––मेटेरियल शुल्क | २·00 | |
| ९––जलपान शुल्क (लेने पर) | १०·00 | |
| १०––खेल शुल्क | १·00 | |
| ११––परीक्षा शुल्क | ३·00 | प्रति परीक्षा |
| १२––तैराकी (मई से सितम्बर तक) | १०·00 | प्रति माह केवल तैराकी कक्षाओं को ज्वाइन करने वाले छात्र छात्राओं से |
| १३––बस सुविधा | १०·00 | १ मील की दूरी पर |
| | १५·00 | १ मील से ऊपर २ मील से कम |
| | २०·00 | २ मील से ऊपर |

जिन अभिभावकों ने उपरोक्त आदेश दिनांक ३१–८–७७ के अनुसार सम्पूर्ण फीस जमा कर दी है उनको अधिक जमा फीस मास अक्तूबर में समायोजित कर दी जायेगी ।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२५ पर)

तालिका

| आरोप | जांच के परिणाम |
|---|---|
| १—प्राइमरी स्कूल के फर्नीचर हेतु १९७०–७१ म १,२०० रु० के सरकारी अनुदान का फर्जी भुगतान दिखाकर गबन करना । | १—नियमानुसार टेन्डर आमन्त्रित करके स्कूल के लिए फर्नीचर क्रय किया गया था । इस भुगतान का आडिट भी हो चुका है । आरोप सारहीन है । |
| २—कन्या बेसिक पाठशाला की पुताई, रोगन व मरम्मत पर हर वर्ष फर्जी भुगतान किया गया । | २—पाठशाला की पुताई, रोगन व मरम्मत आदि पर कोई व्यय नहीं किया गया । आरोप निराधार है । |
| ३—कन्या जूनियर हाई स्कूल के भवन निर्माण हेतु प्राप्त १५ हजार रुपया तथा प्राइमरी कन्या स्कूल के भवन हेतु प्राप्त १० हजार रुपये के अनुदान में १० हजार रुपया फर्जी भुगतान दिखाकर गबन किया गया । | ३—पालिका को दो अनुदान प्राप्त हुए थे । पहला अनुदान १० हजार रुपया जूनियर बेसिक गर्ल्स स्कूल के भवन निर्माण हेतु वर्ष १९६३–६४ में प्राप्त हुआ था । इस धन से स्कूल भवन का निर्माण पालिका द्वारा नहीं कराया गया । अतः शासन ने इस धनराशि को वापस करने के निर्देश दिये थे । तीन हजार रुपये का समायोजन शासन द्वारा पालिका को दिये जाने वाले आवर्तक अनुदान में किया जा चुका है । शेष ७ हजार रुपये की धनराशि पालिका को अभी वापस करनी है ।<br><br>दूसरा अनुदान पालिका को १५ हजार रुपये सीनियर बेसिक कन्या स्कूल के भवन निर्माण हेतु वर्ष १९७०–७१ में प्राप्त हुआ था । इस धन से विद्यालय भवन बन चुका है । इसके भुगतान का आडिट भी हो चुका है । कोई फर्जी भुगतान नहीं हुआ है । |
| ४—महमूदगंज रोड को डामर का बना दिखा कर फर्जी भुगतान किया गया है । | ४—इस रोड पर अभी डामर का कार्य नहीं हुआ है फर्जी भुगतान का प्रश्न नहीं उठता । आरोप निराधार है । |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| आरोप | जांच के परिणाम |
|---|---|
| ५—कम्पोस्ट खाद के लिए आवंटित भूमि तथा स्लाटर हाउस की भूमि पर काश्त से नाजायज फायदा उठाना | ५—कथित भूमि बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव से हर वर्ष पट्टे पर दी जाती है जिससे प्राप्त धनराशि पालिका कोष में जमा की गई है । आरोप सारहीन पाया गया । |
| ६—पालिका के चुंगी विभाग के कर्मचारियों द्वारा ज्यादा पैसे लेकर कम की रसीद काटना | ६—भू० पू० अध्यक्ष ने छः कर्मचारियों को अनुशासनिक कार्यवाही कर दण्डित किया है । |
| ७—शासकीय सड़क अनुदान से अपनी कोठी तक सड़क बनवाना | ७—कथित सड़क सार्वजनिक सड़क की है जिसका निर्माण वर्ष १९६५-६६ में हुआ था । इस सड़क से आसपास के बहुत से अन्य व्यक्तियों को भी सुविधा प्राप्त हुई है । आरोप में कोई बल नहीं है । |
| ८—अध्यक्ष के ईंट के भट्ठे पर जलान के कोयले पर चुंगी का न लिया जाना | ८—पालिका बाईलाज के अन्तर्गत लकड़ी के कोयले पर ही चुंगी कर देय है । भूतपूर्व अध्यक्ष, नगरपालिका के भट्टे पर लकड़ी का कोयला प्रयोग में नहीं आता । वह स्लेक कोल का प्रयोग करते हैं । स्लेक कोल पर पालिका को चुंगी कर देय नहीं है । अतः चुंगी लिये जाने का प्रश्न नहीं उठता । |
| ९—अपने भवनों पर कम गृहकर निर्धारण कर नाजायज फायदा उठाना | ९—जांच में समान स्तर की सम्पत्ति पर गृहकर की धनराशि में समानता पाई गई । यह आरोप भी सारहीन पाया गया । |
| १०—पालिका में अधिशासी अधिकारी के पद की रिक्ति पर प्रधान लिपिक को प्रोन्नत कराना तथा अवैधानिक कार्य कराना | १०—पालिका में केन्द्रियत सेवा का कोई अन्य अधिकारी न होने की स्थिति में वरिष्ठतम कर्मचारी (प्रधान लिपिक) को प्रोन्नति करने में कोई अनियमितता नहीं की गई । आरोप निराधार है । |
| ११—गोश्त का लाइसेन्स अपने आदमियों को देना तथा नाजायज फायदा उठाना | ११—गोश्त के लाइसेन्स हेतु किसी व्यक्ति का प्रार्थना-पत्र अध्यक्ष द्वारा अस्वीकृत नहीं किया गया । आरोप सारहीन है । |

| आरोप | जांच के परिणाम |
|---|---|
| १२--सरकारी धन से अपनी कोठी पर बिजली लगाना तथा उस पर सरकारी बिजली का इस्तेमाल करना | १२--अध्यक्ष की कोठी के सामने वर्ष १९६५ में ही बिजली लगने पर मिट्टी के तेल के पोल के स्थान पर बिजली का पोल लगाया गया था । इस आरोप में भी बल नहीं है । |
| १३--पालिका की बैठक प्रत्येक माह न बुलाना तथा बैठक की कार्यवाही को नियमानुसार प्रकाशित न कराना | १३--पालिका की बैठक प्रत्येक मास में की गई लेकिन मीटिंग की कार्यवाही की प्रतियां जिला मजिस्ट्रेट/आयुक्त को नियमानुसार नहीं भेजी गई । बैठक की कार्यवाही का प्रकाशन भी नियमानुसार नहीं किया गया । पालिका को नियमानुसार कार्यवाही करने के लिय निर्देशित किया जा चुका है । |
| १४--नगरपालिका में वरिष्ठ तथा कनिष्ठ उपाध्यक्ष का निर्वाचन न कराना | १४--यह आरोप सही पाया गया किन्तु इसके लिए केवल अध्यक्ष ही नहीं बल्कि पूरा बोर्ड उत्तरदायी है । |
| १५--अल्प संख्यकों के मुहल्लों में स्ट्रीट लाइट, सफाई व सड़कों की ठीक व्यवस्था न करना | १५--पालिका की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण सारे शहर में एक साथ रोशनी की समुचित व्यवस्था नहीं हो सकी है । सफाई व सड़कों की व्यवस्था पर पालिका का ध्यान आकर्षित कर दिया गया है । |
| १६--पालिका की १२ दुकानों का काम अमानी में कराना, मस्टर रोल न बनाना तथा गबन करना | १६--पालिका द्वारा बनाये गये एस्टीमेट से अधिक धनराशि के टेन्डर प्राप्त होने के कारण बोर्ड के प्रस्ताव दिनांक १८-५-७५ द्वारा अमानी पर अवर अभियन्ता की देख-रेख में निर्माण कराने का निर्णय लिया गया था । निर्माण कार्य एस्टीमेट से कम धनराशि में कराया गया है। नियमानुसार मस्टर रोल बनाये गये तथा भुगतान किया गया जिसके वाउचर आदि हस्ताक्षर/अंगुष्ठ चिन्ह सहित उपलब्ध है । यह आरोप भी सारहीन पाया गया । |

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९४० पर)

संलग्नक—१

योजना का नाम

जनपद ललितपुर

१—ललितपुर पे० ज० यो० ।

२—ललितपुर तालाब से ग्रामीण पे० ज० यो० ।

३—महरानी मडवार ग्राम समूह पे० ज० यो० ।

४—बार तालाब से ग्रामीण पे० ज० यो० ।

५—तालबेहट ग्रामीण पे० ज० यो० ।

६—पिपरावासा ग्राम समूह पे० ज० यो० ।

जनपद झांसी

१—मऊरानीपुर पे० ज० यो० ।

२—मऊरानीपुर ग्राम समूह पे० ज० यो० ।

३—बरुआ सागर ग्राम समूह पे० ज० यो० ।

४—मोड पे० ज० यो० ।

५—समथर पे० ज० यो० ।

६—झांसी बबीना पाइप लाइन से पे० ज० यो० ।

७—झांसी पुनर्गठन पे० ज० यो०, प्रथम चरण, द्वितीय भाग

८—झांसी पुनर्गठन पे० ज० यो०, प्रथम भाग तृतीय भाग ।

९—बमरौली ग्राम समूह पे० ज० यो० ।

१०—भरोसा ग्राम समूह पे० ज० यो० ।

११—रानी ग्राम समूह पे० ज० यो० ।

१२—गुरसराय पे० ज० यो० ।

१३—एरिच पे० ज० यो० ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## सूची-११

उन जल सम्पूर्ति योजनाओं के नाम जिनका कार्यान्वयन उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा किया जा रहा है ।

### जनपद ललितपुर

१--पिपरबाना जल सम्पूर्ति योजना ।

### जनपद झांसी

१--बमरौली ग्राम समूह पे० ज० यो० ।

२--भरोसा ग्राम समूह पे० ज० यो० ।

३--रानीपुर ग्राम समूह पे० ज० यो० ।

४--गुरसरा पे० ज० यो० ।

५--एरिच जल सम्पूर्ति योजना ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ९५० पर)

आचार्य नरेन्द्र देव महापालिका महिला महाविद्यालय कानपुर में नियुक्त कर्मचारियों के सम्बन्ध में सूचना

| क्रम-सं० | पद नाम | नियुक्त कर्मचारियों की संख्या | | | | | इनमें से हरिजन कर्मचारियों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | १९७३-७४ | १९७४-७५ | १९७५-७६ | १९७६-७७ | १९७७-७८ | |
| | १—शैक्षिक कर्मचारी | | | | | | |
| १ | —प्रवक्ता | १४ | ६ | ६ | ५ | .. | शून्य |
| २ | —रीडर | ३ | .. | .. | .. | .. | शून्य |
| | २—शिक्षणेतर कर्मचारी | | | | | | |
| ३ | —कार्यालय अधीक्षक | .. | .. | .. | १ | .. | शून्य |
| ४ | —स्टेनो | १ | .. | .. | .. | १ | शून्य |
| ५ | —नैत्यक लिपिक | .. | .. | ३ | ३ | .. | १ |
| १ | —अवर सेवा वर्ग | .. | .. | २ | २ | १ | ३ |
| | महायोग .. | १८ | ६ | ११ | ११ | २ | ४ |

पी० एस० यू० पी०—४३ वि० सभा—१-३-७८—८४० (पी० डी०)।

उत्तर प्रदेश विधान सभा